सुधीर हालाखंडी जी.एस.टी. ई-बुक हिंदी

जी.एस.टी डिजिटल बुक

भारत में लगने वाले जीएस.टी. आधारभूत जानकारी

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

5/30/2017

जी.एस.टी. ई - बुक का द्विवितीय संस्करण जिसे नए अध्याय और जी.एस.टी. कानून की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ . इस पुस्तक को आप करदाता को भारत में लगने वाले जी.एस.टी. -गुड्स एवं सर्विस टैक्स की जानकारी देने के लिए प्रकाशित किया गया है. इसे वेब से डाउनलोड कर आसानी से पढ़ा जा सकता है . इस पुस्तक की भाषा इतनी सरल रखी गई है की यह आसानी से समझ आने वाली है. इसे पढ़े , समझे और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें - सुधीर हालाखंडी

GST By Sudhir Halakhandi

वस्तु एवं सेवा कर

हिन्दी

- सी.ए. सुधीर हालाखंडी

GST By Sudhir Halakhandi

भारत में लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर

2ND Improved Edition

दूसरा संस्करण

नयी जुडी हुई सामग्री के साथ

हिन्दी में जी.एस.टी.एक्ट की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ

प्रकाशन अधिकार लेखक सुधीर हालाखंडी के पास सुरक्षित है, कृपया इनका उल्लंघन नहीं करें .

Copy rights are owned by Writer Sudhir Halakhandi

लेखक की और से

प्रिय मित्रों

जी.एस.टी. ई -बुक का दूसरा संस्करण आपके लिए भेजा जा रहा है इसमें जी.एस.टी कानून में दी गई 100 से अधिक परिभाषाओं का हमने हिंदी अनुवाद किया है, इनपुट क्रेडिट, प्रारम्भिक स्टॉक पर मिलने वाली इनपुट क्रेडिट , अन -रजिस्टर्ड डीलर्स से खरीद पर रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान , जी.एस.टी. में गिरफ्तारी के प्रावधान इत्यादि नए अध्ययय जोड़े है . इस ई -बुक की भाषा आपकी आवश्यकता के अनुसार सरल रखी गई है.

वर्ष 2006 से मेरा जी.एस.टी. का अध्ययन जारी है इस सम्बन्ध में पहला लेख मैंने Goods and Service Tax - An Introduuctry Study ICAI के CA Journal "The Chartered Accountant" में 2007 में लिखा था जो कि संभवतः किसी बड़े स्तर पर लिखा गया जी.एस.टी. पर भारत में पहला लेख था एवं इस लेख को कई विश्वविद्यालयों में जी.एस.टी. पर रिसर्च पेपर्स में रिफरेन्स के रूप में काम में लिया गया है . भारतीय संसद में भी लोकसभा सचिवालय द्वारा सांसदों के लिए तैयार किये गए जी.एस.टी. बुलेटिन में भी यह लेख रेफेंरेस के रूप में काम में लिया गया है. इसके अतिरिक्त भी लेखक ने जी.एस.टी. पर विभिन्न कर प्रत्रिकाओं , अखबारों , और वेब साइट्स पर 500 से अधिक लेख लिखे है. इसी अनुभव के साथ यह पुस्तक लिखी गई है.

GST By Sudhir Halakhandi

आप लेखक के जीएस.टी. पर ऑडियो यु ट्यूब चेनल GST By Sudhir Halakhandi पर भी सुन सकते है . इसके अतिरिक्त कुछ लेख हमारी वेब साईट www.halakhandi. com पर भी उपलब्ध है .

इस पुस्तक के समस्त कॉपी राइट्स लेखक सुधीर हालाखंडी के पास है और यह आम जी.एस.टी. करदाता को जी.एस.टी. की जानकारी देने हेतु ई-बुक के रूप में जारी की गई है आप इसे पढ़ें , समझे , शेयर करें और ट्रेड एवं इंडस्ट्री एसोसिएशन्स इसे जैसी ही वैसी ही बिना किसी मूल्य के लेखक के नाम के साथ सदस्यों के लिए प्रकाशित कर सकती है . वितरण से पूर्व पुस्तक की दो प्रति लेखक को अनुमति के लिय प्रषित करें . इस पुस्तक का व्यवसायिक उपयोग वर्जित है

इस ई -बुक में समय -समय पर संशोधन कर एवं आवश्यकता अनुसार नए अध्याय जोड़कर आपको उपलब्ध करायी जायेगी . पुस्तक हमारी वेबसाइट www.halakhandi..com से भी डाउन लोड की जा सकती है .

पुस्तक के साथ लेखक या अन्य किसी व्यक्ति या संस्था के व्यवसायिक हित नहीं जुडे है और इसे इसी भावना के साथ पढ़ें , समझे , शेयर करें ताकि जी.एस.टी. में आपका प्रवेश एक जानकार करदाता के रूप में हो.

GST By Sudhir Halakhandi

-आदर सहित

सुधीर हालाखंडी

ब्यावर (जिला - अजमेर)

राजस्थान

sudhirhalakhandi@gmail.com

Visit me- www.halakhandi.com

WhatsApp 98280-67256

Subscribe or Youutube chanel :- GST By Sudhir Halakhandi

जी.एस.टी. पोर्टल पर माइग्रेशन

1 जून 2017 से 15 जून 2017

जी.एस. टी. के लिये जो कॉमन पोर्टल GSTN बनाया गया है उस पर वेट, सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज के डीलर्स को अपना माइग्रेशन करवाना है।

इसके पहले चरण में डीलर्स को प्राइमरी माइग्रेशन करना था जिसके तहत में डीलर्स को वेट और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से प्राप्त प्रोविशनल id की मदद से GSTN पोर्टल पर एक यूजर id और पासवर्ड बनाना था जो देश मे एक बड़ी संख्या में डीलर्स कर चुके है।

दूसरे चरण में डीलर्स को कुछ वांछित दस्तावेज जिसमें अभी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, बैंक एकाउंट का नंबर देने के लिए बैंक स्टेटमेंट का एक पृष्ठ , फर्म के मालिक , भागीदार इत्यादि की फोटो, पार्टनरशिप डीड इत्यादि को अपलोड करना होगा।

GST By Sudhir Halakhandi

एक बार यह कार्य हो चुका था लेकिन अभी अधिकांश डीलर्स का सेकेंडरी या फाइनल माइग्रेशन बाकी है इसलिए पोर्टल फिर से एक जून से 15 जून तक फिर से खोला गया है।

जी.एस.टी. भारत मे समय पर लागू हो इएलिये डीलर्स को GSTN पोर्टल पर अपना फाइनल माइग्रेशन अब करवा लेना चाहिए।

जी.एस.टी. कानून अभी लागू नही हुआ है और रूल्स भी अभी नोटिफाई नही हुए है इसलिए जो डीलर्स 15 जून तक भी माइग्रेट नही कर पाएंगे उनका क्या होगा यह सरकार तय करेगी लेकिन यदि 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. भारत मे लागू होना है और डीलर्स इसमे सहयोग देना चाहते है , जो उन्हें देना ही चाहिए , तो उन्हें अब यह प्रक्रिया पूरी कर ही लेनी चाहिए।

अनुक्रमणिका

INDEX

क्र.सं.	अध्याय	विवरण	पृष्ट संख्या
1.	1.	जी.एस.टी. परिभाषाओं का हिंदी अनुवाद	9
1.	2.	क्या है जी.एस.टी.:- एक परिचय	44
2.	3.	जी.एस.टी.एवं दो राज्यों के बीच व्यापार	48
3.	4.	IGST- इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सेवा कर	51
4.	5.	कर की दर	54
5.	6.	जी.एस.टी - रिटर्न	60
6.	7.	जी.एस.टी. - कम्पोजीशन स्कीम	66
7.	8.	कर निर्धारण - दोहरा नियंत्रण	76
8.	9.	ई-वे बिल (रोड परमिट)	80
9.	10.	प्रारम्भिक एवं स्टॉक पर इनपुट क्रेडिट	88
10.	11.	जी.एस.टी. - इनपुट क्रेडिट	100
11.	12.	अन-रजिस्टर्ड डीलर से खरीद पर रिवर्स टैक्स	119
12.	13.	जी.एस.टी.:-कर चोरी पर गिरफ्तारी प्रावधान	124
13.	14.	जी.एस.टी. सलाहकार:- जी.एस.टी.पी .	132
14.	15.	आपके महत्वपूर्ण सवाल	139
15.			
		ANNEXURES	
1.	1.	आई.जी.एस.टी. - उदाहरण	159
2.	2.	विभिन्न रिटर्न व की अंतिम तिथी	170
3.	3.	लेखक के बारे में	172

GST By Sudhir Halakhandi

गुड्स एवं सर्विस टैक्स

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

आइये समझे जी.एस.टी. को

GST -E-BOOK -HINDI

सी.ए. सुधीर हालाखंडी
राजस्थान
sudhrhalakhandi@gmail.com
GST By Sudhir Halakhandi
sudhir@halakhandi.com

visit me:- www.halakhandi.com

Subscribe and Listen our audio on You Tube channel : -

GST By Sudhir Halakhandi

अध्याय -1

जी.एस.टी. परिभाषाओं का हिंदी अनुवाद

जी.एस.टी. कानून की धारा 2 में कुल 121 परिभाषाएँ दी गई है जिनका हमने हिंदी अनुवाद किया है . यहाँ ध्यान दें कि इस अनुवाद को करते हुए पूरी सावधानी बरती गई है और यह आपको विषय को समझने में पूरी मदद करेगा फिर भी इसका अधिकृत रूप आपको देखना हो तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं कस्टम विभाग की साईट पर अंग्रजी में उपलब्ध परिभाषाएं देखें .

GST By Sudhir Halakhandi

आप इस हिंदी अनुवाद को ध्यान से पढ़े , जी.एस.टी.को समझाने में इससे आपको बहुत मदद मिलेगी .

- सुधीर हालाखंडी

1.ACTIONABLE CLAIMS:-

(1) "दावेदार दावे" का अर्थ वही अर्थ होगा जैसा कि संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882)की धारा 3 में निर्दिष्ट किया गया है

2.ADDRESS OF DELIVERY:-

(2) "वितरण का पता" का अर्थ माल या सेवाओं या दोनो के प्राप्तकर्ता का पता है इस तरह के वितरण के लिए एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी बिल में माल या सेवाओं या दोनों के वितरण के लिए लिखा है;

3.ADDRESS ON RECORD:-

(3) "रिकॉर्ड पर पता" अर्थात प्राप्तकर्ता का पता आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड में उपलब्ध है.

4.ADJDICATING AUTHORITY-

(4) "निर्णायक प्राधिकरण" का मतलब किसी भी नियुक्त प्राधिकारी से है जो इस अधिनियम के तहत कोई आदेश या निर्णय के लिए अधिकृत होगा, लेकिन इसमें केंद्रीय उत्पाद एवंम सीमा शुल्क बोर्ड / शामिल नहीं है और कस्टम्स, रिवीजन अथॉरिटी , एडवांस रूलींग अथॉरिटी , अपीलीट अथॉरिटी एडवांस रूलिंग के के लिए एवं अपीलीट ट्रिब्यूनल सम्मिलित नहीं होगा .

GST By Sudhir Halakhandi

5.AGENT:-

(5) "एजेंट" का अर्थ है एक व्यक्ति, जिसमें घटक (factor) , दलाल, कमीशन एजेंट, आडतिया , डेल क्रेडिट एजेंट, एक नीलामी कर्ता या किसी भी अन्य व्यापारी एजेंट, जो भी नाम से कहा जाता है, जो सामान या सेवाओं की आपूर्ति या प्राप्ति के व्यापार या दोनों पर व्यापार दूसरे की ओर से करता है;

6. AGREEGATE TURNOVER:-

(6) "कुल कारोबार" का मतलब है सभी कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य (आवक आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर, जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर एक व्यक्ति द्वारा कर दिया जाता है), कर मुक्त आपूर्ति (supply), माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात और अंतरप्रांतीय आपूर्ति जिसे कि एक ही स्थायी खाता संख्या (Income Tax PAN) रखने वाले व्यक्ति द्वारा पूरे भारत में कारोबार करते हुए की गई है लेकिन इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर की रकम (कर की रकम) शामिल नहीं है;

7. AGRICULTURALIST:-

(7) "किसान" का अर्थ है एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार जो भूमि खेती का काम करते हैं:-

GST By Sudhir Halakhandi

(ए) अपने श्रम या,

(बी) परिवार के श्रमिक द्वारा, या

(सी) नकद या वस्तु में देय मजदूरी पर कर्मचारियों द्वारा या किराए पर श्रम के तहत जिसे व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या परिवार के किसी भी सदस्य की व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में किया जाता है;

8. APPELLATE AUTHORITY:-

(8) "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ है कि इस अधिनियम की धारा 107 में निर्दिष्ट अपील सुनने को अधिकृत प्राधिकारी ;

9. APPELLATE TRIBUNA :-

(9) "अपीलीय ट्रिब्यूनल" का मतलब माल और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल धारा 109 के तहत गठित;

10. APPOINTED DAY:-

(10) "नियत दिन" का अर्थ उस तिथि से है, जिस पर इस अधिनियम के प्रावधान होंगे
लागू होता है;

11.ASSESSMENT:-

(11) "निर्धारण" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत कर देयता का निर्धारण करना और इसमें स्वत: निर्धारण, पुन: निर्धारण, अंतरिम निर्धारण , सारांश निर्धारण और सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण शामिल हैं ;

GST By Sudhir Halakhandi

12.ASSOCIATE ENTRPRISES:-

(12) "सहयोगी उद्यमों " का अर्थ उसी अर्थ के उसी रूप में लिया जाएगा जैसा कि आयकर अधिनियम, 1 9 61 की धारा 92 ए में निर्दिष्ट किया गया है

13.AUDIT:-

(13) "लेखा परीक्षा" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत या किसी भी अन्य कानून के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए या पेश किये गए अभिलेख, रिटर्न

और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा या घोषित टर्नओवर की शुद्धता , करों का भुगतान किया, रिफंड के लिए किया गए दावे और लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन को सत्यापित करने के लिए की जाने वाली जांच .

14. AUTHORISED BANK :-

(14) "प्राधिकृत बैंक" का मतलब बैंक या बैंक द्वारा इस अधिनियम के तहत देय कर या अन्य कोई भी राशि एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत बैंक की एक शाखा होगी;

15. AUTHORISED REPRESENTATIVE:-

(15) "अधिकृत प्रतिनिधि" का अभिप्राय धारा 116 में निर्दिष्ट अधिकृत प्रतिनिधि है;

GST By Sudhir Halakhandi

16. BOARD:-

(16) "बोर्ड" का मतलब है केन्द्रीय राजस्व अधिनियम, 1 9 63 के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड.

17.BUSINESS:-

(17) "व्यवसाय" में शामिल हैं--

(ए) किसी भी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशे, व्यवसाय, साहस, दांव या किसी अन्य इसी तरह गतिविधि, चाहे वह आर्थिक लाभ के लिए हों या नहीं;

(बी) ऊपर दिए उप-खंड (ए) के संबंध में या प्रासंगिक या सहायक के संबंध में कोई गतिविधि या व्यवहार;

(सी) उप-धारा (ए) की प्रकृति में कोई गतिविधि या लेनदेन, चाहे या तो वहां लेन-देन की मात्रा, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता है या नहीं;

(डी) पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं सहित माल की व्यापार के शुरूआत या व्यापार के समापन के संबंध में आपूर्ति या अधिग्रहण;

(ई) क्लब, संघ, समाज, या किसी भी तरह के संस्था (किसी शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) सुविधाओं या लाभ का उसके सदस्यों को को प्रावधान;

GST By Sudhir Halakhandi

(एफ) किसी भी परिसर में व्यक्तियों का प्रतिफल के बदले प्रवेश;

(जी) किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्यालय के धारक के रूप में आपूर्ति की गई सेवाओं जिसे उसने अपने व्यापार, पेशे या व्यवसाय की आगे बढ़ाने के क्रम में द्वारा स्वीकार किया गया है या;

(एच) रेस क्लब द्वारा प्रदान की गई सेवाओं जो कि ऐसे क्लब में totalisator बनाने या बुक मेकर के लिए लाइसेंस देकर प्रदान की जाती है ; तथा

(आई) केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी गतिविधि या लेनदेन जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत हैं;

18. BUSINESS VERTICAL:-

(18) "बिज़नस वर्टीकल" का अर्थ है एक उद्यम का एक अलग घटक जो अलग सामानों या सेवाओं की आपूर्ति या संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के समूह के व्यवसाय में लगा है और जिसमे में लगी हुई है जोखिम और रिटर्न अन्य व्यवसायिक वर्टिकल से अलग है.

स्पष्टीकरण .-- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निम्न कारकों को यह निर्धारित करने में विचार में लिया जाना चाहिए कि माल या सेवाएं संबंधित हैं -

(ए) माल या सेवाओं की प्रकृति;

(बी) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;

(सी) वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहकों के प्रकार या कक्षा;

(डी) सेवाओं का माल या आपूर्ति वितरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके; तथा

GST By Sudhir Halakhandi

(ई) बैंकिंग, बीमा, या सार्वजनिक उपयोगिताओं सहित नियामक वातावरण (जहां भी लागू हो) की प्रकृति;

<u>19.CAPITAL GOOODS:-</u>

(1 9) "पूंजीगत माल" का मतलब माल है, जिसका जमा खर्च इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले व्यक्ति के खाते की पुस्तकों में “पूंजीगत संम्पति” के रूप में किया जाता है और इसका इस्तेमाल व्यवसायी के चलाने में या व्यवसाय के आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है;

<u>20.CASUUAL TAX PERSON</u> :-

(20) "आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति" का अर्थ उस व्यक्ति से होता है जो कभी-कभी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को बढाने के लिए करता है चाहे वह राज्य में या किसी संघीय क्षेत्र में प्रिंसिपल , एजेंट या किसी अन्य क्षमता में हो लेकिन उसके व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है;

21. CNERAL TAX:-

(21) "केंद्रीय कर" का मतलब धारा 9 के तहत लगाए गए केंद्रीय सामान और सेवा कर;

22.CESS:-

(22) "उपकर" का अर्थ उसी कर के रूप में होगा, जैसा उसे सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम में समझाया गया है .

GST By Sudhir Halakhandi

23.CHARTERED ACCOUNTANT:-

(23) "चार्टर्ड एकाउंटेंट" का अर्थ है चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1 9 4 9 की धारा 2 के उप-धारा (1) की धारा (बी) चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में परिभाषित;

24. COMMMISSIONER:-

(24) "आयुक्त" का मतलब है धारा 3 के तहत नियुक्त केंद्रीय कर के आयुक्त और इसमें शामिल हैं केन्द्रीय कर के प्रधान आयुक्त और एकीकृत माल और सेवाओं अधिनियम (IGST) के तहत नियुक्त एकीकृत कर के आयुक्त कर;

25. COMMISSIONER IN THE BOARD:-

(25) "बोर्ड में आयुक्त" का अर्थ है कि इस अधिनियम की धारा 168 में उल्लेखित आयुक्त.

26. COMMON PORTAL:-

(26) इस अधिनियम की धारा 146 में उल्लेखित “गुड्स एवं सर्विस टैक्स कॉमन पोर्टल”.

27. COMMMON WORKING DAYS:-

(27) किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के संबंध में "आम कार्य दिवस" जिसका अर्थ ऐसे दिनों में होता है जिसे केंद्र सरकार या संबंधित राज्य या संघीय राज्य सरकार राजपत्रित छुट्टियों के रूप में घोषित नहीं किया जाता है;

GST By Sudhir Halakhandi

28. COMPANY SECRETARY:-

(28) "कंपनी सचिव" का मतलब एक कंपनी सचिव है, जो सचिव अधिनियम, 1 9 80 की धारा 2 के उप-धारा (1) (C) में परिभाषित है .

29. COMPETENT AUTHORITY:-

(29) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है प्राधिकारी जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है;

30. COMPSITE SUPPLY:-

(30) "समग्र आपूर्ति" का अर्थ है एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं की दो या अधिक कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों

की आपूर्ति जिसे एक संयोजन (Combination) के तहत किया जाता है जिन्हें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ मिलाकर ही आपूर्ति की जा सकती है जिसमें से एक प्रिंसिपल या प्रमुख आपूर्ति होती है.

उदाहरण.- जहां वस्तुएं पैकिंग और बीमा के साथ सप्लाई के जाती हैं, पैकिंग सामग्री, माल का परिवहन और बीमा एक समग्र आपूर्ति है और माल या वास्तु की आपूर्ति एक प्रमुख अथवा मुख्य आपूर्ति है;

31. CONSIDERATION:-

(31) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में "प्रतिफल" में शामिल हैं-

(ए) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संदर्भ में, प्राप्तकर्ता द्वारा या चाहे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया किसी भी भुगतान किया या क्या जाने वाला भुगतान , चाहे वह पैसे में हो या अन्य रूप में , लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी भी सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाएगा ;

GST By Sudhir Halakhandi

(बी) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संदर्भ में, प्राप्तकर्ता द्वारा या चाहे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया किये गए किसी कार्य या नही किये गए किसी कार्य का मौद्रिक मूल्य , लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी भी सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाएगा ;

बशर्ते माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के संबंध में दिए गए जमा (deposit) को ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान के रूप में नहीं

माना जाएगा, जब तक कि आपूर्तिकर्ता इस जमा राशि को आपूर्ति के भुगतान के रूप में लागू नहीं करता है.

32. CONTINUOUS SUPPLY OF GOODS:-

(32) "माल की निरंतर आपूर्ति" से माल की आपूर्ति, जो एक तार, केबल, पाइप लाइन या अन्य नाली के जरिए प्रदान की जाती है, या एक अनुबंध के तहत लगातार या फिर आवर्तक आधार पर सहमति व्यक्त की जाती है, और जिसके लिए आपूर्तिकर्ता नियमित या आवधिक आधार पर प्राप्तकर्ता को चालान करता है और इसमें ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति शामिल है, ऐसी स्थितियों के अधीन, जैसा कि, सरकार द्वारा माल के निरंतर आपूर्ति के रूप में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है;

GST By Sudhir Halakhandi

33. CONTINUOUS SUPPLY OF SERVICES:-

(33) "सेवाओं की निरंतर आपूर्ति" का मतलब उन सेवाओं की आपूर्ति है जो प्रदान की गई है, या अनुबंध के तहत लगातार, या आवर्ती आधार पर, तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए आवधिक भुगतान दायित्वों के साथ प्रदान की जाती है और ऐसी सेवाओं की आपूर्ति शामिल है जैसा कि सरकार, ऐसी स्थितियों के अधीन हो सकता है, जैसा कि अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है;

34. CONVEYANCE:-

(34) "वाहन" में एक जहाज, एक विमान और एक वाहन शामिल है;

35. COST ACCOUNTANT:-

(35) "लागत लेखाकार" का अर्थ लागत और वर्क्स एकाउंटेंट अधिनियम, 1 9 5 9 की धारा 2 के उप-धारा (1) के खंड (C) में परिभाषित के रूप में एक लागत लेखाकार का मतलब है;

36.COUNCIL :- (GST COUNCIL)

(36) "परिषद" का मतलब संविधान की धारा 279 ए के तहत स्थापित माल और सेवा कर परिषद;

37. CREDIT NOTE:-

(37) "क्रेडिट नोट" से धारा 34 के उप-धारा (1) के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी दस्तावेज का मतलब है;

38. DEBIT NOTE:-

GST By Sudhir Halakhandi

(38) "डेबिट नोट" का मतलब धारा 34 के उप-धारा (3) के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी दस्तावेज;

39. DEEMED EXPORT:-

(39) "समझा गया निर्यात" का मतलब माल की आपूर्ति जैसे कि धारा 147 के तहत अधिसूचित किया जाता है;

40.DESIGNATED AUTHORITY :-

(40) "नामित प्राधिकरण" का अर्थ है प्राधिकारी, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

41. DOCUMENTS:-

(41) "दस्तावेज" लिखित या मुद्रित रिकॉर्ड जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (t) में परिभाषित के रूप में किसी भी तरह का और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के भी शामिल है;

42. DRAWBACK:-

(42) भारत में निर्मित किसी भी सामान जो कि निर्यात किया जाता है के संबंध में किसी भी आयातित इनपुट पर या किसी भी घरेलू इनपुट या इन वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इनपुट सेवाओं पर शुल्क, कर या सेस की छूट;

43.ELECTRNIC CASH LEDGER:-

(43) "इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता" का मतलब है धारा 49 के उप-धारा (1) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता ;

GST By Sudhir Halakhandi

44. ELECTRONIC COMMMERCE:-

(44) "इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स" का मतलब माल या सेवाओं की आपूर्ति या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित दोनों;

45. ELECTRONIC COMMERCE OPERATOR:-

(45) "इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफ़ॉर्म का मालिक है, संचालित करता है या प्रबंधन करता है;

46.ELECTRONIC CREDIT LEDGER:-

(46) "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर" का मतलब धारा 49 के उप-धारा (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खजाना;

47. EXEMPT SUPPLY

(47) "कर मुक्त आपूर्ति" का मतलब किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों जो कर की शून्य दर को आकर्षित करती है या जो धारा 11 के तहत कर से मुक्त घोषित हो, या आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 के तहत करमुक्त हो , और इसमें जी.एस.टी. के तहत गैर कर योग्य आपूर्ति भी शामिल है .

48 . EXISTING LAW

(48) "मौजूदा कानून" का मतलब किसी भी कानून, अधिसूचना, आदेश, नियम या मानदंड जो माल या सेवाओं पर शुल्क या कर के संग्रह से संबंधित है और जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले कानून या संसद या किसी प्राधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा जिसके ऐसा कानून, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति हो द्वारा बनाये या पारित किये गए हो.

GST By Sudhir Halakhandi

49 . FMAILY:-

(49) "परिवार" का अर्थ है, -

(I) व्यक्ति के जीवन साथी (पति अथवा पत्नी) और बच्चे, और

(Ii) व्यक्ति के माता-पिता, दादा -दादी, नाना -नानी, माता, पिता, भाइयों और बहनों, यदि वह संपूर्ण या मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर निर्भर हैं;

50 . FIXED EASTABLISHMENT:-

(50) "स्थाई प्रतिष्ठान" का मतलब एक जगह (व्यापार के पंजीकृत स्थान के अलावा) है, जो सेवाओं की आपूर्ति के लिए मानव संसाधन और तकनीकी संसाधनों के संदर्भ में पर्याप्त स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की विशेषता के साथ है या सेवाओं को अपनी आवश्यकताओं लिए करने और प्राप्त करने के लिए है;

51.FUND:-

(51) "निधि" का मतलब उपभोक्ता कल्याण कोष जो इस अधिनियम की धारा 57 के तहत स्थापित किया गया है;

52. GOODS

(52) "वस्तु" का मतलब है धन और प्रतिभूतियां के अलावा हर तरह की चल संपतियां (movable property) लेकिन इसमें दावा करने योग्य दावे (actionable claims) , बढ़ती फसलों (growing Crops) , घास (Grass) और उन चीजों को शामिल करना शामिल है भूमि का हिस्सा है या उससे जुडी हुई है जो आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के अनुबंध के तहत काटे जाने के लिए सहमत के तहत हैं.

GST By Sudhir Halakhandi

53. GOVERNMENT:-

(53) "सरकार" का अर्थ है केंद्र सरकार;

54. GOODS AND SERVICE TAX (Compansation to States) Act,. :-

(54) "माल और सेवा कर (राज्यों के लिए मुआवजा) अधिनियम" से मतलब है माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017;

55. GOODS AND SERVICE TAX PRACTITIONERS:-

(55) "गुड्स एवं सर्विस टेक्स प्रेक्टिस्नेर्स " का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 48 के अधीन ऐसे **"प्रेक्टिस्नर"** के रूप में कार्य करने के लिए के तहत अनुमोदित किया गया हो;

56. INDIA

(56) "भारत" का अर्थ भारत का क्षेत्र है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है, इसके क्षेत्रीय जल, समुद्री जल और उप-मिट्टी ऐसे पानी के नीचे, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य समुद्री क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1 9 76 में वर्णित है , और इसके क्षेत्र और प्रादेशिक जल के ऊपर हवा का स्थान;

GST By Sudhir Halakhandi

57. INTEGRATED GOODS AND SERVICE TAX:-

(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" का अर्थ है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;

58. INTEGRATED TAX :-

(58) "एकीकृत कर" का अर्थ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले एकीकृत सामान और सेवा कर;

59. INPUT:-

(5 9) "इनपुट" का मतलब पूंजीगत वस्तुओं के अलावा किसी भी सामान का उपयोग किया जाता है या इसका इस्तेमाल किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यापर के दौरान में या व्यापर के आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है;

60.INPUT SERVICE:-

(60) "इनपुट सेवा" का अर्थ है किसी भी सेवा का उपयोग या भावी उपयोग आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने व्यापार के दौरान में या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए करना है;

GST By Sudhir Halakhandi

61. INPUT SERVICE DISTRIBUTOR:-

(61) "इनपुट सेवा वितरक" का अर्थ माल या सेवाओं या दोनों के सप्लायर का एक कार्यालय है जो धारा 31 के तहत इनपुट सेवाओं की प्राप्ति की ओर जारी किए गए टैक्स इनवॉइस प्राप्त करता है और केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघीय प्रदेश कर का क्रेडिट वितरित करने के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारित दस्तावेज़ जारी करता है उन कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं के सप्लायर को जो की उसी के सामान PAN अर्थात स्थायी लेखा संख्या के तहत व्यापार कर रहें है.

62. INPUT TAX:-

(62) एक पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" का मतलब है, केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघीय क्षेत्र का टैक्स जिसे किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसमें शामिल हैं-

(ए) वस्तुओं के आयात पर लगाए गए एकीकृत सामान और सेवा कर;- IGSTon Import.

(बी) धारा 9 के उप-वर्गों (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर;- Tax paid on reverse charge under CGST.

(सी) इन्टीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम अधिनियम की धारा 5 के उप-वर्गों (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर; - Tax paid on reverse charge under IGST.

(डी) संबंधित राज्य सामान और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उप-धाराओं (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर; या- Tax paid on reverse charge under SGST.

GST By Sudhir Halakhandi

(ई) संघ राज्य सामग्री और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 के उप-वर्गों (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर,- Tax paid on reverse charge under UTGST.

लेकिन इसमें कम्पोजीशन के तहत भुगतान किया गया कर शामिल नहीं है .

63. <u>INPUT TAX CREDIT:-</u>

(63) "इनपुट टैक्स क्रेडिट" से मतलब है इनपुट टैक्स का क्रेडिट;

64. <u>INTRASTATE SUPPLY OF GOODS:-</u>

(64) "माल की राज्य के भीतर आपूर्ति" का अर्थ उसी अर्थ के रूप में होगा जिसे इन्टीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट किया गया है;

65. INTRASTATE SUPPLY OF SERVICES:-

(65) "सेवाओं की राज्य के भीतर की आपूर्ति" का अर्थ उसी अर्थ के रूप में होगा जिसे इन्टीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट किया गया है;

66. INVOICE AND TAX INVOICE

(66) "इनवॉइस" या "टैक्स इनवॉइस" का अर्थ वही है जो इस अधिनियम की धारा 31 में संदर्भित है;

GST By Sudhir Halakhandi

67.INWARD SUPPLY

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक आपूर्ति" का मतलब माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ती जो खरीद, अधिग्रहण या किसी अन्य साधन से हुई हो चाहे प्रतिफल के साथ या बिना किसी प्रतिफल के;

68. JOB WORK

(68) "जॉब वर्क " का मतलब है किसी भी किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उपाय या प्रक्रिया से है जो किसी अन्य रजिस्टर्ड व्यक्ती की वस्तु पर किया जाता है इसी प्रक्रिया के अर्थ में “जॉब वर्कर” को भी समझा जाना चाहिए.

69. LOCAL AUTHORITY

(69) "स्थानीय प्राधिकरण" का अर्थ है--

(ए) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (डी) में परिभाषित एक "पंचायत";

(बी) एक "नगर पालिका" जैसा कि अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) में परिभाषित किया गया है
संविधान;

(सी) एक नगरपालिका समिति, एक जिला परिषद, एक जिला बोर्ड, और या “नगर निगम या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन” के लिए कोई अन्य अथॉरिटी जिसे केंद्र सरकार या किसी भी राज्य द्वारा कानूनी तौर पर अधिकृत किया है .

(डी) कैंटोनमेंट एक्ट 2006 की धारा 3 में परिभाषित एक छावनी या कैंटोनमेंट बोर्ड

(ई) संविधान के छठी अनुसूची के तहत गठित एक क्षेत्रीय परिषद या एक जिला परिषद;

GST By Sudhir Halakhandi

(एफ) संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत गठित एक विकास बोर्ड;

(जी) संविधान के अनुच्छेद 371 ए के तहत गठित एक क्षेत्रीय परिषद;

70. <u>LOCATION OF RECEIPIENT OF SERVICE:-</u>

(70) "सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान" का अर्थ है, -

(ए) जहां व्यापार की जगह पर एक आपूर्ति प्राप्त की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, इस तरह के व्यवसाय का स्थान;

(बी) जहां किसी व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी जगह पर आपूर्ति प्राप्त की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (कहीं एक निश्चित प्रतिष्ठान), ऐसी निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान;

(सी) जहां एक से अधिक प्रतिष्ठानों में आपूर्ति की जाती है, चाहे व्यवसाय की जगह या निश्चित स्थापना, स्थापना की स्थिति आपूर्ति की प्राप्ति से सीधे संबंधित होती है; तथा

(डी) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, प्राप्तकर्ता के निवास के सामान्य स्थान का स्थान;

71. <u>LOCATION OF SUPPLIER OF SERVICE:-</u>

(71) "सेवाओं के सप्लायर का स्थान" का अर्थ है, -

(ए) जहां एक व्यापार के स्थान से आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, इस तरह के व्यवसाय का स्थान;

(बी) जहां एक व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी जगह से आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (कहीं एक निश्चित प्रतिष्ठान), ऐसी निश्चित स्थापना का स्थान;

GST By Sudhir Halakhandi

(सी) जहां आपूर्ति एक से अधिक प्रतिष्ठानों से की जाती है, चाहे व्यवसाय की जगह या निश्चित प्रतिष्ठान, स्थापना के स्थान को आपूर्ति के प्रावधानों से सीधे संबंधित किया जाए; तथा

(डी) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, आपूर्तिकर्ता के निवास के सामान्य स्थान का स्थान;

72. <u>MANUFACTURE</u>

(72) "निर्माण" का अर्थ किसी भी तरह से कच्चे माल या इनपुट का प्रसंस्करण होता है जिसके परिणामस्वरूप नए उत्पाद का एक अलग

नाम, चरित्र और उपयोग के साथ निर्माण होता है और इसके साथ ही "निर्माता" शब्द तदनुसार लगाया जाएगा;

73. MARKET VALUE

(73) "मार्केट वैल्यू" का मतलब पूर्ण राशि है जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ती पर प्राप्तकर्ता को भुगतान करना है जो गुणवत्ता और किस्म में सामान ह,ै उसी समय एवं उसी व्यापारिक स्तर पर प्राप्त की जा सकती है जब कि आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता आपस में एक दूसरे से सम्बंधित नहीं है .

74.MIXED SUPPLY:-

(74) मिश्रित आपूर्ति का अर्थ है करयोग्य व्यक्ति द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं या सेवाओं अथवा उनके किसी संयोजन की एक ही मूल्य पर आपूर्ति जहाँ यह आपूर्ति सयुक्त आपूर्ति के रूप में परिभाषित नहीं की जा सकती है .

GST By Sudhir Halakhandi

उदाहरण :- एक डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मिठाई, चॉकलेट, केक, सूखे फल, शीतल पेय और फलों के रस से मिलने वाले पैकेज की आपूर्ति जिसका मूल्य एक ही है तो यह एकल कीमत मिश्रित आपूर्ति है इनमें से प्रत्येक आइटम को अलग से आपूर्ति की जा सकती है और ये वस्तुए आपस में एक दुसरे पर निर्भर भी नहीं है और जब इन सभी की अलग -अलग आपूर्ति की जाती है तब यह यह मिश्रित आपूर्ति नहीं होगी

75. MONEY

(75) "धन" का अर्थ है भारतीय कानूनी निविदा या कोई विदेशी मुद्रा, जांच, वचन पत्र, विनिमय बिल, क्रेडिट का पत्र, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, यात्री चेक, मनीऑर्डर, डाक या इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण या किसी भी अन्य साधन जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिसे दायित्व तय करने या विनिमय करने के लिए विचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसमें कोई भी मुद्रा शामिल नहीं होगी जो अपने "सिक्का मूल्य" के लिए रखी जाती है.

GST By Sudhir Halakhandi

76. <u>MOTOR VEHICLE:-</u>

(76) "मोटर वाहन" का अर्थ वही लिया जाएगा जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1 9 88 की धारा 2(28) में दिया गया है .

77.<u>NON RESIDENT TAXABLE PERSON:-</u>

(77) "अनिवासी कर योग्य व्यक्ति" का अर्थ किसी भी व्यक्ति को कभी-कभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से संबंधित लेनदेन का कार्य करता है, चाहे वह प्रिंसिपल या एजेंट या किसी अन्य क्षमता में, लेकिन जिसका भारत में व्यापार अथवा निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है.

78. <u>NON TAXABLE SUPPLY:-</u>

(78) "गैर-कर योग्य आपूर्ति" का मतलब माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति है जिनपर इस अधिनियम के तहत या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के तहत कर नहीं लग सकता है.

79. NON TAXABLE TERRITORY :-

(79) "गैर-कर योग्य क्षेत्र" का मतलब उस क्षेत्र से है जो कर योग्य क्षेत्र के बाहर है.

80. NOTIFICATION:-

(80) "अधिसूचना" का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है अभिव्यक्ति "सूचित करें" और "अधिसूचित" का निर्धारण भी इसी के अनुसार किया जाएगा;

GST By Sudhir Halakhandi

81.OTHER TERRITORY:-

(81) "अन्य क्षेत्र" जो कि इस अधिनियम की धारा 114 (ए) (ई) में उल्लेखित है और किसी में एक राज्य में शामिल नही है.

82.OUTPUT TAX:-

(82) कर योग्य व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट टैक्स" का मतलब है, टैक्स के दायरे में सामान या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति या दोनों पर उसके द्वारा या उसके एजेंट द्वारा चार्ज किया हुआ कर जिसमें इस अधिनियम लेकिन रिवर्स चार्ज के आधार पर देय कर शामिल नहीं है;

83.OUTWARD SUPPLY:-

(83) कर योग्य व्यक्ति के संबंध में "बाह्य आपूर्ति", माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति , चाहे बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराये, पट्टे या निपटान या किसी अन्य तरीके की गई या करने की लिए सहमति दी गई है जो कि व्यापार के दौरान या व्यापार को बढाने के लिये की गई हो.

84. PERSON:-

(84) "व्यक्ति" में शामिल हैं-

(ए) एक व्यक्ति; INDIVIDUAL

(बी) एक हिंदू अविभाजित परिवार; HUF

(सी) एक कंपनी; COMPANY

(डी) एक फर्म; FIRM

GST By Sudhir Halakhandi

(ई) एक सीमित देयता भागीदारी; LLP

(एफ) व्यक्तियों का एक संगठन या व्यक्तियों का एक संगठन, चाहे इसमें वह इंकॉर्पोरेटेड हो या नहीं, चाहे भारत में स्तिथ हो या भारत के बाहर;

(जी) किसी भी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या इसके तहत स्थापित या किसी भी निगम प्रांतीय अधिनियम या एक सरकारी कंपनी के रूप में परिभाषित के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) परिभाषित ।

(एच) भारत के बाहर किसी देश के कानूनों के तहत या उसके तहत शामिल किसी भी संस्था

(आई) सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति.

(जे) एक स्थानीय प्राधिकरण; Local Authority

(के) केंद्र सरकार या एक राज्य सरकार;

(एल) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत परिभाषित सोसाइटी;

(एम) ट्रस्ट; तथा

(एन) हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो ऊपर से किसी में शामिल नहीं है.

85. <u>PLACE OF BUSINESS</u>

(85) "व्यापार का स्थान" में शामिल हैं--

(ए) जहां से सामान्यतः व्यापार किया जाता है और एक गोदाम, गोदाम या किसी अन्य जगह पर जहां एक कर योग्य व्यक्ति अपना माल रखता है , अपने सामान या सेवा की आपूर्ति करता है, सामान या सेवाओं या दोनों को प्राप्त करता है; या

GST By Sudhir Halakhandi

(बी) एक ऐसा स्थान जहां एक कर योग्य व्यक्ति खाते की अपनी पुस्तकें रखता है; या

(सी) एक ऐसा स्थान जहां एक कर योग्य व्यक्ति व्यवसाय में किसी एजेंट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है;

86.<u>PLACE OF SUPPPLY:-</u>

(86) "आपूर्ति की जगह" का अर्थ है एकीकृत आपूर्ति और सेवा कर अधिनियम के अध्याय वी में उल्लिखित आपूर्ति की जगह;

87. <u>PRESCRIBED:-</u>

(87) "निर्धारित (Presscribed)" का मतलब परिषद की सिफारिशों पर इस अधिनियम के तहत किए गए नियमों द्वारा निर्धारित;

88. PRINCIIPAL:-

(88) "प्राचार्य" का अर्थ है जिसकी ओर से किसी एजेंट को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या प्राप्ति के व्यवसाय पर किया जाता है;

89. PRINCIPALPLACE OF BUSINESS:-

(8 9) "व्यवसाय का प्रमुख स्थान" का अर्थ है पंजीकरण के प्रमाण पत्र में व्यवसाय की प्रमुख जगह के रूप में निर्दिष्ट व्यवसाय की जगह;

90.PRINCIPAL SUUPPLY:-

GST By Sudhir Halakhandi

(9 0) "प्रमुख आपूर्ति" का मतलब माल या सेवाओं की आपूर्ति है जो समग्र आपूर्ति का प्रमुख तत्व है और जिसके लिए उस संयुक्त आपूर्ति का हिस्सा बनने वाला कोई अन्य सहायक सहायक है;

91.PROPER OFFICER:-

(9 1) इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में "उचित अधिकारी" का अर्थ है आयुक्त आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई केंद्रीय अधिकारी.

92. QUARTER:-

(9 2) "क्वॉर्टर" का मतलब तीन साल के लगातार कैलेंडर महीनों में शामिल होता है, जो मार्च, जून, सितम्बर और दिसंबर के आखिरी दिन समाप्त होता है

93. RECIPIENT:-

(9 3) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का "प्राप्तकर्ता", का अर्थ है -

(ए) जहां सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए एक प्रतिफल देय है, वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;

(बी) जहां माल की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है तो जिस व्यक्ति को सामान वितरित या उपलब्ध कराया जाता है, या जिसके पास माल को सौंपा जाता है या जिसे उसका उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है .

GST By Sudhir Halakhandi

(सी) जहां कोई सेवा की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, जिस व्यक्ति को सेवा प्रदान की जाती है, और यहाँ जिस किसी व्यक्ति सेवा प्रदान की गई है को आपूर्ति करने के लिए किसी व्यक्ति का संदर्भ आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और उसमें एक एजेंट को भी शामिल किया जाएगाजो कि उस व्यक्ति की और से सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में प्राप्तकर्ता की तरफ से कार्य करता होगा;

94. REGISTERED PERSON:-

(9 4) "पंजीकृत व्यक्ति" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो धारा 25 के तहत पंजीकृत है, लेकिन इसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identity Nmber) वाला व्यक्ति शामिल नहीं है.

95. REGULATIONS:-

(9 5) "नियम" का अर्थ है परिषद द्वारा की गई सिफारिशों पर इस अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम;

96. REMOVAL :-

(96) माल के संबंध में "रिमूवल ", का अर्थ-

(ए) आपूर्तिकर्ता द्वारा या ऐसे आपूर्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले कोई अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी वितरण के लिए माल का प्रेषण; या

GST By Sudhir Halakhandi

(बी) प्राप्तकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल की प्राप्ती;

97. RETURN:-

(97) **"रिटर्न"** का अर्थ है इस अधिनियम के तहत या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कि कोई भी रिटर्न निर्धारित है या अन्यथा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है;

98. REVERSE CHARGE:-

(98) "रिवर्स चार्ज" का मतलब है की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करने की देयता माल या सेवाओं या दोनों के बजाय ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों के सप्लायर के स्थान पर उप-धारा (3)

या धारा 9 के उप-धारा (4) के तहत, या उप-धारा (3) या उप-एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की धारा (4);

99. REVISIONAL AUTHORITY:-

(99) "संशोधन प्राधिकरण" का मतलब है प्राधिकृत या प्राधिकृत करने के लिए खंड 108 में उल्लेखित फैसले या आदेश का संशोधन;

100. SCHEDULE:-

(100) "अनुसूची" का अर्थ इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची;

101. SECURITIES:-

(101) "सिक्योरिटीज" का अर्थ उसी अर्थ के रूप में होगा जो इसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1 9 56 की धारा के खंड (एच) में दिया गया है.

GST By Sudhir Halakhandi

102 . SERVICES:-

(102) "सेवाएं" माल, मुद्रा और प्रतिभूतियों के अलावा सभी कुछ शामिल है लेकिन इसमें पैसे के इस्तेमाल से संबंधित गतिविधियों जिसमें मुद्रा का उपययोग एवं नकदी द्वारा या किसी भी अन्य मोड द्वारा किसी एक रूप से किसी अन्य रूप में रूपांतरण संबंधित गतिविधियां शामिल हैं जिसके लिए एक अलग प्रतिफल लिया जाता है;

103. STATE:-

(103) "राज्य" में **“विधानमंडल के साथ एक संघीय क्षेत्र”** शामिल है;

104.**<u>STATE TAX:-</u>**

(104) "राज्य कर" का मतलब किसी भी राज्य के सामान और सेवा कर अधिनियम के तहत लगाया गया कर.

105. <u>SUPPLIER:-</u>

(105) किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में "आपूर्तिकर्ता" का मतलब, उस सामान या सेवाओं या दोनों को आपूर्ति करने वाला व्यक्ति होगा और इसमें ऐसे एजेंट को शामिल करना होगा जो सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे आपूर्तिकर्ता की ओर से आपूर्ति करता है.

GST By Sudhir Halakhandi

106. <u>TAX PERIOD-</u>

(106) "कर अवधि" का मतलब उस अवधि के लिए होता है जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है.

107. <u>TAXABLE PERSON :-</u>

(107) "कर योग्य व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत या पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है;

<u>108. TAXABLE SUPPLY:-</u>

(108) "कर योग्य आपूर्ति" का मतलब माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों, जो इस अधिनियम के तहत कर के लिए उद्ग्रहण योग्य है.

109.TAXABLE TERRITORY

(109) "कर योग्य क्षेत्र" का मतलब उस क्षेत्र का है जिसमें इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं;

110. TELECOMMUNICATION SERVICES:-

(110) "दूरसंचार सेवा" का अर्थ किसी भी प्रकार की जानकारी (इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल, डेटा सेवाओं, ऑडियो टेक्स्ट सेवाओं, वीडियो टेक्स्ट सेवाओं, रेडियो पेजिंग और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं) से है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी ट्रांसमिशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है या तार, रेडियो, दृश्य या अन्य विद्युत चुम्बकीय साधनों द्वारा किसी भी प्रकृति के लक्षण, संकेत, लेखन, चित्र और ध्वनियों या बुद्धि का रिसेप्शन;

GST By Sudhir Halakhandi

111. STATE GOODS AND SERVICE TAX ACT

(111) "राज्य माल और सेवा कर अधिनियम" से संबंधित राज्य सामान और सेवा कर अधिनियम, 2017;

112. TURNOVER IN STATE OR TURNVER IN UNION TERRITORY:-

(112) "राज्य में कारोबार" या "संघीय क्षेत्र में कारोबार" का मतलब है सभी कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य (इनवर्ड्स की आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर, जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर देय है) और एक राज्य या एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा संघीय क्षेत्र, माल या सेवाओं का निर्यात या दोनों और माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति या

राज्य या संघीय क्षेत्र से बनाये गये कर योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए दोनों लेकिन केंद्रीय कर, राज्य कर, संघीय क्षेत्र
कर, एकीकृत कर और उपकर;

113. USUAL PLACE OF RESIDENCE:-

(113) "निवास की सामान्य जगह" का मतलब है -

(ए) किसी व्यक्ति के मामले में, जहां वह सामान्य रूप से रहता है;

(बी) अन्य मामलों में, वह जगह जहां व्यक्ति शामिल है या अन्यथा कानूनी रूप से गठित;

114. UNION TERRITORY:-

(114) "संघीय क्षेत्र" का अर्थ-

(ए) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह;

GST By Sudhir Halakhandi

(बी) लक्षद्वीप;

(सी) दादरा और नगर हवेली;

(डी) दमन और दीव;

(ई) चंडीगढ़; और

(एफ) अन्य क्षेत्र

स्पष्टीकरण .-- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट क्षेत्रों में से प्रत्येक को अलग संघीय क्षेत्र माना जाएगा;

115. UNION TERRITORY TAX:-

(115) "संघीय प्रदेश कर" का मतलब संघ राज्य के सामान और सेवा कर अधिनियम के तहत लगाए गए केंद्रीय क्षेत्र के सामान और सेवा कर;

116. UNION TERRITORY GOOD AND SERVICE TAX ACT,

(116) "संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम" का मतलब संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;

117. VALID RETUN:-

(117) "वैध रिटर्न " का मतलब है धारा 39 के उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत रिटर्न जिस पर स्वयं-मूल्यांकन कर भरा गया है;

GST By Sudhir Halakhandi

118. VOUCHER:-

(118) "वाउचर" का अर्थ उस साधन से है जहां इसे माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के लिए विचार या भाग पर विचार के रूप में स्वीकार करने का दायित्व है, जहां सामान या सेवाओं या दोनों को आपूर्ति की जा रही है या उनके संभावित आपूर्तिकर्ताओं की पहचान या तो इस उपकरण के उपयोग के नियमों और शर्तों सहित उपकरण या संबंधित दस्तावेजों पर संकेत दिया गया है;

119. WORKS CONTRACT:-

(119) "वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट " का अर्थ है किसी भी अचल संपत्ति के निर्माण, , रखरखाव, नवीकरण, परिवर्तन या कमीशन के लिए एक अनुबंध जिसका माल में संपत्ति का स्थानांतरण होता है (चाहे सामान

के रूप में या किसी अन्य रूप में) ऐसे अनुबंध के निष्पादन में शामिल है;

(120) इस अधिनियम में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्ति नहीं, लेकिन एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम में परिभाषित, संघ राज्य सामान और सेवा कर अधिनियम और सामान और सेवा कर (राज्यों के लिए मुआवजा) अधिनियम का अर्थ उसी अर्थ होगा उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा;

(121) इस अधिनियम में कोई भी कानून जो जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, के संदर्भ में, उस राज्य के संबंध में, उस राज्य के लागू होने के संबंध में, यदि कोई हो, तो संबंधित कानून का संदर्भ माना जाएगा।

GST By Sudhir Halakhandi

****

अध्याय -2 - क्या है जी.एस.टी. एक परिचय

सरकार अब एक जुलाई 2017 से जी.एस.टी. लागू करने वाली है इसलिए सरल हिन्दी भाषा में आपको जी.एस.टी. की प्रारम्भिक जानकारी व्यापार एवं उद्योग को देने के लिए एक ई - बुक जी.एस.टी. जारी कर रहे है इसे आप पढ़कर समझने की कोशिश करें कि आने वाले समय में आपको किस प्रकार से जी.एस.टी. कानून का पालन करना है और किस तरह यह आपके उद्योग एवं व्यापार को प्रभावित करेगा.

जी.एस.टी. के दौरान आपको प्रारम्भिक रूप से यह देखना है कि अब आपको एक ही बिक्री/सप्लाई पर दो करों को एकत्र करना है और इस कानून का पालन यह माल एवं सेवाओं को मिलाते हुए करना है . ये दो कर निम्न प्रकार होंगे :-

GST By Sudhir Halakhandi

(1).राज्य का जी.एस.टी.

(2) केंद्र का जी.एस.टी.

इन्हें इस कानून के तहत एवं इस पुस्तक में भी आगे एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. के रूप में जाना जाएगा.

जी.एस.टी. के दौरान कर बिक्री पर नहीं बल्कि सप्लाई पर लगेगा और इससे क्या फर्क पडेगा इसे हम आगे के भागों में समझेंगे.

अभी आप जी.एस.टी. का प्रारम्भिक स्वरुप समझने का प्रयास करें .

आइये इसे एक उदाहरण के जरिये समझने की कोशिश करें

जयपुर (राजस्थान) का एक व्यापारी “अ” जयपुर के ही एक दूसरे व्यापारी “ब” को कोई माल 10 लाख रुपये में बेचता है और

मान लीजिये कि राज्यों के जी.एस.टी. की दर 8 प्रतिशत है एवं केंद्र के जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत रहती है इस प्रकार जी.एस.टी. की कुल दर 18 प्रतिशत हुई (फिलहाल मान लीजिये) तो "अ" इस व्यवहार में 80000.00 रुपये एस.जी.एस.टी. (राज्य का जी.एस.टी.) एवं 1.00 लाख रुपये सी.जी.एस.टी. (केंद्र का जी.एस.टी.) के रूप में अपने खरीददार "ब" से वसूल करेगा.

आइये इस सौदे का दूसरा भाग देखें

आइये अब इस व्यवहार को और भी आगे ले जाएँ और देखें कि इसी माल को जयपुर का "ब" नामक व्यापारी अब राजस्थान के ही अन्य शहर जोधपुर के किसी अन्य व्याप री "स" को 10.50 लाख रुपये में बेचता है तो वह 84000.00रुपये एस.जी.एस.टी. एवं 1.05 लाख रुपये सी.जी.एस.टी. के रूप में वसूल करेगा. .

GST By Sudhir Halakhandi

राज्य और केंद्र सरकार को राजस्व के रूप में क्या मिलेगा

यहाँ ध्यान रखे कि "ब" पहले से ही एस.जी.एस.टी. के रूप में अपना माल खरीदते हुए 80000.00 रूपये का भुगतान कर चुका है एवं सी.जी.एस.टी. के रूप में 1.00 लाख रुपये का भुगतान इसी प्रकार कर चुका है एवं इस प्रकार "ब" की इनपुट क्रेडिट एस.जी.एस.टी. के रूप में 80000.00 रुपये है एवं सी.जी.एस.टी. के रूप में इनपुट क्रेडिट 1.00 लाख रुपये है जिसे वह अपने द्वारा "स" से वसूल किये गए कर में घटा कर जमा करा देगा.

इस प्रकार "ब" एस.जी.एस.टी. के रूप में (रुपये 84000.00 - रुपये 80000.00) 4000.00 रुपये का भुगतान राज्य के खजाने में

जमा कराएगा एवं इसी प्रकार से सी.जी.एस.टी. (रुपये 1.05लाख - रुपये 1.00 लाख) 5000.00 रुपये केन्द्रीय सरकार के खजाने में जमा कराएगा.

इस पूरे व्यवहार को देंखे तो इससे केंद्र सरकार को 1.05 लाख रूपये का कर मिलेगा और और राज्य सरकार को 84000.00 रुपया कर को मिलेगा.

क्या राज्य के भीतर ही बिक्री होने पर भी राज्य और केंद्र दोनों का कर देना होगा

GST By Sudhir Halakhandi

यहाँ यह ध्यान रखें कि राज्य के भीतर माल का वितरण या बिक्री करने पर भी केंद्र और राज्य दोनों को कर देना होगा और अब से सभी डीलर्स (कम्पोजीशन डीलर्स को छोड़कर) एक ही बिल में "दो कर" जैसा कि ऊपर बताया गया है एक ही बिल में लगाएगा और यह तथ्य कि एक ही बिल में अब डीलर्स को दो टैक्स लगाने होंगे जो की फिलहाल आपके लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य हो सकता है . लेकिन आप अब समझ ही लें कि यही जी.एस.टी. है .

जी.एस.टी. जैसा कि ऊपर बताया गया है उसी तरह से लगेगा और इसके साथ ही राज्यों में लगने वाला वेट और केंद्र में लगने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अर्थात सेंट्रल एक्साइज भी समाप्त हो जाएगा. इसके अतिरिक्त भी राज्यों एवं केंद्र के लगने वाले कुछ अन्य कर भी समाप्प्त हो जायेंगे जिनमें केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात सेंट्रल एक्साइज , सर्विस टैक्स इत्यादि भी शामिल है .

यह जी.एस.टी. का प्रारम्भिक स्वरुप है और चूँकि आप इसका पहला भाग पढ़ रहे है इसलिए यह आपको थोड़ा समझने में तकलीफ दे सकता है लेकिन आप इसे अच्छी तरह से पढ़े और समझे क्यों कि एक जुलाई 2017 (या जैसी कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है 1 सितम्बर 2017 से आपको ही इसका पालन करना है .इसे पढने और समझने इसका पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है .

GST By Sudhir Halakhandi

अध्याय -3

जी.एस.टी. और दो राज्यों के बीच का व्यापार (अंतरप्रांतीय बिक्री- Interstate Sale)

जी.एस.टी. के दौरान सी.एस.टी. अर्थात केन्द्रीय बिक्री कर का कोई अस्तित्व नहीं होगा .

आइये अब हम समझाने की कोशिश करें कि केन्द्रीय बिक्री कर क्या है और यह वेट एवं इसके बाद जी.एस.टी.की राह में क्यों एक बाधा माना जाता रहा है .वर्तमान में केन्द्रीय बिक्री कर निर्माता राज्यों के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है .

GST By Sudhir Halakhandi

जब वर्ष 2006 में राज्यों में वेट लागू किया गया था तब केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात सी.एस.टी. को सबसे बड़ी बाधा माना गया था और यह वादा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत से इस दर को गिराकर अंत में

इस कर को समाप्त कर दिया जाएगा लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया और आज भी यह दर दो प्रतिशत पर कायम है और इसके साथ ही केन्द्रीय बिक्री कर पर एकत्र किये जाने वाले सी- फॉर्म की समस्या से पूरा ही व्यापार एवं उद्योग जगत परेशान है .

आइये पहले समझ ले कि केन्द्रीय बिक्री कर क्या है क्यों कि आम तौर पर इसका नाम यह संकेत देता है कि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया एक कर है जब कि सच्चाई यह है कि यह बिक्री करने वाले राज्य द्वारा दो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार पर वसूल किया जाने वाला कर है और देश के विकसित राज्य जिन्हें हम निर्माता राज्य भी कह सकते है इस कर से काफी राजस्व एकत्र करते है .

जी.एस.टी. एक अंतिम बिंदु पर अंतिम उपभोक्ता पर लगने वाला कर है अत; केन्द्रीय बिक्री कर का इसमे कोई स्थान नही होगा और इससे विकसित राज्यों अर्थात बिक्री करने वाले राज्यों के राजस्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पडेगा जिसके बारे में भी केंद्र को इन राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई करनी पड़ेगी.

GST By Sudhir Halakhandi

जी.एस.टी. के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात सी.एस.टी. की समाप्ती सारे देश के डीलर्स को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है लेकिन इसी प्रकार की बिक्री पर आगे एक और कर प्रणाली के तहकि त कर लगने वाला है जो कि आई.जी.एस.टी.- integrated Goods and Service Tax के नाम से लगने वाली है वह अब अंतर्राजीय व्यापर के दौरान बिक्री /सप्लाई डीलर्स को पालन करनी होगी.

अंतर्राजीय बिक्री के दौरान C-forms की जरुरत तो समाप्त हो जायेगी लेकिन ऐसा को आश्वासन हमारे कानून निर्माता रोड परमिट

के बारे में नहीं दे रहे है और जिस प्रकार के संकट मिल रहें है उनके अनुसार रोड परमिट जारी रहेंगे और अब इनका स्वरुप ई-वे बिल Electronic Way bill के रूप में होगा जिसका अध्ययन हम आगे के अध्याय में करेंगे.

इसके अतिरिक्त जी.एस.टी.बिक्री पर नहीं बल्कि सप्लाई पर लगेगा इस प्रकार ब्रांच और डिपो ट्रान्सफर भी कर के दायरे में आ जायंगे और माल बेचने और बिक्री के लिए भेजने के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा . इस प्रकार सी- फॉर्म (C-form) की तरह ही एफ -फॉर्म (F-form) भी समाप्त हो जायेंगे .

**

GST By Sudhir Halakhandi

अध्याय -4

IGST- इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सर्विस टैक्स

आइये अब देखे कि दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को आई.जी.एस.टी.- "इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सर्विस टैक्स" के जरिये किस तरह नियंत्रित किया जाएगा :-

दो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार पर निगरानी रखने या जी.एस.टी. के इस प्रकार की बिक्री के लिए एक आई.जी.एस.टी. मॉडल भी तैयार कर किया गया है जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में कर रहे है .

GST By Sudhir Halakhandi

लेकिन यह ध्यान रखे कि यह केन्द्रीय बिक्री कर के स्थान पर लगने वाला कोई नया कर (एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. के अतिरिक्त तीसरा कर)नहीं है बल्कि एक ऐसा तंत्र है जिसके जरिये दो राज्यों के बीच हुए व्यापार पर नजर रखी जा सके एवं यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि कर का एक हिस्सा उस राज्य को मिले जहाँ अंतिम उपभोक्ता निवास करता है और दूसरा हिस्सा केंद्र सरकार को .

जी.एस.टी. के तहत सूचना तकनीकी की सहायता से एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा जिससे दो राज्यों के मध्य माल एवं सेवा के अंतरप्रांतीय व्यापार पर निगरानी भी रखी जा सके एवं यह भी

सुनिश्चित किया जा सके कि “कर” का एक भाग को कि राज्यों को जाना है वह अंतिम उपभोक्ता के राज्य को ही मिले .

यहाँ ऊपर पहले ही यह बताया जा चुका है कि यह केन्द्रीय बिक्री कर की जगह लगने वाला कोई नया कर नहीं है लेकिन यह “आई.जी.एस.टी.” भी उद्योग एवं व्यापार के लिए प्रक्रियात्मक उलझाने तो बढाने वाला ही है .

आइये देखे कि यह आई.जी.एस.टी. मॉडल किस तरह से काम करेगा :-

(i). अंतरप्रांतीय व्यापर के दौरान बिक्री करने वाला डीलर अपने खरीददार से आई.जी.एस.टी. के रूप में एक कर एकत्र कर केन्द्रीय सरकार के खजाने में जमा कराएगा.

इस कर की दर एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. की दर को मिलाकर बनेगी. उदाहरण के लिए मान लीजिये कि एस.जी.एस.टी. की दर 8 प्रतिशत है एवं सी.जी.एस.टी. की दर भी 10 प्रतिशत है तो आई.जी.एस.टी. के रूप में जमा कराया जाने वाला कर 18 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराया जाएगा.

GST By Sudhir Halakhandi

(ii). अपना आई.जी.एस.टी. जमा कराते समय विक्रेता अपने द्वारा इस माल ,को जो कि उसने अंतरप्रांतीय बिक्री के दौरान बेचा है, की खरीद पर चुकाए गये एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट लेगा.

(iii) . विक्रेता का राज्य इस बिक्री किये गए माल के सम्बन्ध में विक्रेता ने जो विक्रेता राज्य में भुगतान किये गए एस.जी.एस.टी.की क्रेडिट ली है उतनी राशि केंद्र सरकार के खजाने में हस्तांतरित कर देगा.

(iv). अंतरप्रांतीय बिक्री के दौरान खरीद करने वाला क्रेता, जब भी यह

माल बेचेगा तो अपनी आई.जी.एस.टी की इनपुट क्रेडिट क्रमशः आई .जी.एस.टी. , सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी.(इसी क्रम में) के भुगतान की जिम्मेदारी में से लेने का हक़ होगा .

(v). जितनी राशि की इनपुट क्रेडिट अपनी एस.जी.एस.टी. चुकाते समय उपभोक्ता राज्य का व्यापारी आई.जी.एस.टी. में से लेगा उतनी रकम केंद्र उपभोक्ता राज्य के खाते में हस्तांतरित कर देगा इस तरह आई.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट क्रेता आई.जी.एस.टी. की भुगतान की जिम्मेदारी में से ले सकता है और ऐसी कोई जिम्मेदारी खरीददार की नहीं है तो इसका इनपुट सी.जी.एस.टी. की जिम्मेदारी में से लेगा और उसके बाद भी आई.जी.एस.टी. की क्रेडिट बच जाती है तो उसे एस.जी.एस.टी. के तहत भी लिया जा सकता है .

इस प्रकार एस.जी.एस.टी. के रूप में मिलने वाला पूरा राजस्व अंतरप्रांतीय व्यापर के दौरान भी उपभोक्ता राज्य को ही मिल जाएगा.

GST By Sudhir Halakhandi

अध्याय -5

कर की दर - RATE OF TAX

जी.एस.टी. को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल व्यापार एवं उद्योग में लगे हुए कर दाताओं के मन में है कि जिस वस्तु का वे उत्पादन एवं व्यापर कर रहें है उस पर कर की दर क्या है !!!

इसी से जुडा यह भी सवाल है कि किन -किन वस्तुओं को कर मुक्त रखा जा रहा है ?

आइये इस अध्याय में कर की दरों के बारे में कुछ अध्ययन करते है. इसके लिए हम कुछ प्रश्नों का सहारा ले रहे हैं :-

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :- कर की मुख्य दरें क्या होगी

केंद्र और राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों की सयुन्क्त रूप से बनी जी.एस.टी. कौंसिल के सदस्यों , जिनमे राज्य और केंद्र दोनों के प्रतिनिधी शामिल है , ने कर की दरों के सम्बन्ध में एक फैसला ले लिया है और उनके द्वारा 4 दरों की बात की गई है .

यह दरें 5 प्रतिशत , 12 प्रतिशत , 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत होंगी . इन दरों के दौरान विभिन्न कर की दरों के अंतर्गत

करयोग्य वस्तुओं की सूची जारी कर दी गई है और यह 213 पृष्ठ की यह सूचि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं कस्टम्स की साईट पर उपलब्ध है जिसे आप अपनी वस्तु पर कर की दर मालुम करने के लिए देख सकते है .

प्रश्न:- कौनसी वस्तुएं करमुक्त रहेंगी ?

जिस सूचि का जिक्र अभी उपर किया है उसमें जो NIL टैक्स की सूचि उन वस्तुंओं पर कोई कर नहीं लगेगा. खाध्यान सहित आवश्यक उपभोग की कई वस्तुओं को टैक्स फ्री रखा जा रहा है . इस लिहाज से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल तमाम वस्तुओं में से करीब 50 प्रतिशत वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगेगा और यह वस्तुएं करमुक्त की श्रेणी में आयेंगी . गेंहू , चावल , दालें , मक्का , बाजरा, दही , लस्सी , अंडे, आटा, इत्यादि जो इस समय अधिकाँश राज्यों में करमुक्त है के जी.एस.टी. के दौरान भी करमुक्त रहेंगे .

GST By Sudhir Halakhandi

जौ कई राज्यों में इस समय कर योग्य है लेकिन जी.एस.टी. में इसे करमुक्त कर दिया गया है .

प्रश्न :- अन्य दरों में कौन - कौन सी वस्तुएं समाहित होंगी ?

सबसे निम्न दर आम उपभोग की वस्तुओं पर लागू होगी जो कि 5 प्रतिशत की दर होगी .

शेष वस्तुओं पर या तो 12 प्रतिशत कर की दर होगी या फिर 18 प्रतिशत जिसे की “स्टैण्डर्ड रेट” कहा गया है.

सबसे ऊंची दर विलासिता और तंबाकू जैसी अहितकर वस्तुओं

पर 28 प्रतिशत लागू होगी. ऊंची दर के साथ इन पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जायेगा.

प्रश्न :- सोने - चांदी जेवरात इत्यादि पर कर की दर क्या होगी ?

सोने पर 3 या 4 प्रतिशत की दर लगाए जाने की संभावना है लेकिन आधिकारिक रूप से अभी इस सम्बन्ध में अंतिम कुछ भी नहीं आया है . यह तीन जून को होने वाली जी.एस.टी. कौंसिल की मीटिंग में तय किया जाएगा .

तीन जून 2017 को ही जी.एस.टी. कौंसिल की मीटिंग में सोना , चांदी एवं मूल्यवान धातुओं के साथ टेक्सटाइल , बीडी , जूते इत्यादि पर भी कर की दर तय होनी है .

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-निर्यात पर कर का क्या होगा ?

सभी प्रकार के एक्सपोर्ट “शून्य कर” की श्रेणी में आयेंगे और इनके लिए जो भी इनपुट होगा चाहे वह सर्विस के लिए हो या गुड्स के लिए रिफंड कर दिया जाएगा . यही प्रणाली अभी भी लागू है .

प्रश्न :- सेवाओं पर कर की दर क्या हो सकती है ?

अधिकाँश सेवाओं पर अभी प्रभावी सेवा कर की दर 15 प्रतिशत है जो कि 18 प्रतिशत होने की सम्भावन थी और अधिकाँश सेवाओं के साथ वैसा ही हुआ है लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं

पर कर की दर अभी की तरह ही कम रखी गई है . सेवाओं की दरों को भी माल की तरह ही 5%, 12% , 18% और 28% में बांटा गया है लेकिन अधिकाँश सेवाएं 18% की दर से करयोग्य होंगी .

इस सम्बन्ध में ध्यान रखें कि चिकित्सा , शिक्षा एवं कृषी सम्बन्धी सेवाओं को पहले की तरह अभी भी करमुक्त ही रखा गया है और इसके अतिरिक्त अभी और जो भी सेवाएं करमुक्त है फिलहाल उन सभी सेवाओं को भी जी.एस.टी. में कर के दायरे में नहीं लिया गया है .

सेवाओं पर भी कर की दर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं कस्टम की साईट पर लगी हुई है जिन्हें देखकर आप अपने द्वारा प्रदान की आने वाली सेवाओं पर कर की दर मालुम कर सकते है .

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-क्या अलग अलग वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी गई है ?

-हाँ , कुछ वस्तुओं को छोडकर जिन पर कर की दर 3 जून 2017 को तय होगी कर की दरें तय हो चुकी है और जैसा कि ऊपर बताया गया है यह एक 213 पृष्ठ की सूचि है जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं कस्टम विभाग की साईट पर उपलब्ध है एवं इसके अतिरिक्त सेवा कर की दरें भी साईट पर उपलब्ध है.

****

अध्याय - 6

जी.एस.टी. रिटर्नस

जी.एस.टी. को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया का जो आपको पालन करना होगा वह है जी.एस.टी. के रिटर्न भरना .

आइये आज इस अध्याय में जी.एस.टी. के रिटर्न भरने की प्रक्रिया के बारे में बात करते है और इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे उन करदाता की जो कि सामान्य करदाता है अर्थात वे करदाता जो सामान्य रूप से जी.एस.टी. का कर भुगतान करेंगें और जिन्होंने कम्पोजीशन कर भुगतान का विकल्प नहीं लिया है. अधिकाँश डीलर्स जी.एस.टी. के तहत इसी श्रेणी में आयेंगे अत: सबसे पहले इसी श्रेणी के लिए रिटर्न की चर्चा करते है :-

GST By Sudhir Halakhandi

कुल कितने रिटर्न होंगे

आपको प्रत्येक माह तीन रिटर्न भरने होंगे जो पूरी तरह से एक दुसरे से अलग होंगे तो आइये पहले हम यह देखें कि ये तीन रिटर्न कौनसे होंगे एवं कि अवधि में पेश करने होंगे :-

रिटर्न का नाम	विवरण	कब तक पेश करना है
GSTR-1	मासिक बिक्री का विवरण	अगले माह की 10 तारीख तक
GSTR-2	मासिक खरीद का विवरण	अगले माह की 15

		तारीख तक (10 तारीख के पूर्व यह रिटर्न नहीं भरा जा सकता है अर्थात इसे आपको 10 से 15 तारीख के बीच भरना है).
GSTR-3	मासिक कर का रिटर्न	अगले माह की 20 तारीख तक.
GSTR-9	वार्षिक रिटर्न	वित्तीय वर्ष की समाप्ती के बाद 31 दिसम्बर तक.

इस प्रकार आप देखेंगे कि कुल पूरे वर्ष में आपको एक वार्षिक रिटर्न को मिलाते हुए कुल 37 रिटर्न भरने होंगे . इसके आपको हर माह के बाद 10 दिन ,15 दिन एवं 20 दिन मिलेंगे और इस प्रक्रिया का पालन आपको हर माह करना होगा.

GST By Sudhir Halakhandi

अब आगे हम देखेंगे कि ये तीनों मासिक रिटर्न किस तरह भरे जाएंगे और यह रिटर्न सरकार द्वारा विकसित जी.एस.टी.एन. नामक नेटवर्क पर भरना पडेगा और सभी कुछ सूचना तकनीक पर आधारित होगा और जी.एस.टी. पूरा का पूरा सुचना तकनीक पर आधारित होगा इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है क्यों कि इस समय सेंट्रल एक्साइज , सर्विस टैक्स और अधिकाँश राज्यों में वेट भी इसी तकनीक पर अर्थात ऑनलाइन ही भरे जा रहे है .

जी.एस.टी. पूरी तरह से सूचना तकनीक पर आधारित होगा लेकिन फिर भी आपको इससे जुड़े प्रावधानों के पालन के लिए ना सिर्फ काफी मेहनत करनी होगी बल्कि समय की मुश्किल सीमा का भी पालन करना होगा क्यों कि आपके रिटर्न पर ही आपके खरीददारों के रिटर्न भी निर्भर है और आपके विक्रेताओं के रिटर्न पर आपका रिटर्न निर्भर होगा. यदि आप अपना रिटर्न सही एवं समय पर नहीं भरते है तो आपके खरीददारों के लिए "मिसमैच" की समस्या पैदा होगी और यदि आपके विक्रेता अपना रिटर्न सही एवं समय पर नहीं भरते है तो आपके लिए मिसमैच की समस्या खड़ी हो जायेगी और जी.एस.टी. के दौरान आपको मिसमैच की समस्या को हल करने के लिए सिर्फ दो माह का समय ही मिलेगा आर यदि इस अवधि में मिसमैच की समस्या हल नहीं हुई तो आपको यह कर जमा कराना होगा और इसकी पुन: क्रेडिट आपको तभी मिलेगी जब आपका विक्रेता या सेवा प्रदाता इस समस्या को हल कर आपको की गई सप्लाई को अपने रिटर्न में दिखा दे.

GST By Sudhir Halakhandi

जी.एस.टी.एन आपकी रेटिंग तय करेगा

आपके सही समय पर रिटर्न भरने , कर जमा कराने के आधार पर आपकी रेटिंग भी तय की जायेगी जिसे समय - समय पर अपडेट भी किया जाएगा और यह रेटिंग (धारा 149) अन्य डीलर्स के देखे जाने के लिए भी उपलब्ध रहेगी अत: आपके लिए यह ही उचित होगा कि इन नियमो का उचित पालन करे ताकि आपके साथ व्यापार करने वाले वर्तमान एवं भावी डीलर्स पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े.

आइये अब तीन मुख्य रिटर्न्स का अध्ययन करें

जी.एस.टी.आर.-1
(धारा 37)

यह आपकी मासिक सप्लाई का रिटर्न होगा और इसमे आप द्वारा सप्लाई की गई माल एवं सेवाओं का जिक्र होगा.

यहाँ ध्यान रखे कि आप द्वारा जी.एस.टी. में रजिस्टर्ड डीलर्स को की गई सप्लाई चाहे वह राज्य के भीतर हो या दूसरे राज्य के डीलर को है , का विवरण प्रत्येक बिल का अलग -अलग देना होगा इस विवरण में खरीददार का जी.एस.टी.एन नंबर भी देना होगा.

GST By Sudhir Halakhandi

इसके अतिरिक्त जो सप्लाई उपभोक्ता या अन-रजिस्टर्ड डीलर्स को है उसका विवरण एक साथ देना होगा और इसकी विभाजन आपको कर की दर के हिसाब से करना होगा.

लेकिन यदि अन-रजिस्टर्ड को की गई किसी एक बिल से अन्तरप्रान्तीय (एक राज्य से दूसरे राज्य को) सप्लाई 2.50 लाख रूपये से अधिक है तो उसकी विगत भी आपको बिल सहित देनी होगी.

इसके अतिरिक्त यदि आप राज्य के बाहर बिक्री करते है और इस बिक्री में से 2.50 लाख रूपये से अधिक के बिल की छोड़ते हुए

(जिसकी बिल सहित विगत आप ऊपर लिखे अनुसार दे रहें है) बिक्री की सामूहिक विगत आपको "राज्य वार" देनी है अर्थात किस राज्य के डीलर को आपने कितनी बिक्री की है इसकी राज्यवार विगत देनी होगी .

आप जो सप्लाई इस रिटर्न में जी.एसटी.में रजिस्टर्ड डीलर्स को लेकर भरेंगे वो स्वत: ही जी.एस.टी.एन. नेटवर्क के जरिये आपके खरीददार डीलर के जी.एस.टी.आर -2 रिटर्न के एक भाग में आ जायेगी .

इस रिटर्न को भरते समय आपको HSN Code भी भरना होगा लेकिन यह किन डीलर्स को भरना होगा इसका अध्ययन हम आगे करेंगे.

GST By Sudhir Halakhandi

यह रिटर्न आपको महीना समाप्त होने के 10दिन के भीतर भरना होगा.यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आप 10 तारीख तक यह रिटर्न नहीं भरते हैं तो फिर आप यह रिटर्न अब आप 16 तारीख को या उसके बाद ही भर पायेंगे क्यों कि 11 तारीख से 15 तारीख तक आपके खरीददार आपके द्वारा भरी गई बिक्री/सप्लाई की अपने रिकोर्ड से जांच कर उसे स्वीकार /अस्वीकार/ संशोधित करेंगे और इसी कारण से उन 5 दिंनों के लिए जी.एस.टी.आर.-1 भरने की सुविधा बंद कर दी जायेगी.

जी.एस.टी.आर.-2
धारा 38

जो सप्लाई की विगत जी.एस.टी.आर.-1 में आप द्वारा भरी गई है वह आपके खरीददार के खरीद के विवरण जी.एस.टी.आर -2 नामक रिटर्न के एक भाग में अपने -आप ही आ जायेगी .इसी तरह मान लीजिये कि आपके विक्रेताओं ने जो आपको की बिक्री की विगत अपने जी.एस.टी.आर.-1 में भरी है वो आपकी खरीद के जी.एस.टी.आर -2 नामक रिटर्न के एक भाग में अपने-आप आ जाएगी .

अब क्रेता अपने रिटर्न में अपने आप आई हुई खरीद की विगत की जांच अपने रिकॉर्ड से करेगा और यदि सही होगी तो इसे अनुमोदित अर्थात मंजूर कर देगा और यदि क्रेता के हिसाब से यह गलत/फर्क होगा तो वह इसमें आपने रिकॉर्ड के अनुसार परिवर्तन कर देगा या और भी बिक्री जो विक्रेता ने नहीं दिखाई है या अभी तक विक्रेता ने रिटर्न ही नहीं भरा है तो क्रेता यह खरीद भी अपने रिटर्न में जोड़ सकता.

GST By Sudhir Halakhandi

यह कार्य क्रेता को माह समाप्त होने के बाद अगले माह की 11 तारीख से प्रारम्भ कर 15 तारीख तक करना होगा.

क्रेता जो परिवर्तन विक्रेता के द्वारा भरे गए जी.एस.टी.आर.-1 से प्राप्त सूचना में परिवर्तन करेगा उसकी सुचना विक्रेता के पास इसी पोर्टल पर उसके जी.एस.टी.आर -1A के जरिये पहुचेंगी और यदि

विक्रेता भी इसे मान लेता है तो इससे उसका जी.एस.टी.आर -1 इस परिवर्तन तक संशोधित हो जाएगा.

विक्रेता उसी माह की, जिसमे रिटर्न भरना ऊपर बताया गया है, कि 17 तारीख तक क्रेता द्वारा किये गए परिवर्तन को अप्रूव करे सकेगा और वह ऐसा नहीं करता है तो एक मिसमैच रिपोर्ट जारी हो जायेगी और आपके क्रेता को परेशानी होगी .

जी.एस.टी.आर.-3
धारा 39

जी.एस.टी.आर-1 एवं जी.एस.टी.आर.-2 भरने के बाद 20 तारीख तक जी.एस.टी.आर.-3 के रूप में एक मासिक रिटर्न भरना होगा जिसमे करदाता उसके आउटपुट में से इनपुट घटाने के बाद मासिक कर का निर्धारण करने के बाद उसे जमा करते हुए विवरण देगा.

GST By Sudhir Halakhandi

आइये देखें की इस रिटर्न जी.एस.टी.आर.-3 में दिए गए आंकड़े किस तरह से भरे जायेंगे :-

पार्ट -A :- इस रिटर्न का पार्ट -A जी.एस.टी.आर. 1 एवं जी.एस.टी.आर-2 के आधार पर स्वत: ही भरा हुआ होगा. जिसमे आपकी इनपुट और आउटपुट क्रेडिट होगी .

पार्ट -B :- इसमें टैक्स , ब्याज एवं पेनाल्टी की विगत होगी जो कि आपके केश और आई.टी.सी. लेजर से स्वत: ही आ जायेगी . केश

और आई.टी.सी. लेजर में डीलर की इनपुट क्रेडिट एवं जमा कराये गए कर का विवरण होगा.

अब आप स्वयं सोच ले कि आपके रिटर्न पर आपके सभी खरीददारों के रिटर्न निर्भर है और उसी तरह से आपके विक्रेताओं के रिटर्न पर आपका रिटर्न निर्भर है

तो अब रिटर्न भरते समय “समय सीमा” का पालन करना अति आवशयक हो जाएगा .

इस समय वेट के दौरान जो रिटर्न आप भरते है उनमे जिन राज्यों में त्रैमासिक रिटर्न है वहां वार्षिक रिटर्न को मिलाते हुए आप 5 रिटर्न भरतें है और जहां मासिक रिटर्न है वहां आप 13 रिटर्न भरतें है अब इन रिटर्न की संख्या 37 हो जायेगी .

GST By Sudhir Halakhandi

अभी तक आपको रिटर्न भरने के लिए 30 दिन से 60 दिन का समय दिया जाता है उसे भी घटा कर 10 दिन कर दिया गया है और इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको 20 दिन का समय दिया गया है .

इसलिए आप अभी से जी.एस.टी.की प्रक्रियाओं के लिए तैयार हो जाएँ .

अध्याय -7

जी.एस.टी. - कम्पोजीशन स्कीम

क्या हर लघु उद्योग एवं छोटा व्यापारी कम्पोजीशन का लाभ ले सकता है ?

देखिये कम्पोजीशन स्कीम उन्ही डीलर्स के लिए व्यवहारिक होती है जो कि सीधे ही उपभोताओं को माल बेचते है . जो डीलर्स दूसरे डीलर्स को माल बेचते है उनके लिए कम्पोजीशन स्कीम को कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है क्यों कि कम्पोजीशन डीलर्स द्वारा बेचे गये माल पर “इनपुट क्रेडिट” नहीं मिलती है . .

GST By Sudhir Halakhandi

जी.एस.टी. के दौरान भी कम्पोजीशन स्कीम होगी और यह व्यापारी और निर्माता दोनों के लिए होगी .

यहाँ आप ध्यान रखें कि कम्पोजीशन स्कीम से सम्बंधित प्रावधान जी.एस.टी. के सम्बन्ध में केद्र एवंम राज्यों दोनों के ही कानून की धारा 10 में दिए गए है और इस सम्बन्ध में रूल्स का प्रारूप भी जारी किया गया है, केंद्र का कानून बन चुका है , राज्यों के कानून उनकी विधान सभाओं में अब पारित होने है और रूल्स के अभी केवल प्रारूप ही जारी हुए है .

आइये अब कम्पोजीशन स्कीम को कुछ प्रश्नों के साथ विस्तार से जानने का प्रयास करें :-

प्रश्न :-
कम्पोजीशन के लिए बिक्री/ टर्नओवर की सीमा क्या होगी ?

-जीएस.टी. कम्पोजीशन उन डीलर्स के लिए ही होगा जो ऊपर बताई शर्तों के अनुसार इस स्कीम के तहत आते है वे बीते हुए वर्ष (पिछले वर्ष) में 50 लाख रूपये से कम की बिक्री या टर्नओवर करते है .

यदि आपका टर्नओवर बीते वर्ष में 50 लाख रूपये से अधिक है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है .

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-
हमारे राज्य में कम्पोजीशन की सीमा 75 लाख है और वर्ष जो 31/03/2017 को जो साल समाप्त हुआ है उसमे हमारा टर्नओवर 70 लाख रूपये था और हम कम्पोजीशन का लाभ ले रहे थे . क्या अब भी हम जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकूंगा ?

-यदि आपके राज्य में इस समय कम्पोजीशन स्कीम की आधिकतम सीमा 75 लाख रूपये है (ऐसा मेरे स्वयं के राज्य राजस्थान में भी है) और आपका टर्नओवर 31/03/2017 को 70 लाख रूपये है और

आपने कम्पोजीशन स्कीम का लाभ लिया है तो भी अब आप जी.एस.टी. के तहत इस स्कीम के बाहर है क्यों कि जी.एस.टी. के तहत यह सीमा 50 लाख है और इसका निर्धारण भी आपके पिछले वर्ष के टर्नओवर से किया जाना है .

प्रश्न:- हम अभी भी अपने राज्य में कम्पोजीशन स्कीम में है अब क्या हमें जी.एस.टी. के लिए भी कम्पोजीशन का आवेदन करना होगा ?

-जी.एस.टी. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप आवेदन कर ही चुके होगें और अब यदि आप कम्पोजीशन स्कीम के तहत जाना चाहते है तो आपको इसके लिए जी. एस.टी . कॉमन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और यह आवेदन आप जी.एस.टी. कानून लागू होने के तीस दिन के भीतर एक फॉर्म GST CMMP-01 में ऑनलाइन करेंगे.

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-हम पहले से रजिस्टर्ड है क्या कम्पोजीशन स्कीम में जाने पर कोई और भी कोई शर्तें है जिनके कारण हम जी.एस.टी. कम्पोजीशन स्कीम में नहीं जा सकते है ?

-यदि आप जी.एस.टी. लागू होने के पहले से रजिस्टर्ड है तो जिस दिन जी.एस.टी. लागू होता है उस दिन आपके पास जो भी स्टॉक है उस स्टॉक में निम्न प्रकार की खरीद शामिल नहीं होने चाहिए :-

- अंतरप्रांतीय खरीद अर्थात किसी अन्य राज्य से खरीदा हुआ माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .
- भारत के बाहर से खरीद अर्थात किसी अन्य देश से खरीदा हुआ माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .
- राज्य के बाहर से अपनी ही किसी ब्रांच या एजेंट या प्रिंसिपल से प्राप्त माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .

इसी तरह की कुछ सीमाएं उन डीलर्स पर भी है जो जी.एस.टी. लगने के बाद रजिस्टर्ड होकर कम्पोजीशन में जाना चाहते है.

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-राज्य के बाहर माल बेचने वाले कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे ?

-जो डीलर्स एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते है वे कम्पोजीशन स्कीम के पात्र नहीं होंगे.

प्रश्न :-क्या कम्पोजीशन स्कीम का लाभ निर्माता भी ले सकते है ?

-हाँ इस कम्पोजीशन स्कीम के तहत निर्माता भी शामिल हो सकते है और वे भी कम्पोजीशन का लाभ ले सकते हैं .

लेकिन यदि सरकार चाहे तो, अधिसूचना के जरिये , कुछ प्रकार के निर्माताओं को इस स्कीम से वंचित कर बाहर कर सकती है .

प्रश्न :-कम्पोजीशन कर की दर क्या होगी ?

-कम्पोजीशन स्कीम के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकत्तम दरें निम्न प्रकार होंगी :-

डीलर का विवरण	सी.जी.एस.टी. के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकत्तम दर.	एस.जी.एस.टी. के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकत्तम दर	अधिक प्रभावी कम्पोजीशन दर (एस.जी.एस.टी. + सी.जी.एस.टी.
ट्रेडर्स अर्थात वे डीलर्स जो सिर्फ खरीद बिक्री करते है .	आधा प्रतिशत- 0.50 प्रतिशत	आधा प्रतिशत- 0.50 प्रतिशत	एक प्रतिशत - 1%
रेस्टोरेंटस	ढाई प्रतिशत - 2.50 प्रतिशत	ढाई प्रतिशत - 2.50 प्रतिशत	पांच प्रतिशत - 5%
निर्माता	एक प्रतिशत- 1 प्रतिशत	एक प्रतिशत- 1 प्रतिशत	दो प्रतिशत - 2%

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-क्या कम्प्पोजीशन की यह दरें अंतिम रूप से तय कर दी गई है ?

-आप यदि ऊपर लिखे जवाब को ध्यान से पढ़े तो आपको पता लगेगा कि यह अधिकत्तम दरें है और इन दरों से अधिक कम्पोजीशन कर नहीं लगाया जा सकता है . अंतिम दरें इनसे अधिक नहीं होगी .

प्रश्न :-कम्पोजीशन के तहत आने वाले डीलर्स को अपने रिटर्न्स कब-कब भरने होंगे ?

-कम्पोजीशन डीलर्स को अपना रिटर्न तीन माह में एक बार भरना होगा एवं वर्ष के अंत में उन्हें एक वार्षिक रिटर्न भरना होगा . इस आम जी.एस.टी. करदाता के एक वर्ष में भरे जाने वाले 37 रिटर्न्स की जगह कम्म्पोजीशन डीलर्स को केवल 5 रिटर्न्स ही भरने होंगे.

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-क्या सेवा क्षेत्र के लिए भी यह कम्पोजीशन स्कीम लागू रहेगी ?

-सेवा क्षेत्र के लिए कम्म्पोजीशन स्कीम उपलब्ध नहीं है लेकिन एक ही अपवाद है और उसे ऊपर हमने रेस्टोरेंट सर्विस के रूप में बताया है जो कि वास्तव् में सर्विस और माल के सप्लाई का मिश्रित रूप है . इसके अलावा किसी और सर्विस पर यह कम्पोजीशान स्कीम लागू नहीं है .

रेस्टोरेंट के केस में वे रेस्टोरेंट जिनका पिछ्ले वर्ष में बिक्री / टर्नओवर 50 लाख रूपये से कम वे कम्पोजीशन का लाभ ले सकते है और इस कम्पोजीशन की अधिक्तम दर सी.जी.एस.टी. को लेकर 2.50 प्रतिशत एवं एस.जी.एस.टी. को लेकर 2.50 प्रतिशत अर्थात कुल 5.00 प्रतिशत होगी .

प्रश्न :-मेरा एक जनरल स्टोर है जो अभी कम्पोजीशन में है अब मैं एक फैक्ट्री प्लान कर रहा हूँ जिसका माल में राज्य के बाहर भी बेचूंगा . क्या मैं अपनी फैक्ट्री के लिए एक और जी.एस.टीस. रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ और एक और सवाल क्या मैं जी.एस.टी. के दौरान अपना जनरल स्टोर कम्पोजीशन में चला सकता हूँ .

-हाँ आप अपनी फैक्ट्री के लिए एक और रजिस्ट्रेशन ले सकते है जो कि जी.एस.टी. के दौरान एक ही पेन नंबर पर एक से अधिक रजिस्ट्रेशन लेने का प्रावधान है यदि व्यापार अलग-अलग प्रकार के है .

GST By Sudhir Halakhandi

लेकिन जी.एस.टी. के एक और प्रावधान के अनुसार यदि आप कम्पोजीशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके एक ही पेन नंबर पर जारी सभी रजिस्ट्रेशन पर कम्पोजीशन ही होना चाहिए . आपके केस में आपकी फैक्ट्री , चूँकि राज्य के बाहर माल बेचने की श्रेणी में आती है , अत; कम्पोजीशन में नहीं आ सकती अत: आपका कोई भी व्यापार कम्पोजीशन का लाभ नहीं ले सकता है .

प्रश्न :-यदि मेरे एक ही पेन पर जी.एस.टी. के दौरान दो व्यापार है तो क्या दोनों के लिए 50 लाख की अलग- 2 सीमा का लाभ मिल सकता है ?

-यह 50 लाख की लिमिट प्रति व्यक्ति (Per Person) है अर्थात आप इसे प्रति पेन नंबर ही माने इस प्रकार एक पेन नंबर पर जितने भी व्यापार है उन सभी का टर्नओवर जोड़ा जाएगा.

प्रश्न:--हमारा बीते वर्ष (पिछले वर्ष)में टर्नओवर 50 लाख रूपये था तो हम जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन के हकदार हो जाएँगे . जिस वर्ष हम कम्पोजीशन का लाभ लेंगे उस वर्ष में भी इस लाभ की कोई टर्नओवर सबंधी सीमा है ?

GST By Sudhir Halakhandi

-जैसे ही इस वर्ष आपका टर्नओवर 50 लाख रूपये की रकम को क्रॉस करेगा उसी समय आपका कम्पोजीशन का लाभ आगे के लिये समाप्त हो जाएगा और फिर आपको सामान्य जी.एस.टी. डीलर की तरह कर देना होगा .

प्रश्न :- क्या कम्पोजीशन डीलर को अपने बिल पर भी कुछ लिखना होगा ?

-कम्पोजीशन डीलर को अपने बिल पर " Composition Taxable Person , Not Eligilbe To Collect Tax on Supplies" लिखना होगा .

इसका हिन्दी अनुवाद हम यहाँ दे रहे है जो कि आपको अपने बिल के ऊपर अनिवार्य रूप से लिखना होगा :-

"कम्पोजीशन कर डीलर, कर एकत्रीकरण के योग्य नहीं"

प्रश्न :- क्या कम्पोजीशन डीलर को अपने व्यवसाय स्थल पर भी अपने कम्पोजीशन डीलर होने की कि कोई सूचना देनी होगी ?

-हाँ , कम्पोजीशन डीलर को अपने व्यवसाय स्थल पर भी यह लिखना होगा कि वह एक कम्पोजीशन डीलर है . इन डीलर्स को अपने साइन बोर्ड पर " composition dealer" लिखना होगा .

प्रश्न :-क्या हर वर्ष कम्पोजीशन के लिए आवेदन करना होगा ?

GST By Sudhir Halakhandi

-यदि किसी वर्ष में आप इसके योग्य है और कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले रहें है तो आने वाले वर्ष में इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है . इस संम्बंध में जारी प्रावधानों का पालन करते हुए आप कम्पोजीशन का लाभ आने वाले वर्षों तक ले सकते है .

प्रश्न :-क्या वर्ष के दौरान कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आ सकते हैं ?

-जो भी डीलर इस स्कीम से बाहर आना चाहता है वह जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल पर GST CMP-04 फॉर्म भर कर बाहर आ सकता है .

प्रश्न :- क्या कम्पोजीशन डीलर्स अन रजिस्टर्ड से माल खरीद सकेंगे ? क्या कम्पोजीशन डीलर्स को भी अन रजिस्टर्ड डीलर्स से की गई खरीद पर रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा ?

- कम्पोजीशन डीलर्स अन - रजिस्टर्ड डीलर्स से माल भी खरीद सकेंगे और सेवाएं भी ले सकेंगे और ऐसी खरीद पर उन्हें रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा.

  रिवर्स चार्ज के तहत चुकाए गए इस कर के अतिरिक्त कम्पोजीशन डीलर्स को कम्पोजीशन कर का भुगतान करना होगा.

******

GST By Sudhir Halakhandi

अध्याय -8

कैसे होगा निर्धारण दोहरे नियंत्रण की 50 : 50 सहमती के तहत जी.एस.टी.
कौन करेगा आपका असेसमेंट (कर -निर्धारण)

जी. एस.टी.कोंसिल की जो 2016 के अंतिम तिमाही में जो बैठकें हुई थी उनमें से अंतिम तीन मीटिंग्स में जो मुद्दा सबसे अधिक चर्चा का विषय बना था वह था करदाताओं के ऊपर "दोहरे नियंत्रण" अर्थात ड्यूल कंट्रोल का.

इसके बाद 16 जनवरी 2017 को जी.एस.टी. कौंसिल की अभी तक की अंतिम मीटिंग हुई थी उसमे इस समस्या का समाधान ढूंढ लेने का दावा किया जा रहा है उसके अनुसार 150 लाख रूपये तक की बिक्री तक के डीलर्स का नियंत्रण राज्यों और केंद्र के बीच 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के अनुपात में बांटा जाएगा अर्थात 90 प्रतिशत डीलर्स पर राज्यों का नियंत्रण रहेगा और शेष 10 प्रतिशत डीलर्स पर केंद्र का नियंत्रण रहेगा. इस नियंत्रण का अर्थ यहाँ उनके "कर निर्धारण" अर्थात असेसमेंट से है .

GST By Sudhir Halakhandi

150 लाख रुपये की बिक्री से अधिक के डीलर्स के नियंत्रण को राज्य और केंद्र के बीच सहमती के तहत 50 : 50 के अनुपात में बांटा जाएगा अर्थात कुल डीलर्स के 50 प्रतिशत पर राज्य नियंत्रण रखेंगे और शेष 50 प्रतिशत पर केंद्र नियंत्रण रखेगा.

सर्विस टैक्स डीलर्स और अंतरप्रांतीय बिक्री करने वाले डीलर्स के सम्बन्ध में भी यह फैसला लागू होगा यह अभी तक जो बयान आ रहें है उनमे स्पष्ट नहीं किया गया है और यहाँ ध्यान रखे कि सर्विस टैक्स डीलर्स के लिए 150 लाख रूपये का टर्नओवर बहुत बड़ी रकम है और ऐसे 90 प्रतिशत डीलर्स का नियंत्रण केंद्र राज्यों के पास छोड़ दे यह शायद संभव नहीं लगता है .

यहाँ नियंत्रण रखने का अर्थ यह है कि इन डीलर्स का कर निर्धारण ऊपर बताये गये अनुपात के अनुसार राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और इसी मुद्दे पर राज्य और केंद्र एक मत नहीं हो पा रहे थे इसीलिये जी.एस.टी. कौंसिल की कई बैठकें बिना किसी नतीजे के समाप्त हो रही थी .

GST By Sudhir Halakhandi

यहाँ यह ध्यान रखें कि जब सभी रिटर्न जी.एस.टी.एन. नामक एक ही नेटवर्क पर भरे जायेंगे और चूँकि इस समय भी लगभग अधिकांश राज्यों में वेट के भी सभी “कर निर्धारण” ऑनलाइन ही होते है तब फिर एक सोचने वाली बात यह है कि यह दोहरे नियंत्रण का प्रश्न इतना बड़ा कैसे हो गया .

अब इस 50:50 के तहत कौनसा डीलर का कर निर्धारण राज्य करेगा इसका फैसला भी किसी भी फार्मूले के तहत होगा जिस पर

राज्य एवं केंद्र सहमत होंगे लेकिन ऐसा नहीं लगता इस तरह का फैसला व्यापार और उध्योग के लिए प्रक्रियाओं में कोई सरलीकरण लाएगा और यहाँ विशेष बात यह है कि जी.एस.टी. पर केंद्र और राज्य ही आपस में ही प्रारम्भ से ही विवाद रहा है और जी.एस.टी. स्वयं ही केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों की एक खीचतान का मुद्दा रहा है और इस कर प्रणाली को लागू करने में व्यापार और उध्योग की राय को कोई अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है . दोहरे नियंत्रण का मामला भी इसी तरह से केंद्र और राज्यों की

अपने -अपने अधिकार सुरक्षित करने की लड़ाई का ही एक हिस्सा है इसीलिये इस तरह के 50:50 तरह के प्रक्रियाओं को और भी उलझाने वाले फैसले लेने में हमारे कानून निर्माताओं को कोई दुविधा अथवा हिचक नहीं हुई है .

GST By Sudhir Halakhandi

आखिर यह दोहरे नियंत्रण का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण कैसे हुआ इसके पीछे कारण यह है कि राज्यों के पास कुल मिला कर अप्रत्यक्ष कर को देखने के लिए लगभग 265000 अधिकारी एवं कर्मचारी है एवं केंद्र के पास भी इसी काम के लिए कुल 85000 अधिकारी एवं कर्मचारी है इसलिए काम का बँटवारा भी जरुरी था, ऐसा भी कहा जा रहा है और इसके साथ ही राज्यों एवं केंद्र के अधिकारों की बात भी इस मुद्दे से जुडा था .

लेकिन यदि व्यापार और उध्योग के हितों की और देखना हो और जी.एस.टी. को सरलीकरण की और ले जाना है तो राज्य एवं केंद्र के अप्रयक्ष करों के सभी स्टाफ को मिला कर एक “संघीय स्टाफ

कैडर”   बनाया जा सकता है जिससे कि व्यवहारिक रूप से भी दोहरे नियंत्रण की समस्या हल हो सकती है और 50:50 जैसे तरीके का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता .

****

GST By Sudhir Halakhandi

अध्याय -9

ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक वे बिल)

ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक वे बिल) के बारे में व्यापार एवं उद्योग की राय कोई अच्छी नहीं है और वे इसे हटाने या केवल दो राज्यों के बीच व्यापार में लगाए जाने की सलाह दे रहें है . इसके अतिरिक्त वे 50000.00 रूपये की सीमा को भी 5.00 लाख रूपये करने की मांग कर रहे है .

डीलर्स के लिए थोड़ी सी राहत की खबर यह है की यदि 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. लागू होता है तो भी ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक वे बिल) दिसंबर 2017 लागू नही होगा क्यों कि इसके लिए जी.एस.टी.एन . का सिस्टम तैयार नहीं है . यह खबर जी.एस.टी.एन. के अध्यक्ष के हवाले से अखबारों में आई थी लेकिन अब यह जी.एस.टी.एन. की वेब साईट पर भी लगी है इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर भी कोई शक का आधार नहीं है .

- सुधीर हालाखंडी

GST By Sudhir Halakhandi

जी.एस.टी. के दौरान एक प्रावधान वे- बिल जारी करने के सम्बन्ध में है जिसका कि ड्राफ्ट जारी किया गया है (रूल्स अधिसूचित होना अभी बाकी है) उससे व्यापारी वर्ग एवं डीलर्स में एक बहुत बड़ी हलचल है और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि एक तो इस समय जो समाचार मिल रहे है उनके अनुसार यह सभी

वस्तुओं पर लागू है और दूसरा इसकी सीमा केवल 50000.00 रूपये है जो कि व्यापार और उध्योग जगत के हिसाब से बहुत कम है .

आइये देखें कि यह प्रावधान क्या है और आपसे विस्तार से चर्चा करें कि वे बिल को लेकर आपकी जो आशंकाएं है वो कितनी सच है और अब सरकार को वास्तव में इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए . इस सम्बन्ध में आपके सवाल भी है आइये पहले उन्हें पहले ले लेते है :-

प्रश्न :-
क्या इलेक्ट्रोनिक वे-बिल अभी जारी रोड परमिट की तरह ही है ? क्या यह केवल दो राज्यों के बीच व्यापार पर ही लागु होगा या राज्य के भीतर बिक्री पर भी लागू होगा ?

GST By Sudhir Halakhandi

- हाँ आप यह मान सकते है कि यह एक तरह से रोड परमिट ही है . लेकिन अभी तक जारी रोड परमिट जारी है वे दो राज्यों के बीच हुए व्यापार में ही लागू होते है और कई राज्यों में यह केवल विशिष्ट वस्तुओं पर ही लागू है लेकिन ईवे-बिल राज्य के भीतर और राज्य के बाहर दोनों बिक्री पर लागू है और सभी वस्तुओं पर लागू होगा .

व्यापार एवं उद्योग जगत की यह उम्मीद थी कि जी.एस.टी. के दौरान रोड परमिट नाम की कोई बाधा नहीं होगी लेकिन उनकी यह उम्मीद तो पूरी नहीं हुई बल्कि इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है .

प्रश्न :-
इस फॉर्म को किस रकम के बिल पर जारी करना होगा

-50000.00 रूपये से अधिक के प्रत्येक जिसमे माल का मूवेमेंट हो रहा है उस पर यह इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी करना होगा चाहे यह मूवमेंट माल की सप्लाई के लिए हो या किसी और कारण से.

आप यह मान कर चले कि 50000.00 रूपये से अधिक का माल बिना इलेक्ट्रोनिक वे-बिल के मूव नहीं कर पायेगा. अब आप इस मूव का अर्थ मॉल को बेचना और भेजना दोनों ही लगा सकते है और चूँकि यह मूव सप्लाई के अलावा भी सारे माल के मूवमेंट को कवर करता है इसलिए अभी तक जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार 50000.00 रूपये के अधिक के माल के हर मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी करना होगा .

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-ये इलेक्ट्रोनिक वे-बिल कहाँ से जारी होगा ?

-ये इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जी.एस.टी. कॉमन पोर्टर से जारी होगा और आपको इसे कंप्यूटर और इन्टरनेट की मदद से जारी करना होगा. इस इलेक्ट्रोनिक वे-बिल के लिए बिल/ चालान की विगत तो आप जी.एस.टी. पोर्टल पर अपलोड करेंगे और उसके बाद या तो आप या आपका या खरीददार का ट्रांसपोर्टर आप द्वारा बिल की अपलोड की गई विगत से इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी करेंगे .

प्रश्न :-क्या ये इलेक्ट्रोनिक वे-बिल रास्ते में भी चेक होगा .

-हाँ इसे चेक करने की प्रावधान भी बनाये गए है और यह राज्य के भीतर और राज्य के बाहर जहाँ भी माल का मूवमेंट होगा वहां इसे अधिकारियों द्वारा चेक किया जा सकता है .

एक राज्य में मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रोनिक वे-बिल एवं माल वाहन एक ही बार चेक होगा और कर चोरी की पुख्ता जानकारी होने पर ही इस दूसरी बार चेक किया जा सकता है . दो राज्यों की बीच व्यापार में इसे रास्ते में पड़ने वाले हर राज्य में चेक किया जा सकेगा.

प्रश्न :-क्या इस चेकिंग के दौरान समय की बर्बादी रोकने के लिए कोई उपाय किये गए है .

GST By Sudhir Halakhandi

-हाँ इस प्रावधान की एक अच्छी बात यह है कि यदि आपका माल वाहन किसी एक जगह पर चेकिंग के दौरान 30 मिनिट से अधिक रोका जाता है तो आप जी.एस.टी. पोर्टल पर इसकी सूचना को अपलोड कर सकते है .

इस सूचना के बाद क्या होगा यह तो अभी घोषित नहीं है लेकिन इस प्रावधान से अधिकारियों पर रोके गए हर वाहन को 30 मिनिट में छोड़ने का नैतिक दबाव तो रहेगा ही. इस समय कई बार चेकिंग के दौरान माल वाहनों को कई घंटो तक रुकना होता है .

प्रश्न :-क्या इलेक्ट्रोनिक वे-बिल को काम में लेने की कोई निश्चित अवधि होगी या एक बार जारी होने के बाद इसे कभी भी काम में लिया जा सकेगा.

-इस इलेक्ट्रोनिक वे-बिल को काम में लेने की एक निश्चित अवधि है और इस अवधि के कारण व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर प् एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है वे एक निश्चित अवधि में माल को डिलीवर करे दे .

आइये इस अवधि को भी देख लें :-

क्र.स.	दूरी (जिस स्थान से माल प्रारम्भ होकर जहां तक पहुंचना है)	इलेक्ट्रोनिक वे-बिल की वैधता की अवधि
1.	100 कि.मी.से कम	एक दिन
2.	100 कि,मी. या इससे अधिक लेकिन 300 कि.मी. से कम	तीन दिन
3.	300 कि,मी. या इससे अधिक लेकिन 500 कि.मी. से कम	पांच दिन
4.	500 कि,मी. या इससे अधिक लेकिन 1000 कि.मी. से कम	दस दिन
5.	1000 कि.मी. या इससे अधिक	15 दिन

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-यदि एक इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी किया गया है लेकिन वह माल बेचा जाना निरस्त हो गया है तो क्या यह इलेक्ट्रोनिक वे-बिल केंसिल किया जा सकता है ?

-इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी किये जाने के 24 घंटे के भीतर इसे केंसिल किया जा सकता है .

प्रश्न :-इस प्रावधान में जो RFID तकनीक के बारे में जिक्र किया गया है क्या उसे सभी माल - वाहनों पर लगाना होगा ? यह तकनीक क्या है कृपया सरल शब्दों में बताएं .

-ट्रांसपोर्टर यदि इलेक्ट्रोनिक वे-बिल की एक कॉपी अपने पास रखता है तो उसे इस तकनीक का इस्तेमाल करने की जरुरत नहीं होगी लेकिन यदि इस इलेक्ट्रोनिक वे-बिल की हार्ड कॉपी नहीं है तो फिर ट्रांसपोर्टर को RFID तकनीक के जरिये ये इलेक्ट्रोनिक वे-बिल चेक कराना होगा.

GST By Sudhir Halakhandi

लेकिन RFID तकनीक का इसलिए महत्व है कि इसी प्रावधान में एक व्यवस्था यह भी है कि कि जी.एस.टी. कमीश्नर एक अधिसूचना के तहत " कुछ प्रकार के" ट्रांसपोर्टरस को यह तकनीक अपने वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर सकते है . इसलिए इस तकनीक का अर्थ समझाना जरुरी है . आइये देखे ये Radio Frequency Identificationn Device का क्या अर्थ है :-

रेडियो-आवृत्ति पहचान (अंग्रेज़ी: Radio-frequency identification) एक तकनीक का उपयोग है (आमतौर पर एक RFID टैग के रूप में संदर्भित) जिसे एक उत्पाद, पशु, या व्यक्ति में रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से पहचान करने और ट्रैकिंग के उद्देश्य से लगाया या डाला जाता है। कुछ टैग को कई मीटर दूर से और पाठक की दृष्टि रेखा के पार से पढ़ा जा सकता है।

संभार-तन्त्र और परिवहन, RFID प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के प्रमुख क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए, यार्ड प्रबंधन, शिपिंग और माल ढुलाई और वितरण केन्द्र, कुछ ऐसी जगहें हैं RFID ट्रैकिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर की परिवहन कंपनियां, व्यापार मूल्य और कार्यकुशलता पर RFID प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण इसको तवज्जो देती हैं।

प्रश्न :-अब एक आखिरी प्रश्न इलेक्ट्रोनिक वे-बिल के सम्बन्ध में :-

आप जी.एस.टी. का अध्धयन काफी वर्षों से कर रहे है क्या आपको इस तरह के रोड परमिट के आने की आशंका थी ? आप इस प्रावधान को किस तरह से देखते है ?

GST By Sudhir Halakhandi

-अभी तक इस तरह के वे-बिल सो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार पर ही लागु थे लेकिन इस प्रावधान से इसे काफी व्यापक कर दिया गया है और राशि 50 हजार भी काफी कम है और जिस तरह से यह प्रावधान बनाये जा रहे है उनके अनुसार यह सभी वस्तुओं एवं हरेक मूवमेंट पर लागू हो जाएगा .

जी.एस.टी. से व्यापार एवं उद्योग को सरलीकरण की एक उम्मीद थी और इस तरह के प्रावधान इस उम्मीद को समाप्त कर रहे है इसलिए ये प्रावधान किसी भी तरह से स्वागत योग्य नहीं है लेकिन अगर सरकार ऐसे प्रावधान बना ही रही है तो आपको इनका पालन करना ही होगा.

उद्योग एवं व्यापारिक संघठनों ने इस राशि को बढ़ा कर 5.00 लाख रूपये करने का अनुरोध किया है.

****

GST By Sudhir Halakhandi

भाग -10

जी.एस.टी. - प्रारम्भिक स्टॉक की इन्पुट क्रेडिट

आइये आज की चर्चा में देखें कि जी.एस.टी. जिस भी दिन लागू होगा उस दिन आपके पास जो सेनवेट / वेट की क्रेडिट का अंतिम शेष होगा या आपके आपस जो स्टॉक होगा उस पर चुकाए हुए कर जो कि स्टॉक की कीमत शामिल होगा उसकी कोई क्रेडिट जी.एस.टी. के तहत मिलेगी .

आइये पहले यह समझने का प्रयास करें कि यह समस्या क्या है ताकि सरकार ने जो समाधान इसका दिया है वह आपको समझ आ सके और अभी से आप इस स्टॉक के बारे में कोई नीतिगत निर्णय लेना चाहे तो आपको पूरी मदद मिल सके . जो डीलर वेट और सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड है उन्हें तो यह क्रेडिट अपने अंतिम रिटर्न के आधार पर ही मिल जायेगी लेकिन शेष डीलर्स के लिए भी कुछ प्रावधान किये गए है ताकि उन्हें इस कर प्राणाली परिवर्तन के कारण कोई नुक्सान नहीं हो.

GST By Sudhir Halakhandi

उदाहरण के लिए आप मान लीजिये कि आप एक मोटर पार्ट्स विक्रेता है और आपके पास कुल 10.00 लाख रूपये कीमत का स्टॉक है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं वेट दोनों ही लगा है .

अब आपका एक प्रतिस्पर्धी डीलर 1 जुलाई 2017 (जी.एस.टी. लगने की संभावित तारीख) को यही माल सीधा ही निर्माता से खरीदता है तो उस पर एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. दोनों लगे होंगे . उस डीलर को जब वह माल बेचेगा तो उसके द्वारा चुकाए हुए एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. की छूट अपना कर चुकाते समय मिल जायेगी और व्यवहारिक रूप से वह अपने "मार्जिन" पर ही कर चुकाएगा. यही वेट और अब जी.एस.टी. की मूलभूत धारणा है और इस करारोपण का मूल सिद्धान्त है .

अब आपके पास जो स्टॉक है उसमे जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/या वेट जुडा है उसकी छूट आपको नहीं मिले और आपको अब ग्राहक से प्राप्त किया गया एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. पूरा का पूरा ही चुकाना पड़े तो आपका माल 1 जुलाई 2017 को ख़रीदे गए माल के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पायेगा या फिर आपको इस माल की बिक्री पर नुक्सान उठाना होगा. इसलिए यह जरुरी है कि आपके 30 जून 2017 के स्टॉक में जो कर (वेट और सेंट्रल एक्साइज) शामिल है कि छूट की कोई व्यवस्था की जाए.

GST By Sudhir Halakhandi

इसी तरह जो आपके पास सेनवेट /वेट की क्रेडिट का जो अंतिम शेष है जो कि आपने अपने अंतिम रिटर्न में माँगा है वह भी आपको जी.एस.टी. के दौरान किस तरह से समायोजित किया जाएगा यह भी हम देखने का प्रयास करेंगे.

अब आपको जब यह समस्या समझ आ गई है तो देखे हमारे कानून निर्माताओं ने इसके लिए क्या प्रावधान किये है ताकि आप

स्वयम तय कर सकते है कि आपको अपने स्टॉक की क्या रखना है उस दिन जिस दिन से जी.एस.टी. भारत में लागू होने वाला है :-

इस सम्बन्ध में प्रावधान सी.जी.एस.टी. कानून के अध्याय 20 में धारा 140 में दिए गए है और इसी तरह से प्रावधान राज्यों के एस.जी.एस.टी. कानून में भी है और जिन राज्यों में अभी जी.एस.टी. कानून पास नहीं हुए है उनके कानून में भी होंगे. इसलिए हम यहाँ सेंट्रल एक्साइज और वेट दोनों को सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के परिप्रेक्ष में अध्ययन के लिए ले रहे है .

राज्यों के एस.जी.एस.टी. कानून जो इस तरह की वेट की क्रेडिट देंगे एवं केंद्र के सी.जी.एस.टी. के कानून जो अपने यहाँ लगने वाले कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि कि क्रेडिट देंगे वे एक से ही है इसलिए हम दोनों अर्थात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और वेट दोनों के बारे में एक साथ ही बता रहें है . यहाँ ध्यान रखें कि अभी आपकी वस्तु करयोग्य है और जी.एस.टी. में करमुक्त घोषित हो जाती है तो आपको इस तरह का कोई लाभ इनपुट क्रेडिट का नहीं मिलेगा.

GST By Sudhir Halakhandi

ये विषय थोड़ा मुश्किल है अत: आप इसे इस समय केवल पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें इसके साथ जुडी कुछ विसंगतियों एवं कानूनी अडचनों के बारे में ज्यादा नहीं सोचे क्यों कि एक बार आपके इसका बेसिक समझ आ गया तो आगे का काम उतना मुश्किल नहीं है .

आइये सूचीबद्ध तरीके से आपकी अंतिम सेनवेट/वेट क्रेडिट और प्रारम्भिक स्टोक में जुडी इनपुट क्रेडिट आपको जी.एस.टी. के प्रारम्भ में किस तरह से समायोजन मिलेगा और इसकी गणना किस प्रकार से होगी :-

आप सेंट्रल एक्साइज/वेट में रजिस्टर्ड है और आपक सेनवेट/वेट का अंतिम इनपुट

यह हमारी पहली स्तिथी है और ये सबसे आसान भी है

GST By Sudhir Halakhandi

विवरण	जी.एस.टी. के दौरान इनपुट क्रेडिट की रकम
जो डीलर्स (जी.एस.टी. में कम्पोजीशन डीलर्स को छोड़कर) सेंट्रल एक्साइज/वेट में रजिस्टर्ड है उन्हें यह क्रेडिट अपने अंतिम भरे हुए रिटर्न के हिसाब से मिलेगी .	जी.एस.टी. लगने के अंतिम दिन तक का उन्होंने जो सेंट्रल एक्साइज /राज्य के वेट का जो रिटर्न भरा है उसमे जो क्रेडिट आगे ले जाने हेतु उन्होंने रिटर्न में दिखाया है उसका क्रेडिट उन्हें जी.एस.टी. के दौरान इसकी क्रेडिट क्रमश: एस.जी.एस.टी. (वेट का इनपुट) सी.जी.एस.टी. (

	सेंट्रल एक्साइज का इनपुट)

यह क्रेडिट उनके “इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर” में क्रेडिट कर दिया जाएगा जिसका उपयोग उनकी जी.एस.टी. के दौरान कर भुगतान से समायोजित करने में लिया जाएगा.

कोई शर्त है इस प्रकार के क्रेडिट को लेने के लिए :-

1. इस प्रकार के डीलर्स को अपने जी.एस.टी. लागू होने की तिथी से 6 माह पूर्व के सभी रिटर्न भरने होंगे और यदि उन्होंने यह रिटर्न नहीं भरे है तो उन्हें इस प्रारंभिक क्रेडिट जो उनके वेट और सेंट्रल एक्साइज के रिटर्न में अंतिम क्रेडिट के रूप में दिखाई गई है से वंचित रहना होगा.

GST By Sudhir Halakhandi

2. यदि यह इनपुट क्रेडिट जी,.एस.टी. कानून के तहत मिलने के योग्य नहीं है तब भी डीलर को इस क्रेडिट का लाभ नही दिया जाएगा. इसे आप यों समझिये कि कोई वस्तु जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / वेट में करयोग्य है लेकिन जी.एस.टी. के दौरान उसे करमुक्त घोषित कर दिया तो स्वाभाविक है कि आपको इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी .

इसी के साथ आपको कैपिटल गुड्स की क्रेडिट भी इसी तरह से मिल जायेगी जो कि आपके सेंट्रल एक्साइज/वेट के अंतिम रिटर्न में

कैरी फॉरवर्ड नहीं की है बशर्ते की यह क्रेडिट अभी चल रहे कानून में सेनवेट क्रेडिट/ वेट इनपुट क्रेडिट की तरह और आने वाले जी.एस.टी. कानून में इनपुट क्रेडिट की तरह लेने के योग्य हो.

क्या आपकी बिक्री वेट घोषणा पत्रों के आधार पर है -C-form/H-form/Export Declaration.

यदि आपकी बिक्री वेटी के दौरान कुछ घोषणा पत्रों पर आधारित है जिनके कारण आपने कम कर की दर लगाईं है जैसे - सी -फॉर्म पर बिक्री पर कर की दर 2% है (चाहे राज्य में उस वस्तु की कर की दर 14.50%) इसी तरह एच फॉर्म पर जो माल एक्सपोर्टर को बेचते है तो इस पर कर की दर शून्य है (चाहे राज्य में उस वस्तु की कर की दर 14.50%) तो आपका जो क्रेडिट अंतिम रिटर्न में आ रहा है उसमे से उतना हिस्सा रोक लिया जाएगा जिसके फॉर्म आपने पेश नहीं किये है और जब आप नियमानुसार ये फॉर्म और घोषणा पत्र पेश करेंगे तो राज्य में ही आपको इसका रिफंड दे दिया जाएगा.

GST By Sudhir Halakhandi

ये प्रावधान आपको परेशान कर सकता है लेकिन जब कोई कर प्रणाली में इस तरह से परिवर्तन (ट्रांजीशन) का समय होता है तब कुछ परेशानिया तो होती ही है . इस सम्बन्ध में आपके लिए सलाह यह है कि आप अपने घोषणा पत्र (सी-फॉर्म , एच -फॉर्म इत्यादि) शीघ्र प्राप्त कर विभाग में पेश करें .

आप सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आपके खरीद के बिल में सेंट्रल एक्साइज लगी हुई है

यह दूसरी स्तिथी है और पहली स्तिथी के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण है क्यों कि इसमें आने वाले डीलर्स की संख्या बहुत अधिक होगी .

शायद वेट के लिए आप इस स्तिथी की कल्पना नहीं कर सकते है क्यों कि वेट अभी भी अंतिम उपभोक्ता तक लगने वाला कर है और सेंट्रल एक्साइज इस समय निर्माण की स्तिथी तक ही लगती है तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि कोई डीलर सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसके बिल में सेंट्रल एक्साइज लगी हुई है क्यों कि वह एक सेंट्रल एक्साइज निर्माता या डीलर से माल खरीदता है .

वेट में भी जो डीलर कम्पोजीशन स्कीम में है और जी.एस.टी. में सामान्य डीलर की तरह प्रवेश करते है वे भी इसी श्रेणी में आ सकते है .

GST By Sudhir Halakhandi

आइये देखें कि इस स्तिथी में किस तरह से यह क्रेडिट सी.जी.एस.टी. के तहत मिलेगी :-

स्टॉक का विवरण	इनपुट क्रेडिट की रकम
जो डीलर्स (जी.एस.टी. के कम्पोजीशन डीलर्स को छोड़कर) सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें अपने अंतिम स्टॉक (जो कच्चा माल हो अथवा	उन्हें बिल में दिखाए हुए सेंट्रल एक्साइज की इनपुट क्रेडिट मिल जायेगी और यह क्रेडिट उनके “इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट

तैयार या अर्धनिर्मित माल) में जो चुका हुआ सेंट्रल एक्साइज है और इसे साबित करने के लिए उनके पास बिल है जिसमे यह कर (सेंट्रल एक्साइज) अलग से लगाया हुआ दिख रहा है .	लेजर" में जमा कर दी जायेगी जिसका उपयोग उनका जी.एस.टी. के दौरान कर भुगतान में समायोजन के लिए काम लिया जाएगा .

इसी तरह जहाँ यह प्रावधान वेट में लागू होता वहां इसका इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं.

यह क्रेडिट तभी मिलेगी जब कि इस इनपुट या माल का प्रयोग जी.एस.टी. के तहत करयोग्य माल की सप्लाई के लिए किया जाए और इस तरह की इनपुट क्रेडिट जी.एस.टी. कानून में भी स्वीकार्य हो. यदि यह माल जी.एस.टी. के दौरान करमुक्त घोषित कर दिया गया है तो यह क्रेडिट नहीं मिलेगी.

GST By Sudhir Halakhandi

इसके अतिरिक्त जैसा पहले भी बताया है कि इस तरह के व्यक्ति के पास ये कर भुगतान होने के प्रमाण स्वरूप बिल अथवा कोई ओर प्रपत्र हो अर्थात कर किसी डीलर को चुकाई गई है इसका दस्तावेजी सबूत बिल (जिसमे कर लगा हुआ होना चाहिए) अथवा इसी तरह का कोई और दस्तावेज हो यह कोई और दस्तावेज बिल के अतिरिक्त चालान भी हो सकता है .

लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि ये बिल जी.एस.टी. लगने की तारीख से 12 माह से पुराने हो तो आपको यह क्रेडिट नहीं मिलेगी इस तरह यदि जी.एस.टी. 1 जुलाई 2017 को लगता है तो जो स्टॉक

आपके पास 30 जून 2016 या उससे पूर्व खरीदा हो तो इसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी. इसे आप विशेष ध्यान रखें .

इसे आप यों कह सकते है कि प्रार्थी सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड तो नहीं था लेकिन उसके बिल में सेंट्रल एक्साइज लगी हुई है और ये बिल 12 माह से पुराने नहीं है तो आपको ऊपर लिखी शर्तों पर सेनवेट क्रेडिट आगे ले जाने दी जायेगी भले ही आप सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं हैं.

यहाँ भी आपने देखा कि गणना की एक निश्चित प्रणाली है लेकिन आगे हम एक तीसरी स्तिथी देखेंगे जो इससे थोड़ी और मुश्किल है और उसमे शामिल डीलर्स की संख्या भी अधिक होगी .

GST By Sudhir Halakhandi

बिल में सेंट्रल एक्साइज नहीं लगा हुआ है

आप सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड भी नहीं है और आपके पास जो बिल है उनमे भी सेंट्रल एक्साइज नहीं लगी है तो इसका अर्थ यह है कि आपने जो माल ख़रीदा है वह उस डीलर से नहीं खरीदा है जो सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड है या जो सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड डीलर है और ऐसे केस में आपके बिल में किसी भी प्रकार की सेंट्रल एक्साइज लगे होने का कोई प्रश्न ही नहीं है .

इस पर भी आपको क्रेडिट मिलेगी लेकिन कितनी मिलेगी यह सरकार इस सम्बन्ध में जारी नियमों में तय करेगी . जिन ट्रेडर्स के पास एक्साइज पेड माल है उन्हें नुक्सान से बचाने के लिए इस प्रकार का प्रावधान बनाया गया है

आइये अब देखें कि जी.एस.टी. के जो रूल्स के प्रारूप जारी किये गए है उनके अनुसार इस के डीलर्स को एस.जी.एस.टी और सी.जी.एस.टी. में क्रेडिट कितनी और किस प्रकार से मिलेगी :-

केंद्र का जो सी.जी.एस.टी. वो उस वस्तु की सप्लाई पर भुगतान करेंगे उन्हें इस भुगतान के बाद , इस रकम के 40% के क्रेडिट दे दी जाएगी.

राज्य का जो एस.जी.एस.टी. वो उस वस्तु की सप्लाई पर भुगतान करेंगे उन्हें इस भुगतान के बाद , इस रकम के 40% के क्रेडिट दे दी जाएगी. - जहां राज्य के जीएस.टी. में ऐसा प्रावधान लागू होने की संभावना हो.

GST By Sudhir Halakhandi

इस प्रकार जी.एस.टी. में जो भी कर का भुगतान इन वस्तुओं की सप्लाई पर किया जाएगा उसका 40% की क्रेडिट उन्हें प्रारम्भिक स्टॉक में शामिल ड्यूटी के रूप में मिल जाएगा जिसे उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा कर दिया जाएगा .

यहाँ ध्यान रखें कि यह क्रेडिट मुख्यतया सी.जी.एस.टी. में ही मिलेगी क्यों कि ऐसे डीलर्स वेट में तो रजिस्टर्ड होंगे ही तो उन्हें

उनके टैक्स की पूरी क्रेडिट अपने अंतिम रिटर्न के हिसाब से मिल जायेगी .

वेट में भी ऐसे डीलर्स हो सकते है जो कि वेट के दौरान कम्पोजीशन में थे और अब जी.एस.टी. के दौरान सामन्य कर करदाता की तरह कर का भुगतान करना चाहते है .

यह सारी क्रेडिट उन्हें इस माल को जी.एस.टी. लगने के 6 माह में बेच कर ही प्राप्त करनी होगी , इसके बाद यह क्रेडिट नहीं मिलेगी.

इसके अतिरिक्त एक और बात ध्यान रखें कि इस तरह से मिली हुई इनपुट क्रेडिट का लाभ ऐसे डीलर्स को अपने ग्राहकों को देना होगा.

GST By Sudhir Halakhandi

आज हमनें मुख्य रूप से वेट और केन्द्रीय बिक्री कर के दौरान जो आपके पास अंतिम इनपुट क्रेडिट रह जायेगी एवं यदि आप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / वेट में कर में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके अंतिम स्टॉक में जो सेंट्रल एक्साइज /वेट शामिल है उसकी क्रेडिट आपको कैसे जी.एस.टी. के दौरान मिलेगी उसका अध्ययन किया है. यह विषय थोड़ा मुश्किल है और इसपर ज्यादा समीक्षा अभी नहीं की गई है इसके कुछ अन्य भाग भी है जो कुछ असामान्य परिस्तिथियों में लागू होंगे उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे.

यहाँ ध्यान रखें कि आपको इन सभी क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए Transitional Provisions Rules (अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है) के अनुसार जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म एवं सूचनाओं के साथ अप्लाई करना होगा.

इस क्रेडिट चाहे वह सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड डीलर्स की हो , चाहे वेट में रजिस्टर्ड डीलर्स की हो या उन डीलर्स की हो जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन बिल में लिखी हुई रकम के अनुसार स्टॉक में शामिल सेंट्रल एक्साइज एवं वेट की क्रेडिट लेना चाहते है या जो रजिस्टर्ड भी नहीं है और बिल में सेंट्रल एक्साइज इत्यादि अलग से नहीं लगी है इन सभी श्रेणी के डीलर्स को जी.एस.टी. लगने के 60 दिन के भीतर वांछित सूचनाये जी.एस.टी. पोर्टल Form GST TRANS-1 में देनी होगी .

GST By Sudhir Halakhandi

****

अध्याय -11

जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट

जी.एस.टी.के दौरान इनपुट क्रेडिट एक बहुत मुख्य भाग है और जी.एस.टी. की एक जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि अब आपको लगभग उन सभी सेवाओं और माल की खरीद पर चुकाए हुए कर की इनपुट क्रेडिट मिलेगी जो कि आप अपने व्यापर के दौरान व्यापर की बढ़ोतरी के लिए - "During the course of business and for furtherance of business" खरीदते या प्राप्त करते है .

कर पर कर के युग की समाप्ती

"अभी तक होता यह था कि आप जब वेट का भुगतान करते थे तो इस समय आपको सेंट्रल एक्साइज का इनपुट नहीं मिलता था और जब आप सेंट्रल एक्साइज का भुगतान करते थे तो आपको वेट का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था . यही सम्बन्ध वेट और सर्विस टैक्स का भी था ."

GST By Sudhir Halakhandi

इसे ही कास्केडिंग इफ़ेक्ट कहते है जो कि कर पर कर की स्तिथी है जो कि इस वक्त की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की एक सबसे बड़ी कमी बताई जाती है.

अब आप जो भी कर चाहे वह केंद्र का सी.जी.एस.टी. हो , राज्य का एस.जी.एस.टी. या दो राज्यों के बीच व्यापार के दौरान चुकाया

हुआ आई.जी.एस.टी. हो जो कि आपने माल, सेवा या पूंजीगत माल (Capital Goods) चुकाया हो की इनपुट क्रेडिट आपको मिल जायेगी .

क्या अब व्यापार के दौरान और व्यापार की बढ़ोतरी में खरीदी गई प्रत्येक वस्तु और सेवा पर इनपुट क्रेडिट मिल जायेगी .

-हाँ आप लगभग ऐसा ही समझ सकतें है क्यों कि इसके सम्बन्ध में कुछ सेवाओं और माल की छूट पर या तो प्रतिबन्ध या इनपुट क्रेडिट कुछ शर्तं के साथ मिलने वाली है लेकिन यह सूचि बहुत ही सीमित है अत: यह ज्यादा प्रभाव डालने वाली नहीं है . इन सेवाओं आर माल का जिक्र हम आगे के भाग-2 करेंगे .

GST By Sudhir Halakhandi

आपने सितम्बर माह में 10 लाख रुपये का माल बेचा जिसे आपने 9.50 लाख में खरीदा था और इस माल पर कर की दर 12 प्रतिशत है . मान लीजिये इसमें से 6 प्रतिशत एस.जी.एस.टी. है और 6 प्रतिशत सी.जी.एस.टी. है .

इस प्रकार आपका आउटपुट कर एस.जी.एस.टी. के तहत 60000.00 रूपये है और एस.जी.एस.टी. के तहत भी इसी तरह से 60000.00 रूपये होता है.

आपने यह माल खरीदते समय जो कर का भुगतान किया वह एस.जी.एस.टी. 57000.00 एस.जी.एस.टी. होगा और इतना ही सी.जी.एस.टी. होगा और यह आपकी इनपुट क्रेडिट होगी .

इस प्रकार इस माल की खरीद बिक्री से आपका कर दायित्व एस.जी.एस.टी. में 3000.00 एवं सी.जी.एस.टी. में भी 3000.00 रूपये

बनेगा जो कि आपके मार्जिन 50000.00 का 6 प्रतिशत तो एस.जी.एस.टी. में होगा और इतना ही कर सी.जी.एस.टी. में बनेगा .

इसी माह में आपके व्यवसायिक टेलीफोन का बिल 2000 .00 था जिस पर 18 प्रतिशत की दर से 360 जिसमें से 180.00 रुपये एस.जी.एस.टी.था और 180.00 रूपये ही सी.जी.एस.टी. थी अब आप कर का भुगतान करते समय आपके मासिक कर दायित्व में से 180.00 एस.जी.एस.टी. में से कम कर लेंगे और 180.00 सी.जी.एस.टी. में से कम कर लेंगे.

इस प्रकार कर का भुगतान करते समय आप एस.जी.एस.टी. के 2820.00 रूपये का भुगतान करेंगे और इतना ही कर सी.जी.एस.टी. में भुगतान करेंगे.

इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार अब आपको इनपुट क्रेडिट जी.एस.टी. के दौरान काम में लिए प्रत्येक माल और सेवा के लिए भी मिलेगी.

GST By Sudhir Halakhandi

क्या रिवर्स चार्ज के दौरान भुगतान किये गए कर की इनपुट क्रेडिट भी जी.एस.टी. के दौरान मिलेगी .

-इस इनपुट क्रेडिट में आप द्वारा रिवर्स चार्ज के दौरान जो कर दिया जाता है वह भी शामिल किया जाएगा उसमे वह कर भी शामिल होगा जो कि आपने अन- रजिस्टर्ड डीलर्स से खरीद कर उस पर कर चुकाया है .

मान लीजिये आप कृषी मंडी में एक किसान से तिलहन खरीदते है माह मई में 10 लाख रूपये का और चूंकि किसान एक अन-रजिस्टर्ड डीलर है अत: वो आपसे कर नहीं लेते है तो इस समय तो यह आपकी अन रजिस्टर्ड डीलर से खरीद हो जाती है और खरीद के समय आपको इस पर कोई कर नहीं चुकाना होता है .इसकी बिक्री पर ही कर चुकाना होता है .

लेकिन यदि यही खरीद आप जुलाई में करते है और तब तक जी.एस.टी. लग चुका है तो आपको इस माल 2.50% की दर से एस.जी.एस.टी. चुकाना होगा और इसी दर से 2.50% दर से सी.जी.एस.टी. चुकाना होगा और इसके लिए आपको एक बिल भी बनाना होगा जिसमें खरीददार भी आप ही होंगे .

इसे आप कुछ राज्यों में लगने वाले खरीद कर अर्थात PURCHASE TAX से भी कर सकते है .

GST By Sudhir Halakhandi

इस प्रकार खरीद का यह व्यवहार आपकी खरीद भी होगी और इस पर आप ही कर चुकायेंगे और इसकी भी आपको “इनपुट क्रेडिट” भी मिल मिलेगी .

इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने के लिये क्या - क्या दस्तावेज पेश करने होंगे और इसके लिए क्या क्या अनिवार्यता होगी.

- आइये इनका अध्ययन करें

1. आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट या वह दस्तावेज होना

चाहिए .

2. *आपको वह सेवा या माल अथवा दोंनों प्राप्त हो जाने चाहिए .*
3. *आपने जिस माल या सेवा को खरीदा है उसके सेवा प्रदाता ने या माल बेचने वाले ने कर का भुगतान कर दिया है .*
4. *आपने अपना मासिक रिटर्न भर दिया है .*

इनपुट क्रेडिट मिसमैच

यदि आपके विक्रेता आप को बेचे गए माल पर कर नहीं चुकाते है या इसकी विगत अपने बिक्री के रिटर्न में समुचित रूप से नहीं दिखाते है तो आपको यह मौक़ा मिलेगा कि आप इसमें जब यह आपके खरीद के रिटर्न में अपने आप आये तो आप इसमें संशोधन कर सकते है लेकिन यदि यह संशोधन आपके विक्रेता द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो यह एक मिसमैच होगा और इसे आपको एवं आपके विक्रेता को रिटर्न भरने की अंतिम तिथी के बाद सूचित कर दिया जाएगा और जिस माह में आपको सूचित किया जाता है उस माह में इस मिसमैच का निस्तारण नहीं होता है तो यह खरीददार के उस माह से अगले माह कर में जोड़ दिया जाएगा और इसे आपको जमा कराना होगा.

GST By Sudhir Halakhandi

इस तरह अब सरकार मिस्मैच को लेकर लंबा इन्तजार करने को तैयार नहीं है .

इस तरह से जब विक्रेता अपने रिटर्न सही करके इनपुट् क्रेडिट देगा तब यह क्रेडिट फिर से आपको मिल जायेगी .

लेकिन अब आपको माल खरीदते वक्त सतर्क रहना होगा और आपके विक्रेताओं को भी प्रेरित करना होगा कि वे समय पर कर जमा कराएं

और रिटर्न सही-सही भरे और इसके साथ ही आप जहाँ विक्रेता है वहाँ आप भी अपने रिटर्न सही - सही भरें ताकि आपके क्रेता किसी परेशानी में नहीं पड़े.

क्या इनपुट क्रेडिट का कैपिटल गुड्स पर लिए गए डेप्रिसिएशन से भी कोई सम्बन्ध है ?

-हाँ यदि आप केपिटल गुड्स पर डेप्रिसिएशन लेते समय जी.एस.टी. के कर को भी जोड कर डेप्रिसिएशन लेते है तो ऐसे कर की इनपुट आपको नहीं मिलती है .

इस प्रकार यदि आप कैपिटल गुड्स पर जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट लेना चाहते है तो कैपिटल गुड्स पर डेप्रिसिएशन लेते समय जी.एस.टी. कर को शामिल नहीं करें

GST By Sudhir Halakhandi

क्या करमुक्त वत्तुओं के निर्माण के दौरान कोई वस्तु या सेवा पर कोई कर दिया है तो क्या उसका क्रेडिट मिलेगा ?

-करमुक्त वस्तुओं के निर्माण में जो इनपुट लगता है उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी . यह स्वाभाविक ही है क्यों कि आप जब करमुक्त वस्तुओं पर कोई कर ही नही दे रहे है तो आपको उसमें लगे किसी भी इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा.

यदि कोई डीलर करमुक्त और करयोग्य दोनों ही वस्तुओं में इनपुट का इस्तेमाल करतें है तो इनपुट क्रेडिट किस प्रकार मिलेगी ?

- ऐसी अवस्था में इनपुट क्रेडिट आनुपातिक रूप से मिलेगी और आपको उतना ही क्रेडिट मिलेगा जितना कि आप करयोग्य वस्तूओं और सेवाओं की सप्लाई के लिए काम में ले रहे हैं.

यदि किसी इनपुट का इस्तेमाल व्यापार के साथ व्यक्तिगत कार्य में भी लेते हैं तो इनपुट किस तरह से मिलेगी ?

- ऐसी अवस्था में भी इनपुट क्रेडिट आनुपातिक रूप से मिलेगी और जितना व्यक्तिगत उपयोग किया गया है उतनी क्रेडिट निरस्त हो जायेगी.

"जीरो रेटेड" गुड्स एवं सर्विसेज पर लगे इनपुट का क्या होगा ? कर तो यहाँ भी नहीं दिया जाता है तो क्या यहाँ भी इनपुट क्रेडिट निरस्त हो जायेगी ?

GST By Sudhir Halakhandi

- जी.एस.टी. के दौरान जीरो रेटेड सप्लाई वो होती जो या तो निर्यात की जाती है या सेज (SEZ DEVELOPERS OR SEZ UNITS) डीलर्स को की जाती है .

इनपर लगी इनपूट क्रेडिट रिफंड हो जायेगी .

यहाँ ध्यान रखें कि जो जी.एस.टी. की सूचि जारी की गई है वहां जो NIL TAX में वस्तुएं है उन्हें आप ZERO RATED नहीं समझे वे करमुक्त वस्तुए है और उनपर कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी .

यदि किसी एक बिल से आने वाला माल की डिलीवरी किश्तों में होती है तो इनपुट क्रेडिट कब मिलेगी ?

- ऐसी अवस्था में इनपुट क्रेडिट डीलर को अंतिम डिलीवरी मिलने पर मिलेगी .

- क्या इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध माल एवं सेवा के भुगतान से भी है ?

क्रेताओं को इस बात के लिए प्रोहत्साहित करने या उन्हें आपको भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए जी.एस.टी. कानून में एक प्रावधान बनाया गया है जिसके तहत यदि कोई क्रेता अपने विक्रेता को माल खरीदने के 180 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करते है तो उनकी ऐसे माल पर जिसका भुगतान नहीं करते है की इनपुट क्रेडिट तब तक के लिए कैंसिल कर दी जायेगी और यह क्रेडिट उन्हें उस वक्त ही मिलेगी जब कि वे अपने विक्रेताओं को भुगतान कर दे.

GST By Sudhir Halakhandi

इनपूट क्रेडिट किन -किन वस्तुओं और सेवाओं पर उपलब्ध नहीं है और यदि उपलब्ध भी है तो कुछ शर्तों के साथ :-

क्र.स.	वस्तु या सेवा का विवरण	इनपुट क्रेडिट की शर्त
1.	Motor Vehicles and Other conveyance . मोटर वाहन एवं परिवहन के	सामान्य तौर पर मोटर वाहन एवं परिवहन के साधन एवं वाहन पर चुकाए

	साधन एवं वाहन	हुए जी.एस.टी. कर की इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी . <u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u> इस प्रकार से ख़रीदे गए वाहन का उपयोग करते हुए :- 1.उसे ही बेचने के व्यवसायी में लगे है . 2.यात्री परिवहन के व्यवसाय में लगे हैं. 3.जिस वाहन को खरीदा है उसको चलाना सिखाने के व्यवसाय में लगे हैं. 4.माल परिवहन के व्यवसाय में लगे है.
2.	<u>SERVICE</u>:- Food and beverages Services खाद्य एवं पेय पदार्थ संबधी सेवा	1.सामान्यतया व्यापार के दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया गया है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा . <u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u>

GST By Sudhir Halakhandi

		1.यदि आप इसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं . 2.यदि आप एक सयुंक्त सप्लाई (COMPOSITE SUPPLY) दे रहें है और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी उस सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो. 3.यदि आप एक मिश्रित सप्लाई (MIXED SUPPLY) दे रहें है और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी उस सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.
3.	<u>SERVICE:-</u> Outdoor Catering Services बाह्या खानपान सेवा	1.सामान्यतया व्यापार के दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया गया है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा . <u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u>

GST By Sudhir Halakhandi

		1.यदि आप इसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं . 2.यदि आप एक सयुंक्त सप्लाई (COMPOSITE SUPPLY) दे रहें है और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी उस सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो. 3.यदि आप एक मिश्रित सप्लाई (MIXED SERVICE) दे रहें है और यह सेवा भी अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी एक सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.
4.	<u>SERVICE:-</u> Beuty Treatment Services सौन्दर्य प्रसाधन सेवा	1.सामान्यतया व्यापार के दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया गया है तो

GST By Sudhir Halakhandi

		इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा . **<u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u>** 1.यदि आप इसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं . 2.यदि आप एक सयुंक्त सप्लाई (COMPOSITE SUPPLY) दे रहें है और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी एक सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो. 3.यदि आप एक मिश्रित SUPPLY (MIXED SERVICE) दे रहें है और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी एक सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.
5.	<u>SERVICE:-</u> Health Services	1.सामान्यतया व्यापार के

GST By Sudhir Halakhandi

	स्वास्थ सेवा (स्वास्थ सेवाओं से जो भी हिस्सा कर योग्य है)	दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया गया है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा . कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:- 1.यदि आप इसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं . 2.यदि आप एक सयुंक्त सप्लाई (COMPOSITE suppply) दे रहें है और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी उस सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो. 3.यदि आप एक मिश्रित सप्लाई (MIXED SUPPLY) दे रहें है और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी उस

GST By Sudhir Halakhandi

		सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.
6.	<u>SERVICE:-</u> Cosmetics and Plastic Surgery Service कॉस्मेटिक एवंम प्लास्टिक सर्जरी	1.सामान्यतया व्यापार के दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया गया है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा . <u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u> 1.यदि आप इसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं . 2.यदि आप एक सयुंक्त सप्लाई (COMPOSITE SUPPLY) दे रहें है और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी उस सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो. 3.यदि आप एक मिश्रित

GST By Sudhir Halakhandi

		सप्लाई (MIXED SUPPLY) दे रहें है और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी एक सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.
7.	<u>SERVICE :-</u> Membership of a club , health and fitness centre किसी क्लब या स्वास्थ एवं फिटनेस सेंटर की सदस्यता	इस सेवा का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा .
8.	<u>SERVICE:-</u> Rent -a-cab, Life Insurance, Health Insurance Service	1.सामान्यतया व्यापार के दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया गया है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा . <u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u> 1.जब सरकार इस प्रकार से इन सेवाओं के बारे में अधिसूचित करे कि एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को यह सेवा देना

GST By Sudhir Halakhandi

		अनिवार्य हो. 2. यही सर्विस आपकी आउटपुट सर्विस हो . 3. यही सर्विस आपकी किसी सयुंक्त सप्लाई (composite suppply) या मिश्रित सेवा (MIXED SUPPLY) का भाग हो .
9.	सफ़र सम्बन्धी सेवाए जो कि कर्मचारियों को दी जाती है . Travelling Services (specially with reference to the travel benefits extended to the Employees.	इन सेवाओं पर लगने वाले जी.एस.टी. कर की इनपुट क्रेडिट सामान्य तौर पर यदि आप व्यापार के दौरान खरीदते है या काम में लेते है तो मिल जाएगी . <u>कब मिलेगी नहीं इनपुट क्रेडिट:-</u> जब की इन सेवाओं का उपयोग कर्मचारियों को छुट्टियों पर जाने या होम ट्रेवल कन्सेशन के लिए किया गया है .

GST By Sudhir Halakhandi

		Travel benefits extended to employees on vacation such as Leave or Home Travel concession- No Input credit allowable.
10.	माल एवं सेवाएं जिन्हें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो कि immovable property (प्लांट एवं मशीनरी के अलावा) के construction में काम में लेते है .	इस सेवा की क्रेडिट नहीं मिलेगी . <u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u> जब इसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की आउटपुट सेवा में इनपुट के रूप में इसे काम में लिया जाता है .
11.	माल एवं सेवाएं जिन्हें immovable property के construction (प्लांट एवं मशीनरी के अलावा) में जो कि स्वय के लिए ही निर्मित करवाई है .	इस सेवा की क्रेडिट किसी भी परिस्तिथी में नहीं मिलेगी .
12.	माल एवं सेवा जिस पर कर का भुगतान विक्रेता द्वारा धारा 10 अर्थात कम्पोजीशन	इस प्रकार ख़रीदे गए माल एवं सेवा की क्रेडिट किसी भी परिस्तिथी में नहीं

GST By Sudhir Halakhandi

	डीलर के रूप में किया गया है .	मिलेगी . कम्पोजीशन डीलर्स से माल खरीदने पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है.
13.	माल अथवा सेवा जब एक अनिवासी (Non resident)के द्वारा प्राप्त की गई हो.	इस सेवा की क्रेडिट नहीं मिलेगी . कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:- जब कि इस माल को अनिवासी द्वारा आयात किया गया हो.
14.	माल या सेवा का उपयोग जब व्यापार में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से किया गया हो .	इस सेवा की क्रेडिट किसी भी परिस्तिथी में नहीं मिलेगी .
15.	जिस माल पर आपने कर का भुगतान किया है वह :- (i). खो जाता है ; (ii).चोरी हो जाता है ; (iii). नष्ट हो जाता है ; (iv).बिना बेचे समाप्त हो जाता है ; या (v). उपहार या मुफ़्त नमुने के तौर पर (gift or free sammple) दे दिये गये हो .	इस माल की क्रेडिट किसी भी परिस्तिथी में नहीं मिलेगी .

GST By Sudhir Halakhandi

16.	धारा 74 (Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input credit wronngly avialed or utilised by reason of fraud or any willful mistatement or supppression of facts) धारा 129 (Detention , sezire and release of Goods andconveyance in transiit) एवम धारा 130 (Confication of goods or conveyance and levy of penalty) के तहत कर का भुगतान किया गया है	इस तरह से भुगतान किये गये कर की क्रेडिट किसी भी परिस्तिथी में नहीं मिलेगी . - ये सभी कर चोरी से सम्बंधित मामले है और इनमे चुकाए गए कर की इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी .

GST By Sudhir Halakhandi

अध्याय 12 - अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद :- रिवर्स चार्ज

अन- रजिस्टर्ड डीलर द्वारा माल या सेवा की सप्लाई - कर भुगतान रिवर्स चार्ज के अधीन

जी.एस.टी. के दौरान सामान्यतया कर का भुगतान माल या सेवा की सप्लाई करने वाले को करना होता है लेकिन इस कानून के तहत कुछ प्रावधान इस तरह से भी बनाए गए है जिनके अनुसार कर का भुगतान माल और सेवा के प्राप्तकर्ता को करना होगा.

इसी में से एक है अनरजिस्टर्ड डीलर द्वारा सप्लाई की गई सेवा और माल पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करना जिसे सी. जी.एस.टी. कानून की धारा 9 (4) में बताया गया है और इसी तरह के कानून आई.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. कानून में भी है .

GST By Sudhir Halakhandi

जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 (4) में अनरजिस्टर्ड डीलर्स से खरीद पर खरीददार को कर चुकाने का प्रावधान है जिसे रिवर्स चार्ज कहा जाता है जिसके तहत माल और सेवाएं दोनों ही आती है . आइये इस प्रावधान का अध्ययन करें जो आने वाले समय में आपके व्यापार को प्रभावित करेगी लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर्स के व्यापार को भी प्रभावित करेगी.

रिवर्स चार्ज

एक पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में जो कि एक एक अपंजीकृत सप्लायर द्वारा जो पंजीकृत नहीं है की जाती है उस पर प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जायगा.
इस प्रकार के प्राप्तकर्ता पर इस अधिनियम के समस्त प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जो कि सामान या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है पर लागू होते है .

GST By Sudhir Halakhandi

आइये इसे कुछ सवालों के माध्यम से इस प्रावधान को समझाने का प्रयास करते हैं :-

हम एक रजिस्टर्ड डीलर है और इस समय जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदे है तो हमें इन्पुट क्रेडिट नहीं मिलती है लेकिन हमने अब यह सुना है की जी.एस.टी. के दौरान इस संम्बंध में अर्थात अनरजिस्टर्ड डीलर्स से खरीद के सबंध में प्रक्रिया बदल गई है .

अब यदि हम अन रजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो जी.एस.टी. के दौरान क्या नया होगा ?

-अभी तो आपको क्यों कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है क्यों कि आप इस खरीद पर किसी भी तरह का कर नहीं देते है लेकिन अब यह प्रक्रिया जी.एस.टी. के दौरान बदल जायेगी.

जी.एस.टी. के दौरान यदि आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो आपको इस पर रिवर्स चार्ज के तहत कर भरना होगा और फिर जब आप इस माल को बेचेंगे तो आप को इसकी क्रेडिट मिल जायेगी लेकिन यदि इस टैक्स की इनपूट लेने के योग्य नहीं है तो यह कर आपको भुगतना होगा.

क्या रिवर्स चार्ज के प्रावधान कम्पोजीशन डीलर्स पर भी लागू होंगे ?

-हाँ यदि आप कम्पोजीशन डीलर है और आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो भी आपको इसी रिवर्स चार्ज के तहत कर चुकाना होगा और यह कर चुकाने के बाद आपको कम्पोजीशन कर का भी भुगतान करना होगा.

क्या सेवाओं की प्राप्ती पर जो की अन रजिस्टर्ड डीलर्स से प्राप्त की जाती है पर भी यह प्रावधान लागू होगा.

- हाँ , यदि सेवाएं जो कि अन रजिस्टर्ड डीलर्स से प्राप्त की जाती है उनपर भी यह प्रावधान लागू होगा और ऐसी सेवाएं को प्राप्त करने वाले रजिस्टर्ड डीलर्स को भी रिवर्स चार्ज के तहत कर चुकाना होगा.

GST By Sudhir Halakhandi

क्या इस प्रकार से चुकाये हुए कर की इनपुट क्रेडिट भी मिलेगी ?

- हाँ इस तरह से चुकाए हुए कर की इनपुट क्रेडिट जहाँ भी मिलने योग्य होगी उसी तरह से मिलेगी जैसे कि रजिस्टर्ड डीलर्स की खरीद पर मिलती है .

क्या अनरजिस्टर्ड डीलर के द्वारा सप्लाई की गई हर वस्तु एवं सेवा पर रिवर्स चार्ज के दौरान कर का भुगतान करना होगा.

- हाँ यदि रजिस्टर्ड डीलर किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल या सेवाएं प्राप्त करता है तो उसे रिवर्स चार्ज के तहत कर का

भुगतान करना होगा और यह प्रावधान माल और सेवाओं दोनों पर लागू होगा.

जिन सेवाओं या माल पर इनपुट क्रेडिट स्वीकृत नहीं है क्या उनपर भी रिवर्स चार्ज के तहत का देना होगा.

- हाँ जिन सेवाओं के पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है उनपर भी रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा और वह माल या सेवा की लागत में जुड़ जाएगा .

क्या व्यवसाय में चाय , नाश्ता और स्टेशनरी की सप्लाई पर भी रिवर्स टैक्स के अनुसार कर देना होगा.

- व्यवसाय में चाय , नाश्ता और स्टेशनरी की सप्लाई पर भी रिवर्स टैक्स के अनुसार कर देना होगा.

GST By Sudhir Halakhandi

इस प्रावधान को एक विस्तृत व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से समझाइये ?

- देखिये इसे हम एक उस व्यापारी के सन्दर्भ में समझते है जो कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर से 50000.00 रूपये का ऐसा माल खरीदते है जिस पर कर की दर 12 प्रतिशत है जिसमें से 6 प्रतिशत केंद्र का कर है और 6 प्रतिशत राज्य का कर है.

  आइये अब इस व्यवहार में किस तरह से रिवर्स चार्ज काम करेगा .

  इस खरीद पर रिवर्स चार्ज का प्रावधान लागू होगा और खरीददार इस खरीद पर 6 प्रतिशत की दर से 3000.00 रूपये एस.जी.एस.टी और 3000.00 रूपये सी.जी.एस.टी. के रूप में

चुकायेंगे और आपके द्वारा चुकाया गया यह कर आपको इनपुट क्रेडिट के रूप में अपने रिटर्न में वापिस मिल जाएगा. इसके लिए आप अपने आप को ही एक बिल काटेंगे और इस तरह से रिवर्स चार्ज की यह प्रक्रिया पूरी होगी.

क्या कम्पोजीशन डीलर्स को भी इस तरह से किये गए भुगतान का इनपुट क्रेडिट मिलेगा .

- कम्पोजीशन डीलर्स को किसी भी खरीद पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है इसलिए रिवर्स चार्ज के तहत भुगतान का भी इनपुट क्रेडिट नहीं इलेगा.

क्या यह प्रावधान अन रजिस्टर्ड डीलर के व्यवसाय को प्रभावित करेगा.

- हाँ . अब रजिस्टर्ड डीलर्स अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदने आर जुडी हुई प्रक्रियाओं से बचने के लिए उनसे माल खरीदने या सेवाएं प्राप्त करने की जगह अब रजिस्टर्ड डीलर्स से ही माल एवं सेवाएं प्राप्त करें को प्राथमिकता देंगे और निश्चित रुप से यह अन रजिस्टर्ड डीलर्स के व्यापार को प्रभावित करेगी .

GST By Sudhir Halakhandi

अनरजिस्टर्ड डीलर्स के लिए अब क्या उपाय है कि उनका व्यापार जी.एस.टी. के दौरान इस प्रावधान के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो ?

- जो डीलर्स रजिस्टर्ड डीलर्स के साथ काम करते है अर्थात उन्हें माल बेचते है या उन्हें सेवाएं देते है उन्हें अब थ्रेशहोल्ड लिमिट (20 लाख रूपये) का ध्यान रखे बिना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए.

अध्य्याय -13

जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान

जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू होने जा रहा है। और अब यह सार्वजनिक चर्चा का एक बहुत ही बड़ा विषय है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि इस परिवर्तन की इस प्रक्रिया में बड़े से छोटे सभी व्यापारियों को इस में शामिल किया जा रहा है जहां पूरे अप्रत्यक्ष प्रणाली को नई व्यवस्था की व्यवस्था - माल और सेवा कर अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत ले लिया जाना है।

इस बार में एक मुख्य बात ध्यान में रखें कि कोई परिवर्तन को रोक नहीं सकता क्यों कि परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है लेकिन परिवर्तन का विरोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रया है और यह मन की स्वाभाविक अवस्था है जिसमें परिवर्तन के साथ एक स्वाभाविक डर जुडा रहता है। जी.एस.टी. भी इस परिवर्तन की निरंत्तर प्रक्रिया का ही परिणाम है और अब भारत में लगने वाला ही है इसलिए इस विषय पर चर्चा का दौर भी काफी तेज हो गया है और इसके साथ ही कुछ ऐसे विषय भी है जिनके बारे में उठ रही आशंकाए दूर करना भी जरुरी है.

GST By Sudhir Halakhandi

"जी.एस.टी. के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान" भी जी.एस.टी. के दौरान पूरे देश में हो रही चर्चा का एक हिस्सा है और कई बार लोग हमसे भी इस बारे में प्रश्न करते है और धीरे -धीरे इस विषय पर आने वाले सवालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है .

"जी.एस.टी. के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान" एक विचारोत्तेजक और सनसनीखेज विषय भी है ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में भय और

चिंता का अपना अलग ही हिस्सा जोड़ देगा जो परिवर्तन से बहुत ही जल्दी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।

आज हम जो विषय ले रहे हैं, उनमें से एक "जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान " है जो जीएसटी के विभिन्न हितधारकों के बीच इस समय चर्चा और चिंता का विषय है। इसका कारण बहुत सरल है और वह यह है की “गिरफ्तारी” शब्द अपने आप में ही बहुत गंभीर कार्रवाई है.

आइये हम यह जीएसटी के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान को बहुत सावधानी से देखें हैं कि यह कैसे और किस तररह के जीएसटी डीलरों को प्रभावित करेगा ताकि आपके दिमाग में इस प्रावधान को लेकर कोई भ्रांतियां हो तो वे दूर हो सके इस सम्बन्ध में जो भय और असमंजस का वातावरण है जिन्हें आप अफवाहें भी कह सकते है वह भी दूर हो जाए ताकि आपका जी.एस.टी. में प्रवेश हो वह भयमुक्त वातावरण में हो.

GST By Sudhir Halakhandi

माल और सेवा कर के प्रावधानों के तहत व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है?

जी.एस.टी. के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान धारा 69 में दिए गए हैं और उनके अनुसार यदि सीजीएसटी / एसजीएसटी के आयुक्त का मानना है कि एक व्यक्ति ने 132 के तहत अपराध किया है जिनका उल्लेख इस धारा के प्रथम चार बिन्दुओं 132 (a), (b), (c) एवं (d) में किया गया है , तो उन्हें आयुक्त द्वारा अधिकृत सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मामले में आयुक्त को ही निर्णय लेने का अधिकार होगा और गिरफ्तार करने वाला अधिकारी भी आयुक्त द्वारा अधिकृत किया जाएगा . आगे इसी लेख में हम इन अपराधों का विवरण दे रहें है .

जी.एस.टी. कानून की धारा 69 के अनुसार ही गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के आधार एवंम कारण के बारे में सूचित किया जाएगा। जिन मामलो में जमानत नहीं दी जा सकती है ऐसे जी.एस.टी. के दौरान करचोरी के अपराध के मामले में उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जिन मामलों में जमानत दी जा सकती है ऐसे जी.एस.टी. के दौरान कर चोरी के अपराध के मामले में उन्हें गिरफ्तारी के नियमानुसार बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा।

किन मामलों में जमानत दी जा सकती है एवंम किन मामलो में जमानत नहीं दी जा सकती इनका उल्लेख भी इस लेख में आगे हमने किया है .

किस प्रकार के अपराध / 132 के तहत गिरफ्तार किए गए प्रावधान लागू होते हैं

GST By Sudhir Halakhandi

जी.एस.टी. कानून की धारा 132 के मामले जहां गिरफ्तारी प्रावधान लागू किये जा सकते हैं: -

1. कर चोरी के उद्देश्य से एक कर योग्य व्यक्ति बिना किसी बिल के किसी भी सामान / सेवाओं की आपूर्ति (सप्लाई) करता है.
2. जीएसटी के प्रावधानों के उल्लंघन में माल / सेवाओं की आपूर्ति के बिना वह कोई चालान या बिल जारी करता है जिनके कारण गलत तरीके से इनपुट क्रेडिट और रिफंड लिया जाता है.
3. बिना माल एवं सेवा की सप्लाई के ऊपर वर्णित बिलों से कोई व्यक्ति गलत इनपुट क्रेडिट लेता है .
3. वह किसी भी जीएसटी कर को एकत्र करता है लेकिन इसे जमा कराने की नियत तिथी के 3 महीनों के भीतर सरकार में जमा नहीं

करता है .

ये सभी मामले आप मान कर चलिए कि कर की चोरी से संबंधित हैं और यह कर की चोरी 2 करोड़ रूपये से अधिक है तो गिरफ्तारी के प्रावधान लागू होते है .

गिरफ्तारी प्रावधानों के साथ धारा 69 एवं धारा 132 पढ़ने पर, जो एक तथ्य सामने आता है वह यह है कि एक व्यक्ति को केवल तब ही गिरफ्तार किया जा सकता है जहां कर चोरी 200 लाख रुपये से अधिक की हो तो अब यह मान कर चलिए कि सामान्य तौर पर जहाँ "मध्यम और छोटे श्रेणी" के डीलर्स काम कर रहें है गिरफ्तारी के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्यों कि इतनी बड़ी रकम की कर चोरी की संभावना की कल्पना इस स्तर पर नहीं की जा सकती है .

लेकिन यहां एक और बात का उल्लेख किया जाए कि अगर किसी व्यक्ति को पहले के अवसर पर पहले से दोषी ठहराया गया है तो उसके दूसरे अपराध के मामले में गिरफ्तारी प्रावधान टैक्स की चोरी के 2 करोड़ रुपये की सीमा के बिना उसके ऊपर लागू होंगे। एक बार दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तारी के इस प्रावधान जो की जी.एस.टी. की धारा 69 एवं 132 में वर्णित है को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।

GST By Sudhir Halakhandi

ऊपर आपको बताया की गिरफ्तारी के किन मामलों में जमानत मिल सकती है और कौनसे ऐसे मामले है जहाँ जमानत नहीं मिल सकती है . इसके लिए हमें जी.एस.टी. के दौरान जिन अपराधों में गिरफ्तार किया जा सकता है उन्हें संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक अपराध अर्थात Cogniizable offence or Non Congnizable offence में बाटना होगा .

जीएसटी - संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक अपराध

(Cogniizable offence or Non Congnizable offence)

जीएसटी में संज्ञेय अपराध (Cogniizable offence) का मतलब है कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित अपराध, जहां टैक्स चोरी, गलत तरीके से लिया गया इनपुट क्रेडिट या रिफंड 5 करोड़ रुपये से अधिक है।

ये संज्ञेय (Cogniizable offence) अपराध हैं, इसलिए गैर-जमानती (Non-bailablle) भी है .

टैक्स चोरी से जुड़ी जीएसटी के तहत अन्य अपराध, गलत तरीके से लिया गया इनपुट क्रेडिट या रिफंड जहाँ यह राशि 5 करोड़ रूपये या इससे कम है तो संज्ञेय अपराध (Non Congnizable offence) हैं और जमानती (bailablle) भी हैं।

अब जीएसटी में जब संज्ञेय (Cogniizable offence)

और गैर-संज्ञेय (Non Congnizable offence) दोनों ही अपराध

GST By Sudhir Halakhandi

इसलिए हमें पता होना चाहिए कि संज्ञेय अपराध और गैर-संज्ञेय

अपराध का क्या अर्थ है।

संज्ञेय अपराध (Cogniizable offence) वे होते हैं जहां पुलिस बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। वे गंभीर अपराध हैं और गैर-संज्ञेय अपराध (Non Congnizable offence) वे होते हैं, जहां एक पुलिस अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जी.एस.टी. के दौरान 5 करोड़ से अधिक की कर चोरी के मामले गंभीर माने गए है .

कौन गिरफ्तारी कर सकता है

केवल आयुक्त (Commmissioner) एक अधिकारी को ऊपर वर्णित स्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत

(Authorise) कर सकता है। सभी क्षेत्र के आयुक्त के नीचे के अधिकारियों को गिरफ्तारी के मामले में कोई फैसला लेने और शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार अपने आप नहीं होता क्योंकि "गिरफ्तारी" खुद ही एक अपने आप में बहुत संवेदनशील मामला है।

गिरफ्तारी के समय क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए

भारतीय दंड संहिता के सभी प्रावधानों को जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों को अधिकृत करते हुए और इस्तेमाल करते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। इसे नियमित कार्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में आपराधिक प्रक्रियाएं के दौरान गिरफ्तारी के सभी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए और उस मामले में गिरफ्तार अधिकारी को प्रक्रियाओं और नियमों का का ज्ञान होना चाहिए।

GST By Sudhir Halakhandi

डीके बसु बनाम राज्य बंगाल राज्य के मामले में 1997 (1) एससीसी 416 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के मामले में अगली दिशा-निर्देश जारी कर रखें है और ये सभी जीएसटी के तहत गिरफ्तारी पर भी लागू हैं अत: इन शक्तियों को काम में लेने वाले अधिकारियों को भी इन्हें ध्यान में रखना होगा ।

इस संम्बंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों इस प्रकार हैं :-

1.गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नाम उनके पदनाम (designation) के साथ , स्पष्ट और दिखते होने चाहिए तथा उनकी पहचान पत्र उनके पास होना चाहिए रखना चाहिए।
2.गिरफ्तारी के दौरान किसी एक रिश्तेदार के द्वारा गिरफ्तारी मेमो

पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए या उसकी अनुपस्थिति में किसी क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए और इसके अतिरिक्त गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी गिरफ्तारी मेमो पर काउंटर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए .
3.गिरफ्तारी व्यक्ति को उस जगह से एक रिश्तेदार या मित्र को सूचित करने का अधिकार होगा जहां उसे गिरफ्तार किए जाने के बाद रखा जाता है जैसे एक पुलिस स्टेशन, लॉकअप या पूछताछ स्थल.
4.गिरफ्तार व्यक्ति का हर 48 घंटों के दौरान मेडिकल परीक्षण कराया जाना चाहिए .
5.पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान लगातार वकील की उपस्तिथी की अनुमति नहीं होगी ।
6.गिरफ्तार किए गए मेमो सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियों को उनके रिकॉर्ड के लिए मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए।

GST By Sudhir Halakhandi

गिरफ्तारी कब जरूरी होगी !!!!!!

यह विशुद्ध रूप से आयुक्त के विवेकाधीन निर्णय पर आधारित है लेकिन यह शक्ति बहुत सावधानी से इस्तेमाल की जानी चाहिए। निर्णय लेने के दौरान निम्नलिखित कारकों को ध्यान में लेने के बाद शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए: -

1. अपराध की उचित जांच।
2. फरार होने से व्यक्ति को रोकने के लिए
3. सबूतों के साथ छेडछाड होने की संभावना को रोकने के लिए।
4. गवाह या गवाहों को डरा देने या प्रभावित करने से रोकने

के लिए।

ये कुछ कारण हैं जिन्हें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्णय करते समय विचार किया जाना चाहिए।

क्या है उद्योग और व्यापार की राय

जीएसटी में गिरफ्तारी की शक्तियां भारत में किसी भी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में नई नहीं हैं और हमारे पास ऐसे केंद्रीय या किसी अन्य तरह के प्रावधानों और सेवा कर कानूनों में समान हैं या नहीं, लेकिन व्यापार और उद्योग हमेशा इन शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में आशंका करते हैं। जीएसटी एक नया कानून है और करदाताओं को जीएसटी के प्रयोज्यता के आरंभिक चरण में इन प्रावधानों को पसंद नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, व्याख्या की समस्या, राय के अंतर में इन प्रावधानों का दुरूपयोग हो सकता है।

GST By Sudhir Halakhandi

लेकिन यह तथ्य यह है कि 2 करोड़ रुपये की कर चोरी राशि की निचली सीमा में इन प्रावधानों के दायरे से अधिकांश डीलरों को रखा जाएगा।

अध्याय 14

गुडस और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स

गुडस और सर्विस टैक्स में, बहुत सारे कार्य हैं जो ऑनलाइन किए जाने है और इन कार्यों में विभिन्न रिटर्न भरना , प्रपत्र प्रस्तुत करना , कर आदि जमा करना , इनपुट क्रेडिट को चेक करना , इनपुट और आउटपुट क्रेडिट में संशोधन करना इत्यादि सम्मिलित है जो कि डीलर्स को करने होंगे और इन उद्देश्यों के लिए कर डीलर्स "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" की सेवा को काम में ले सकते हैं . सकते हैं।

जीएसटी व्यवसायियों के साथ - साथ यह कर क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए बहुत भी बहुत ही दिलचस्प विषय होगा जिससे उन्हें भी यह पता लगेगा है कि "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर"के लिए योग्यता और अयोग्यता क्या होगी और "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" किस तरह का काम कर सकता है और जीएसटी डीलरों के साथ किस तरह का संबंध होगा ।

GST By Sudhir Halakhandi

इसके अलावा जीएसटी व्यवसायियों द्वारा दायर किए गए रिटन्र्स एवंम उनमे भरी जाने वाले सूचनाओं की सत्यता के के लिए जिम्मेदार कौन होगा और जीएसटी प्रैक्टिस के दौरान "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" के कर्तव्य क्या होंगे और वे खुद अर्थात "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" जीएसटी के सामान्य पोर्टल जी.एस.टी.एन पर कैसे पंजीकृत होंगे और रजिस्टर्ड डीलर द्वारा

उनको अधिकृत की प्रक्रिया क्या होगी और जीएसटी डीलर की ओर से वे क्या कार्य कर सकेंगे.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" के रूप में काम कर सकते हैं, इसके अलावा वाणिज्यिक कर विभाग और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी, कुछ विशिष्ट विषयों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर, जिसमें कानून , उच्च लेखा परीक्षा, व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन सहित बैंकिंग विषय भी शामिल है , जीएसटी व्यवसायियों के रूप में काम करने के लिए योग्य होंगे ।

"गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" द्वारा जो काम किया जा सकता है उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	कार्य का विवरण
1.	इनपुट एवं आउटपुट के रिटर्न प्रस्तुत करना .
2.	मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करना
3.	इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में जमा करने के लिए जमा कराना ;
4.	धनवापसी के लिए दावा दर्ज करें; तथा
5.	एक पंजीकरण के संशोधन या रद्द करने के लिए आवेदन करें।

GST By Sudhir Halakhandi

कौन "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" हो सकता है

क्र.सं.	व्यक्ति की योग्यता
1.	वह किसी भी राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग या

	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार के राजस्व विभाग, के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान, कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए समूह-बी राजपत्र अधिकारी के या समकक्ष पद पर कार्य किया हो; या
2.	किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से कानून, उच्च ऑडिटिंग सहित बैंकिंग, या व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन या एक स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या इसके बराबर परीक्षा वाणिज्य में डिग्री.
3.	किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री, जो कि ऊपर की धारा में उल्लिखित डिग्री परीक्षा के बराबर है; या
4.	4. इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य परीक्षा; या
5.	5. किसी भारतीय विश्वविद्यालय या किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय की किसी भी डिग्री परीक्षा में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त है और निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा उत्तीर्ण की गई है - भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के अंतिम परीक्षा; या भारत के कॉस्ट एकाउंटेंट संस्थान के अंतिम परीक्षा; या - भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान की अंतिम परीक्षा

GST By Sudhir Halakhandi

उपरोक्त वर्णित शिक्षा एवं डिग्री की योग्यता के साथ “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के लिए अन्य अनिवार्य परिस्थितियां निम्नानुसार हैं: -

वह भारत का नागरिक है;
वह ध्वनि मन का एक व्यक्ति है;
वह दिवालिया के रूप में घोषित नहीं लिया है
वह एक सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध के लिए दो साल से कम समय तक कारावास के साथ दोषी नहीं ठहराया गया है.

GST By Sudhir Halakhandi

“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के लिए आवेदन कैसे करें

जो व्यक्ति जो “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” रूप में कार्य करने के लिए पात्र है, वह “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के लिए के नामांकन के लिए इस प्रकार अधिकृत अधिकारी को फॉर्म जीएसटी पीसीटी -1 में आवेदन कर सकता है;

आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझता है, या तो आवेदक को “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के लिए के रूप में नामांकित करेगा और फॉर्म जीएसटी पीसीटी -2 में उसे इसका प्रमाण पत्र जारी कर देगा या अपने आवेदन को अस्वीकार कर देगा जहां यह पाया जाता है कि

आवेदक जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकित होने के योग्य नहीं हैं।

“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के लिए एक बार जारी किया गया पंजीकरण तब तक वैध होगा जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता है .

कैसे वैध “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है

यदि किसी भी “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” को इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, फॉर्म जीएसटी पीसीटी में आदेश द्वारा आदेश दे सकता है कि वह “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” अब अधिनियम की धारा 48 के तहत अयोग्य ठहराएगा। इस तरह के आदेश को केवल ऐसे “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” नोटिस देने के बाद ही पारित किया जाएगा जिस नोटिस में उसे सुनवाई का उचित मौका दिया जाएगा ।

GST By Sudhir Halakhandi

इस आदेश के खिलाफ “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” द्वारा आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। इस तरह की अपील आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर दर्ज करनी जरुरी होगी ।

“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर”की सूची

“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स” की एक सूची को सामान्य जीएसटी पीसीटी में पोर्टल “जी.एस.टी.एन” लगाईं जायेगी । प्राधिकृत अधिकारी समय-समय पर सूची में ऐसे संशोधन कर सकता है, जो किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन या मृत्यु या किसी भी अयोग्यता के कारण होते है .

“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” को अधिकृत करना

अधिनियम की धारा 48 (2) के अनुसार एक डीलर अपने आउटवार्ड सप्लाई के रिटर्न , इनवर्ड सप्लाई के रिटर्न , मासिक रिटर्न , वार्षिक रिटर्न , रिफंड के लिए प्रार्थना पत्र , रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में संशोधन इत्यादि कार्यों को करने के लिए एक "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" को अनुमोदित कर सकता है और ये कार्य एक डीलर के लिए सके द्वारा अधिकृत "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" करेगा.

नियम 24 (7) के अनुसार एक पंजीकृत डीलर फॉर्म जीएसटी पीसीटी -6 के द्वारा एक अपने विकल्प पर "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" को फॉर्म जीएसटी पीसीटी -6 में सामान्य पोर्टल पर अधिकृत कर सकता है या किसी भी समय एक अन्य फॉर्म जीएसटी पीसीटी -7 के द्वारा इस अधिकृत "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" को दिया गया अनुमोदन समाप्त किया जा सकता है .

GST By Sudhir Halakhandi

"गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" द्वारा भरे रिटर्न का डीलर द्वारा अनुमोदन

जहां "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न एवं अन्य प्रपत्र का अनुमोदन डीलर को करना होगा इसके लिए ये रिटर्न जी.एस.टी. पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे तथा डीलर को ईमेल या एसएमएस द्वारा अनुमोदन के लिए सूचित किया जाएगा .

"गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर"द्वारा प्रस्तुत रिटर्न एवं अन्य प्रपत्र को जी.एस.टी. पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि डीलर इन्हें अनुमोदित कर सके लेकिन जहां इस तरह के रिटर्न देने की आखिरी तारीख तक इन्हें डीलर द्वारा अन्मोदित नहीं किया जाता है

तो यह माना जाएगा कि उन्होंने "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" द्वारा प्रस्तुत रिटर्न या अन्य डाक्यूमेंट्स की पुष्टि की है।

"गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" द्वारा पेश किये रिटर्न्स की सत्यता के लिए कौन जिम्मेदार होगा ?

जीएसटी प्रैक्टिशनर के माध्यम से अपनी रिटर्न प्रस्तुत करने का चयन करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी पीसीटी -6 फॉर्मेट में किसी भी जीएसटी प्रैक्टिशनर को अपनी रिटर्न तैयार करने और प्रस्तुत करने और जीएसटी प्रैक्टिशनर द्वारा तैयार किए गए किसी भी रिटर्न को जमा करने की पुष्टि करने से पहले अपनी सहमति देगा।

यहाँ यह ध्यान में रखें की भले ही रिटर्न "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" के द्वारा भरे गए लेकिन इनकी सत्यता की जिम्मेदारी जी.एस.टी. डीलर की ही होगी इसलिए उन्हें रिटर्न इत्यादि आनुमोदित करने का जो मौक़ा मिलता है उसमें वह इन्हें अच्छी तरह से चेक करने की आदत बनाए .

GST By Sudhir Halakhandi

कैसे भरेंगे "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" रिटर्न इत्यादि

"गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" जी.एस..टी. द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर रिटर्न इत्यादि बयान तैयार करेगा एवं इन रिटर्न्स के साथ "गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर" अपने डिजिटल हस्ताक्षर को जोड़ना होगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सत्यापित करना होगा ।

अध्याय 15

जी.एस.टी.

आपके सवाल और उनके जवाब

प्रश्न :-

जी.एस.टी. को लेकर जो माइग्रेशन का कार्य हुआ था उसमें हम अपना माइग्रेशन नहीं करवा पाए और इस समय हमें यह जानकारी मिली है कि जी.एस.टी. माइग्रेशन का कार्य बंद हो चुका है . अब हम किस तरह जी.एस.टी. में रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे?

उत्तर :-

जी.एस.टी. पोर्टल पर इस समय जी.एस.टी. माइग्रेशन बंद है लेकिन सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि अतिशीघ्र यह प्रक्रिया फिर से प्रारंम्भ होगी . अभी तक जो प्राप्त समाचार है उनके अनुसार एक जून 2017 से यह प्रक्रिया फिर से प्रारम्भ होगी और इसके लिए 15 का संमय फिलहाल और दिया जाएगा .

GST By Sudhir Halakhandi

यह प्रक्रिया एक जून 2017 से प्रारम्भ हो चुकी है और फिलहाल 15 दिन के लिए आप इसपर अपनी माइग्रेशन की कार्यवाई कर सकते है .

प्रश्न :-

हम वेट एवं सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड है और हमारे द्वारा भरे हुए रिटर्न में कुछ ना कुछ कर आगे ले जाने को बकाया रहता है. इस बकाया का क्रेडिट हमें किस प्रकार से जी.एस.टी. के दौरान मिलेगा ?

उत्तर :-

आपका जो अधिक कर एक्स्सस इनपुट क्रेडिट के रूप में आपके जी.एस.टी. लागू होने के ठीक पहले वाले रिटर्न अर्थात इस समय लागू कर प्रणाली के अंतिम रिटर्न में आ रहा है वह आपका जी.एस.टी. के दौरान इनपुट क्रेडिट का प्रारम्भिक शेष होगा.

वेट का अंतिम शेष एस.जी.एस.टी. का प्रारम्भिक शेष होगा और सेंट्रल एक्साइज का अंतिम शेष सी.जी.एस.टी. का प्रारभिक शेष होगा.

इसके लिये जरुरी यह है कि यह क्रेडिट जी.एस.टी. के दौरान भी स्वीकृत होनी चाहिए तथा एक निर्धारित फॉर्म में वांछित सूचनाये जी.एस.टी. पोर्टल पर जी.एस.टी लगने के 60 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दी गई हो.

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-

हम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन हमारे पास जो माल स्टॉक में रहता है उस पर सेंट्रल एक्साइज लगता है और हमारे बिल में यह सेंट्रल एक्साइज लगा हुआ दिख भी रहा है . इसका क्रेडिट हमें क्या जी.एस.टी. के दौरान मिल जाएगा ? यदि हाँ तो किस तरह से मिलेगा ?

उत्तर :-

ऐसी अवस्था में जिस माल का स्टॉक आपके पास है वह जी.एस.टी. में भी करयोग्य रहता है या यह कच्चा माल है या अर्धनिर्मित माल है जिससे बनने वाले माल पर जी.एस.टी. लगता है तो आपके बिल में

या चालान में ऐसा कोई कर लगा है तो आपको उसकी छूट मिल जायेगी .

यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका यह बिल /चालान जी.एस.टी. लागू होने की तारीख से 12 माह से ज्यादा पुराना नही होना चाहिए .

प्रश्न :-

हम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन हमारे पास जो माल स्टॉक में रहता है उस पर सेंट्रल एक्साइज लगता है और हमारे बिल में यह सेंट्रल एक्साइज लगा हुआ दिख नहीं रहा है .इसका क्रेडिट हमें क्या जी.एस.टी. के दौरान मिल जाएगा ? यदि हाँ तो किस तरह से मिलेगा ?

उत्तर :-

GST By Sudhir Halakhandi

इस अवस्था में पहले आप इस माल पर सी.जी.एस.टी. चुकायेंगे और फिर इस कर का जो इस माल पर आपने चुकाया है जो कि आपके स्टॉक का हिस्सा था उस कर का 40 प्रतिशत आपको फिर से इनपुट क्रेडिट के रूप में क्रेडिट कर दिया जाएगा.

यह माल आपको जी.एस.टी. लगने के 6 माह के भीतर ही बेचना होगा यदि आप इस तरह से इनपुट क्रेडिट का लाभ लेना चाहते है और जो माल स्टॉक में से 6 माह बाद भी शेष रह जाएगा उस पर कोई भी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी .

प्रश्न :-

इस समय हमारे राज्य में जो वेट लागू है उसमे मिसमैच एक बहुत ही बड़ी समस्या है और जब हमारा कर निर्धारण हो जाता है तो जो कर हमारे विक्रेता नहीं जमा कराते है या हमें बेचे गए माल की विगत नियमानुसार अपने रिटर्न में नहीं देते है तो यह कर हमारे खाते में मिस मैच आ जाता है और यह कर हमसे ब्याज सहित माँगा जाता है .

क्या जी.एस.टी. के दौरान भी यह समस्या बनी रहेगी ?

उत्तर :-

यदि आपके विक्रेता आप को बेचे गए माल पर कर नहीं चुकाते है या इसकी विगत अपने बिक्री के रिटर्न में समुचित रूप से नहीं दिखाते है तो आपको यह मौक़ा मिलेगा कि आप इसमें जब यह आपके खरीद के रिटर्न में अपने आप आये तो आप इसमें संशोधन कर सकते है लेकिन यदि यह संशोधन आपके विक्रेता द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो यह एक मिसमैच होगा और इसे आपको एवं आपके विक्रेता को रिटर्न भरने की अंतिम तिथी के बाद सूचित कर दिया जाएगा और जिस माह में आपको सूचित किया जाता है उस माह में इस मिसमैच का निस्तारण नहीं होता है तो यह खरीददार के उस माह से अगले माह कर में जोड़ दिया जाएगा और इसे आपको जमा कराना होगा.

GST By Sudhir Halakhandi

इस तरह अब सरकार मिस्मैच को लेकर लंबा इन्तजार करने को तैयार नहीं है .

इस तरह से जब विक्रेता अपने रिटर्न सही करके इनपुट् क्रेडिट देगा तब यह क्रेडिट फिर से आपको मिल जायेगी .

लेकिन अब आपको माल खरीदते वक्त सतर्क रहना होगा और आपके विक्रेताओं को भी प्रेरित करना होगा कि वे समय पर कर जमा कराएं

और रिटर्न सही-सही भरे और इसके साथ ही आप जहाँ विक्रेता है वहाँ आप भी अपने रिटर्न सही - सही भरें ताकि आपके क्रेता किसी परेशानी में नहीं पड़े.

प्रश्न :-

हम एक रजिस्टर्ड डीलर है और इस समय जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदे है तो हमें इन्पुट क्रेडिट नहीं मिलती है लेकिन हमने अब यह सुना है की जी.एस.टी. के दौरान इस संम्बंध में अर्थात अनरजिस्टर्ड डीलर्स से खरीद के सबंध में प्रक्रिया बदल गई है .

अब यदि हम अन रजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो जी.एस.टी. के दौरान क्या नया होगा ?

उत्तर :-

GST By Sudhir Halakhandi

अभी तो आपको क्यों कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है क्यों कि आप इस खरीद पर किसी भी तरह का कर नहीं देते है लेकिन अब यह प्रक्रिया जी.एस.टी. के दौरान बदल जायेगी.

जी.एस.टी. के दौरान यदि आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो आपको इस पर रिवर्स चार्ज के तहत कर भरना होगा और फिर जब आप इस माल को बेचेंगे तो आप को इसकी क्रेडिट मिल जायेगी लेकिन यदि इस टैक्स की इनपूट लेने के योग्य नहीं है तो यह कर आपको भुगतना होगा.

इसके अलावा यदि आप कम्पोजीशन डीलर है और आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो भी आपको इसी रिवर्स चार्ज के तहत

कर चुकाना होगा और यह कर चुकाने के बाद आपको कम्पोजीशन कर का भी भुगतान करना होगा.

प्रश्न :-

रजिस्ट्रेशन से लिए क्या टर्नओवर की लिमिट रहेगी ? यदि हम एक से अधिक राज्य में काम करते है तो यह लिमिट किस तरह से लागू होगी ?

क्या कुछ विशेष राज्यों के लिए यह लिमिट अलग है ?

उत्तर :-

जी.एस.टी. के दौरान टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपये होगी . इसमें करयोग्य , करमुक्त , जो करयोग्य माल नहीं है वह सभी जोड़ा जाएगा और इसमें पूरे भारत में एक ही पेन से रजिस्टर्ड सभी डीलर्स के टर्नओवर को जोड़ दिया जाएगा .

GST By Sudhir Halakhandi

इसा प्रकार यदि आप एक राज्य से अधिक राज्य में रजिस्टर्ड है तो सबका टर्नओवर जोड़ दिया जाएगा.

उत्तर-पूर्व के राज्यों एवं कुछ विशिष्ठ राज्यों में यह सीमा 10 लाख रूपये है .

लेकिन आप केवल करमुक्त वस्तुओं में ही काम करते ही और आपकी कोई करयोग्य बिक्री नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी .

प्रश्न :-

जी.एस.टी. के दौरान दो टैक्स होंगे तो क्या हमें रिटर्न भी दो अलग–अलग विभागों में भरने होंगे और क्या हमारा कर निर्धारण भी दो अलग - अलग विभागों में अलग-अलग होगा ?

उत्तर :-

सरकार ने प्रारम्भ से ही वादा किया था कि भले ही कर दो हो लेकिन रिटर्न एक ही रहेगा अर्थात जितने भी रिटर्न होंगे उनमें ही सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. दोनों की ही विगत होगी और इसके लिए अलग -अलग रिटर्न नहीं भरने होंगे.

आपका कर निर्धारण भी एक ही जगह होगी अर्थात या तो आपका कर निर्धारण राज्य के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा या फिर केंद्र के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा अर्थात एक ही डीलर को एक ही वर्ष में दोनों अधिकारियों के द्वारा कर निर्धारण नहीं करवाना होगा . इस प्रकार डीलर्स पर दो कर होते हुए भी दोहरा नियंत्रण नहीं होगा.

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-

यदि एक डीलर का कर निर्धारण एक ही अधिकारी द्वारा होना है तो यह कैसे तय होगा कि कौनसा डीलर कर निर्धारण के लिए राज्य के पास रहेगा और कौनसा डीलर केंद्र के पास रहेगा.

उत्तर :-

150 लाख रुपये की बिक्री से अधिक के डीलर्स के नियंत्रण को राज्य और केंद्र के बीच सहमती के तहत 50 : 50 के अनुपात में बांटा

जाएगा अर्थात कुल डीलर्स के 50 प्रतिशत पर राज्य नियंत्रण रखेंगे और शेष 50 प्रतिशत पर केंद्र नियंत्रण रखेगा.

इन्हें अंतिम रूप से किस तरह से राज्य और केंद्र के बीच बांटा जायगा यह अभी तय नहीं है और इसके लिए कोई औड / ईवन (odd/even) जैसा कोई फार्मूला भी हो सकता है जो कि डीलर्स के लिए एक भ्रम और असमंजस की स्तिथी पैदा कर सकता है .

प्रश्न :-

हम एक व्यापारी है और किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं क्या जी.एस.टी. के तहत हमें स्टोक की पूरी विगत रखनी होगी ?

उत्तर :-

GST By Sudhir Halakhandi

हाँ यदि आप निर्माता नहीं है और केवल एक डीलर है तो भी आपको अपना स्टॉक का हिसाब पूरा -पूरा रखना होगा . इसके लिए जी.एस.टी. कानून की धारा 35 में प्रावधान किया गया है जिसमें सभी डीलर्स को अपने स्टोक का हिसाब रखना होगा.

प्रश्न :-

क्या जी.एस.टी. के दौरान सी -फॉर्म एकत्र करने की समस्या रहेगी या समाप्त हो जायेगी ?

उत्तर :-

जी.एस.टी. के दौरान दो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार को आई.जी.एस.टी. के द्वारा संचालित किया जाएगा और केन्द्रीय बिक्री

कर (CST) समाप्त हो जायगा इसलिए सी -फॉर्म एकत्र करने की कोई समस्या नहीं रहेगी . आई.जी.एस..टी. में भी किसी फॉर्म से समर्थित किसी बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है .

प्रश्न :-
और एफ - फॉर्म अर्थात डिपो ट्रान्सफर का क्या होगा ? जारी रहेंगे या समाप्त हो जायेगी .

उत्तर :-
जी.एस.टी. के दौरान माल को बेचने और भेजने के अंतर को समाप्त कर दिया है और चूँकि जी.एस.टी. बिक्री की जगह सप्लाई पर लगने वाला कर है अत: कर देयता के लिए अब माल को बेचना और बिक्री के लिए भेजना दोनों ही एक ही है .

GST By Sudhir Halakhandi

इसलिए डिपो ट्रान्सफर जहाँ माल बिक्री के लीये भेजा जाता है भी सप्लाई में शामिल होगा और उस पर बिक्री की तरह ही कर देना होगा और अब ऍफ़-फॉर्म या इस तरह का कोई भी फॉर्म नहीं रहेगा.

प्रश्न :-
इस समय रोड परमिट माल के लाने ले जाने के लिए लागू होता है और यह एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री करने पर लागू होता है . क्या जी.एस.टी के दौरान यही व्यवस्था रहेगी या रोड परमिट से हमें छुटकारा मिल जाएगा ?

उत्तर :-

-50000.00 रूपये से अधिक के प्रत्येक जिसमे माल का मूवेमेंट हो रहा है उस पर यह इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी करना होगा चाहे यह मूवमेंट माल की सप्लाई के लिए हो या किसी और कारण से.

आप यह मान कर चले कि 50000.00 रूपये से अधिक का माल बिना इलेक्ट्रोनिक वे-बिल के मूव नहीं कर पायेगा. अब आप इस मूव का अर्थ मॉल को बेचना और भेजना दोनों ही लगा सकते है और चूँकि यह मूव सप्लाई के अलावा भी सारे माल के मूवमेंट को कवर करता है इसलिए अभी तक जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार 50000.00 रूपये के अधिक के माल के हर मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी करना होगा .

इस प्रकार आप यह समझ लें कि रोड परमिट जो इस समय जारी है वे अपने और विस्तृत स्वरुप में मौजूद रहेगे .

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-ये इलेक्ट्रोनिक वे-बिल कहाँ से जारी होगा ?

उत्तर :-

-ये इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जी.एस.टी. कॉमन पोर्टर से जारी होगा और आपको इसे कंप्यूटर और इन्टरनेट की मदद से जारी करना होगा. इस इलेक्ट्रोनिक वे-बिल के लिए बिल/ चालान की विगत तो आप जी.एस.टी. पोर्टल पर अपलोड करेंगे और उसके बाद या तो आप या आपका या खरीददार का ट्रांसपोर्टर आप द्वारा बिल की अपलोड की गई विगत से इलेक्ट्रोनिक वे-बिल जारी करेंगे .

प्रश्न :-

क्या जी.एस.टी. के दौरान कोई कमोजीशन स्कीम भी लागू होगी ? क्या सेवा प्रदाता और निर्माता भी कम्पोजीशन कर का लाभ ले सकेंगे ?

उत्तर :-

जी.एस.टी. के दौरान 50.00 लाख रूपये के टर्नओवर तक के डीलर्स के लिए कम्पोजीशन कर की स्कीम लागू होगी और इसमें निर्माता भी शामिल होंगे लेकिन यह स्कीम सेवा प्रदाताओं (service providers) के लिए लागू नहीं होगी लेकिन इसका भी एक अपवाद है और वह यह ही कि यह स्कीम रेस्टोरेंट्स पर भी लागू होगी अर्थात 50.00 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट्स भी इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे.

प्रश्न :-

GST By Sudhir Halakhandi

कम्पोजीशन कर की दरें क्या होंगी ?

डीलर का विवरण	सी.जी.एस.टी. के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकत्तम दर.	एस.जी.एस.टी. के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकत्तम दर	अधिक प्रभावी कम्पोजीशन दर (एस.जी.एस.टी. + सी.जी.एस.टी.
ट्रेडर्स अर्थात वे डीलर्स जो सिर्फ खरीद बिक्री करते है .	आधा प्रतिशत- 0.50 प्रतिशत	आधा प्रतिशत- 0.50 प्रतिशत	एक प्रतिशत - 1%
रेस्टोरेंटस	ढाई प्रतिशत - 2.50 प्रतिशत	ढाई प्रतिशत - 2.50 प्रतिशत	पांच प्रतिशत - 5%

निर्माता	एक प्रतिशत- 1 प्रतिशत	एक प्रतिशत- 1 प्रतिशत	दो प्रतिशत - 2%

प्रश्न :-

क्या कम्पोजीशन डीलर्स राज्य के बाहर से माल खरीद सकेंगे ?

उत्तर :-

हाँ कम्पोजीशन डीलर राज्य के बाहर से माल खरीद सकेंगे जिस पर वे आई.जी.एस.टी. (IGST) का भुगतान करेंगे और राज्य में फिर से बचते हुए कम्पोजीशन कर का भुगतान करेंगे.

प्रश्न :-

वे अन रजिस्टर्ड डीलर्स से भी माल खरीद सकेंगे ?

उत्तर :-

GST By Sudhir Halakhandi

हाँ कम्पोजीशन डीलर्स अनरजिस्टर्ड डीलर्स से भी माल खरीद सकेंगे लेकिन ऐसी खरीद पर उन्हें पहले रिवर्स चार्ज (खरीद पर खरीददार द्वारा चुकाया जाने वाला कर) के तहत नियमानुसार सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. चुकाना पडेगा और उसके बाद वे जब इस माल को बेचेंगे तो वे कम्पोजीशन कर का भुगतान करेंगे .

प्रश्न :-

क्या कम्पोजीशन डीलर राज्य के बाहर भी माल बेच सकेंगे ?

उत्तर :-

नहीं कम्प्जीशन डीलर्स राज्य के बाहर माल नहीं बेच सकेंगे आर यदि उन्हें कम्पोजीशन का लाभ लेना है तो उन्हें ध्यान रखना होगा कि वे माल राज्य के भीतर ही बेचे.

प्रश्न :-

हम एक थोक व्यापारी है और हम जो माल बेचते है उसका भुगतान हमें प्राप्त नहीं होता है और कई बार कई वर्ष बीता जाने पर भी भुगतान प्रात नहीं होता है लेकिन हमें तो उस बिक्री पर कर समय से चुकाना होता है . जी.एस.टी. एक नया कानून है क्या इस समस्या का हल करने का कोई प्रयास जी.एस.टी. के दौरान किया गया है ?

उत्तर :-

आपके क्रेत्ता आपको समय पर भुगतान नहीं करते है यह आपके और आपके क्रेताओं के व्यापारिक संम्बंधों की बात है और जी.एस.टी. कानून में भी आपको समय पर ही कर चुकाना होगा भले ही आपके क्रेता आपको समय भुगतान करे या नहीं और यदि वे आपको भुगतान नहीं करते है तो भी आपको कर चुकाना होगा.

GST By Sudhir Halakhandi

लेकिन आपके क्रेताओं को इस बात के लिए प्रोहत्साहित करने या उन्हें आपको भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए जी.एस.टी. कानून में एक प्रावधान बनाया गया है जिसके तहत यदि कोई क्रेता अपने विक्रेता को माल खरीदने के 180 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करते है तो उनकी ऐसे माल पर जिसका भुगतान नहीं करते है की इनपुट क्रेडिट तब तक के लिए कैंसिल कर दी जायेगी और यह क्रेडिट उन्हें उस वक्त ही मिलेगी जब कि वे अपने विक्रेताओं को भुगतान कर दे.

प्रश्न :-

जी.एस.टी. के दौरान क्या गिरफ्तारी (अरेस्ट) के भी प्रावधान है ? क्या इस तरह के प्रावधान भारत के अप्रत्यक्ष कर काननों में पहली बार बनाये गए है ? इस प्रावधान की संक्षिप्त व्याख्या करें.

उत्तर :- ये आज की हमारी इस श्रंखला का अंतिम एवं सबसे ज्यादा चर्चित एवं सबसे ज्यादा बार पूंछा जाने वाला प्रश्न है . आइये इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करें ताकि इस संम्बंध में आपका कोई भ्रम हो तो दूर हो जाए.

जी.एस.टी. के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान है लेकिन वे 2 करोड़ रूपये अधिक की कर चोरी के प्रकरण में है . जिस व्यक्ति को इस आरोप में गिरफ्तार किया जाता है उसे लिखित में इसका कारण बताना होगा .

यदि गैर जमानती आपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा और यदि जमानत योग्य अपराध में गिरफ्तार किया है तो सहायक आयुक्त या उपायुक्त (केंद्र या राज्य जी.एस.टी.) उसे नियमानुसार जमानत पर रिहा कर सकेंगे .

GST By Sudhir Halakhandi

ये बहत बड़े मामले में होगा और इसके लिए केवल कमीश्नर ही फैसला ले सकते हैं और वे जिस ऑफिसर को अधिकृत करेंगे वही गिरफ्तारी की यह कार्यवाही कर सकेंगे और ऐसा करते समय उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत इस तरह की गिरफ्तारियों को करते समय जो भी सावधानियां बरतनी होती है वे सभी ध्यान में रखनी होंगी.

यह बहुत ही अपवाद स्वरुप परिस्तिथियों में लगने वाला प्रावधान है और बहुत ही बड़ी रकम की कर चोरी पर यह प्रावधान कम में लिया

जा सकेगा लेकिन उद्योग और व्यापार जगत कभी भी इस तरह के प्रावधानों का समर्थन नहीं करता है क्यों कि इस तरह के प्रावधानों का दुरूपयोग होने की पूरी संभवना रहती है .
इन प्रावधानों से मिलते जुलते प्रावधान इस संमय सर्विस टैक्स एवं सेंट्रल एक्साइज के कानूनों में भी है लेकिन उद्योग एवं व्यापार जगत इनको लेकर हमेशा आशंकित ही रहता है क्यों कि उनके अनुसार इस प्रकार के प्रावधानों का दुरूपयोग होने की पूरी संभवना रहती है .

प्रश्न :-क्या जी.एस.टी. गेम चेंजर होगा ? जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है क्या जी.एस.टी. उसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए " गेम चेंजर" होगा ?

-हाँ , जी.एस.टी. के बारे में जो कहा जा रहा है वह सच है . यदि जी.एस.टी. लागू होगा तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा बदल कर रख देगा . भारतीय अर्थव्यवस्था पर जी.एस.टी. एक बहुत प्रभाव डालने वाला होगा. यह भारतीय कर व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन है इसलिए इसके परिणाम भी इतने ही बड़े होंगे.

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :-क्या यह प्रभाव सकारात्मक होगा ?

-हां , आप उम्मीद करें कि यह प्रभाव सकारात्मक ही हो क्यों कि जिस उम्मीद और प्रचार के साथ जी.एस.टी. लागू किया जा रहा अब उसमे सफलता के अलावा कोई और कल्पना करना भी अव्यवहारिक होगा . यदि जी.एस.टी. के परिणाम नकारात्मक हुए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लम्बे समय तक इन्हें बर्दाश्त करना होगा क्यों कि

जी.एस.टी. एक बार लागू करने के बाद इसे वापिस लेना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा.

इसलिए इस समय जी.एस.टी. की असफलता की चर्चा करने का कोई महत्त्व नहीं है और हम यह मांग कर चले कि जी.एस.टी. जब भी लागू होगा सफल ही होगा भारत की अर्थयवस्था पर इसके प्रभाव सकारात्मक ही होंगे.

प्रश्न :-

जी.एस. टी. के लिए 1 अप्रैल 2017 की तारीख तो अब स्थगित की जा चुकी है और अब नयी तारीख 1 जुलाई 2017 दी गई है . एक तारीख और है 16 सितम्बर 20017 और इस तारीख तक यदि जी.एस.टी. लागू नहीं हुआ तो एक अप्रत्यक्ष करों को लेकर एक संकट पैदा हो जाएगा क्यों कि जी.एस.टी. संवैधानिक संशोधन विधेयक के अनुसार 16 सितम्बर 2017 को अभी लागू सभी कर समाप्त हो जायेंगे तो फिर सरकार किस तरह से करों को एकत्र करेगी .

GST By Sudhir Halakhandi

-जिस तरह से सरकार की तैयारी है और जिस तरह के कानून निर्माताओं द्वारा दावे किये जा रहें है उनके अनुसार जी.एस.टी. एक जुलाई 2017 से लागू हो ही जाएगा और अब सरकार का कर्तव्य भी है कि अब वह इस तारीख से जी.एस,टी. को लागू कर दे . अत:

इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ऐसी कोई स्तिथी उत्पन्न होगी .

प्रश्न

चलिए मान लेते हैं लेकिन हो सकता है कि सरकार 16 सितम्बर 2017 तक जी.एस.टी. नहीं लागू कर सके तो क्या होगा ?

-इस तरह की स्तिथी में संकट तो है पर इसके दो हल है पहला यह कि सरकार कारण बताए हुए राष्ट्रपति महोदय के पास जाए और वे अपनी संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कर अभी तक जारी करों को आगे बढ़ा दें और दूसरा यह यह है कि सरकार फिर से संसद मे जाए .

GST By Sudhir Halakhandi

इन दोनों ही रास्तों से इस समस्या का हल मिल सकता है . इसलिए आप निश्चिन्त रहिये ऐसी किसी भी स्तिथी में देश अप्रत्य्यक्ष करों के बिना नहीं रहेगा और अभी चल रहे अप्रत्यक्ष कर लागू रहेंगे.

प्रश्न :-आई.जी.एस.टी. - क्या यह वस्तु की लागत बढ़ाएगा

आई.जी.एस.टी. के बारे में कहा जा रहा है कि दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार के दौरान ना सिर्फ माल की लागत बढ़ाएगा बल्कि प्रक्रिया सबंधी उलझने भी पैदा करेगा . क्या यह सही आशंका है ?

सुधीर हालाखंडी :-

आई.जी.एस.टी. कोई अलग कर नहीं है बल्कि यह एक ऐसा तन्त्र है जिससे दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को इस तरह से नियंत्रित किया जाएगा जिससे एकत्र होने वाले कर का एक हिस्सा जो कि सी.जी.एस.टी. अर्थात केंद्रीय जी.एस.टी. के बराबर होगा वह केंद्र को जाएगा एवं दूसरा हिस्सा जो कि एस.जी.एस.टी. अर्थात राज्यों के जी.एस.टी. के बराबर होगा वह उस राज्य को जाएगा जहाँ वह माल उपभोग किया जाएगा .

जी.एस.टी. एक अंतिम उपभोक्ता के राज्य को मिलने वाला कर है इसलिए जो निर्माता राज्य होगा उसे कोई कर नहीं मिलेगा. इस प्रकार आपके प्रश्न का जो पहला हिस्सा है उसका जवाब है और इससे कोई कर
नहीं बढेगा लेकिन आई.जी..एस.टी .डीलर्स के प्रक्रिया संबंधी लागत एवं उलझने जरुर बढ़ जायेंगी.

GST By Sudhir Halakhandi

प्रश्न :- क्या आई.जी.एस.टी. भी केंद्र एवं राज्यों के जी.एस.टी. कानून के अनुसार चलेगा ?

-नहीं, आई.जी.एस.टी. के लिए एक अलग आई.जी.एस.टी. कानून बना है जिसे सी.जी.एस.टी. कानून की तरह ही राष्ट्रपति महोदय अपनी स्वीकृती दे चुके है .

प्रश्न :-

क्या आई.जी.एस.टी. भी अभी जारी केंद्रीय बिक्री कर कानून सी.एस.टी. की तरह सी- फॉर्म इत्यादि होंगे जिनसे अक्सर व्यापारी वर्ग परेशान रहता है .

-आई.जी.एस.टी. में सी.एस.टी. अर्थात अभी जारी केन्द्रीय बिक्री कर की तरह कर की कोई रियायती दर ही नहीं होगी इसलिए सी-फॉर्म जैसे किसी फॉर्म की कोई जरुरत नहीं होगी.

प्रश्न :-

जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन स्कीम भी है लेकिन एक मेरा और सवाल है मेरा एक जनरल स्टोर है जिसके लिए मैं कम्पोजीशन स्कीम में हूँ और जीएस.टी. में भी यह जारी रखूंगा क्यों कि वेट और जी.एस.टी. के रिकॉर्ड रखना संभव नहीं है . अब मै एक और व्यवसाय प्रारम्भ कर रहा हूँ जिसे मेरा माल राज्य के बाहर भी जाएगा . क्या मै जी.एस.टी. के दौरान मेरे जनरल स्टोर के लिए कम्पोजीशन जारी रख सकूंगा ?

GST By Sudhir Halakhandi

-जी.एस.टी. के दौरान यदि आपके “दो तरह के अलग -अलग” व्यापार है तो एक ही पेन पर दो रजिस्ट्रेशन आप ले सकते है . यह एक अच्छी व्यवस्था है क्यों कि कई राज्यों के वेट काननं के अनुसार एक पेन पर दो रजिस्ट्रेशन आप नहीं ले सकते थे .

लेकिन जो कम्पोजीशन के रूल्स जारी किये गए हैं उनके अनुसार यदि एक पेन पर जारी जी.एस.टी.एन रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कम्पोजीशन ले रखा है तो उस पेन पर जारी सभी रजिस्ट्रेशन

कम्पोजीशन का पालन करेंगे और जिस व्यापर में आप राज्य के बाहर बिक्री करते है वहां कम्पोजीशन संभव नहीं है .

यह एक विरोधाभासी प्रावधान है और इसमें अंतिम जी..एस.टी. लगने तक सरकार को उचित संशोधन कर देना चाहिए .

****

GST By Sudhir Halakhandi

जी.एस.टी. सी.ए.सुधीर हालाखंडी

ANNEXURE-1

आई. जी.एस.टी. किस तरह कार्य करेगा - एक उदाहरण

आई.जी.एस.टी. बिक्री के लिए ट्रांजेक्शन

प्रथम विक्रेता x मुंबई - 10 लाख रूपये मुंबई के ही y को

द्वितीय विक्रेता - Y मुंबई 10.50 लाख रूपये राजस्थान के Z को .

तृतीय विक्रेता - Z राजस्थान 11 लाख रूपये राजस्थान में ही उपभोता को

GST By Sudhir Halakhandi

1. पहला ट्रांजेक्शन राज्य के भीतर है .
2. दूसरा ट्रांजेक्शन अन्तर प्रान्तीय है (IGST)
3. तीसरा ट्रांजेक्शन राज्य के भीतर है .

कल्पना कीजिये जी.एस..टी. की दर 18 % है जिसमे से 10 प्रतिशत सी.जी.एस.टी. है और 8% एस.जी.एस.टी. है.

आसल में यह 18 % दोनों का 9 % एवं 9 प्रतिशत भी हो सकता है लेकिन उदाहरण के लिए हमने इसे 10 % और 8 % माना है जिसका कोई विशेष कारण नहीं है .

कर की दरें उदहारण के लिए

S.NO.	DESCRITOPN	RATE OF TAX
1.	एस.जी.एस.टी.	8%
2.	सी.जी.एस.टी.	10%
3.	आई .जी.एस.टी. (1+2)=	18%

विभिन्न डीलर्स का कर दायित्व

GST By Sudhir Halakhandi

क्र.स.	विवरण	S.G.S.T. (8%)	CGST (10%)	IGST (18%)	रिमार्क
1.	प्रथम विक्रेता x मुंबई - 10 लाख रूपये मुंबई Y	80000.00	100000.00	NA	पहला ट्रांजेक्शन राज्य के भीतर है .
	Less:- इनपुट	NIL	NIL	NA	
	X का कर जमा	80000.00	100000.00	NA	

	क				
2.	द्वितीय विक्रेता - Y मुंबई 10.50 लाख रूपये राजस्थान के Z को .	NA	NA	189000.00	दूसरा ट्रांजेक्शन अन्तर प्रान्तीय है (IGST)
	Less:- इनपुट	NA	NA	180000.00 (SGST 80000.00 + CGST 100000.00)	IGST मे अपने खरीदे गये माल पर चुकाये हुये SGST एवम CGST का इनपुट मिल जाता है .
	Y का कर जमा	NA	NA	9000.00	
3.	Z राजस्थान 11 लाख रूपये राजस्थान	88000.00	110000.00	NA	तीसरा ट्रांजेक्शन राज्य के भीतर है .

GST By Sudhir Halakhandi

	में ही उपभोता को				
	Less:- इनपुट	79000.00	110000.00	NA	Z की IGST इनपुट 1..89 लाख उसे IGST,CGST और इ SGST तो के साथ मे लेना है
	Z का जमा कर	9000.00	NIL	NA	

GST By Sudhir Halakhandi

राज्य और केन्द्र के मध्य रकम का ट्रान्सफर

क्र.स.	विवरण	रकम
1.	विक्रेता राज्य उस रकम को केंद्र को ट्रान्सफर करेगा जो की उसके डीलर ने आई.जी.एस.टी. .का भुगतान करते समय एस.जी.एस.टी. की क्रेडिट ली है . यहाँ x ने अपना आई.जी.एस.टी. चुकाते समय 80000.00 का एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है जो की विक्रेता राज्य के खजाने में चला	80000.00

	गया है .	
2.	केंद्र क्रेता राज्य को उस रकम का ट्रान्सफर देगा जो कि क्रेता राज्य के डीलर ने अपना एस.जी.एस.टी. चुकाते समय अपने द्वारा भुगतान किये गए आई.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है और इस तरह् से क्रेता राज्य का राजस्व केंद्र के खजाने में चला गया था .	79000.00

IGST का केंद्र , विक्रेता राज्य और क्रेता राज्य के राजस्व पर प्रभाव

GST By Sudhir Halakhandi

क्र.स.	IGST के प्रभावी पक्ष
1.	विक्रेता राज्य
2.	क्रेता राज्य
3.	केद्र सरकार

विक्रेता राज्य

क्र.स.	विवरण	कर -SGST	रिमार्क
1.	कर की रकम जो कि प्रथम विकर्ता X ने जमा कराई .	80000.00	CGST एवंम IGST राज्यों का विषय नहीं है अत: यहाँ नहीं लिया

			गया है .
2.	Less: - विक्रेता राज्य उस रकम को केंद्र को ट्रान्सफर करेगा जो कि उसके डीलर ने आई.जी.एस.टी. .का भुगतान करते समय एस.जी.एस.टी. की क्रेडिट ली है . यहाँ x ने अपना आई.जी.एस.टी. चुकाते समय 80000.00 का एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है जो की विक्रेता राज्य के खजाने में चला गया है .	80000.00	NA
3.	विक्रेता राज्य का राजस्व	NIL	NA

GST By Sudhir Halakhandi

Note- जी.एस.टी. एक उपभोक्ता राज्य को मिलने वाला कर है अत; यदि जिस राज्य में माल बिका है उस राज्य में इसका उपभोग नहीं होता है तो विक्रेता राज्य को कोई कर नहीं मिलेगा.

क्रेता राज्य - उपभोक्ता राज्य

क्र.स.	विवरण	SGST	रिमार्क
1.	क्रेता राज्य के डीलर द्वारा जमा कराया गया SGST .	9000.00	CGST और IGST राज्यों का विषय नहीं है अत: यहाँ शामिल नहीं है .
	Add- केंद्र क्रेता राज्य को उस रकम का ट्रान्सफर देगा जो कि क्रेता राज्य के डीलर ने अपना एस.जी.एस.टी. चुकाते समय अपने द्वारा भुगतान किये गए आई.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है और इस तरह् से क्रेता राज्य का राजस्व केंद्र के खजाने में चला गया था .	79000.00	NA

GST By Sudhir Halakhandi

	क्रेता राज्य का राजस्व	88000.00	NA

Note: - क्रेता राज्य के उपभोक्ता की खरीद की कीमत 11.00 Lakhs @ 8% है इस तरह से इस राज्य का राजस्व Rs.88000.00 हुआ जो कि ऊपर लिखी गणना के अनुसार भी आ रहा है .

केंद्र सरकार

GST By Sudhir Halakhandi

क्र.स.	विवरण	CGST	IGST	कुल रकम
1.	CGST की रकम जो कि विक्रेता राज्य के उस डीलर ने जमा कराई जिसने इस उदहारण के प्रथम डीलर को माल बेचा था .	100000.00	NIL	100000.00
2.	IGST जो की इस उदहारण के विक्रेता राज्यय	NIL	9000.00	9000.00

	के डीलर x ने जमा कराया था .			
	कुल रकम	100000.00	9000.00	109000.00
3.	Add:- विक्रेता राज्य उस रकम को केंद्र को ट्रान्सफर करेगा जो कि उसके डीलर ने आई.जी.एस.टी. .का भुगतान करते समय एस.जी.एस.टी. की क्रेडिट ली है . यहाँ x ने अपना आई.जी.एस.टी. चुकाते समय 80000.00 का एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है जो की विक्रेता राज्य के खजाने में चला गया है .	NA	NA	80000.00
	Total	NA	NA	189000.00

GST By Sudhir Halakhandi

	Less - केंद्र क्रेता राज्य को उस रकम का ट्रान्सफर देगा जो कि क्रेता राज्य के डीलर ने अपना एस.जी.एस.टी. चुकाते समय अपने द्वारा भुगतान किये गए आई.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है और इस तरह् से क्रेता राज्य का राजस्व केंद्र के खजाने में चला गया था .	NA	NA	79000.00
	Result-केंद्र सरकार का राजस्व	NA	NA	110000.00

GST By Sudhir Halakhandi

Note: - क्रेता राज्य के उपभोक्ता की खरीद की कीमत 11.00 Lakhs @10% है इस तरह से इस तरह से केंद्र का राजस्व Rs.110000.00 हुआ जो कि ऊपर लिखी गणना के अनुसार भी आ रहा है .

इस तरह से आई.जी.एस.टी. का यह चक्र पूरा होता है .

****

GST By Sudhir Halakhandi

ANNEXURE - 2

जी.एस.टी. के दौरान विभिन्न रिटर्न प्रस्तुत करने के फॉर्म एवं उनकी अंतिम तिथी

क्र.सं.	फॉर्म का विवरण	फॉर्म का नाम	अंतिम तिथी*
1.	बिक्री /सप्लाई का रिटर्न	GSTR-1	10 तारीख
2.	खरीद /इनपुट का रिटर्न	GSTR-2	15 तारीख
3.	मासिक कर रिटर्न	GSTR-3	20 तारीख
4.	कम्पोजीशन का रिटर्न	GSTR-4	18 तारीख
5.	अनिवासी/ विदेशी डीलर	GSTR-5	20 तारीख
6.	इनपुट सर्विस वितरक	GSTR-6	13 तारिख
7.	टी.डी .एस. रिटर्न	GSTR-7	10 तारीख
8.	ई -कॉमर्स रिटर्न	GSTR-8	10 तारीख
9.	वार्षिक रिटर्न	GSTR-9	31 दिसंबर
10.	अंतिम रिटर्न ***	GSTR-10	3 माह में

GST By Sudhir Halakhandi

*जिस माह से रिटर्न सम्बंधित है उस माह के बाद वाले माह की तारीख.

**जिस वित्तीय वर्ष से सम्बन्धी है उसके अगले वित्तीय वर्ष की तारीख .

*** रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निरस्त होने के सबंध में .

**** रजिस्ट्रेशन निरस्त होने या इस सम्बन्ध में आदेश होने की तारीख , जो भी पहले हो.

GST By Sudhir Halakhandi

ANNEXURE -3

लेखक के बारे - थोड़ा कुछ परिचय

सी.ए . सुधीर हालाखंडी

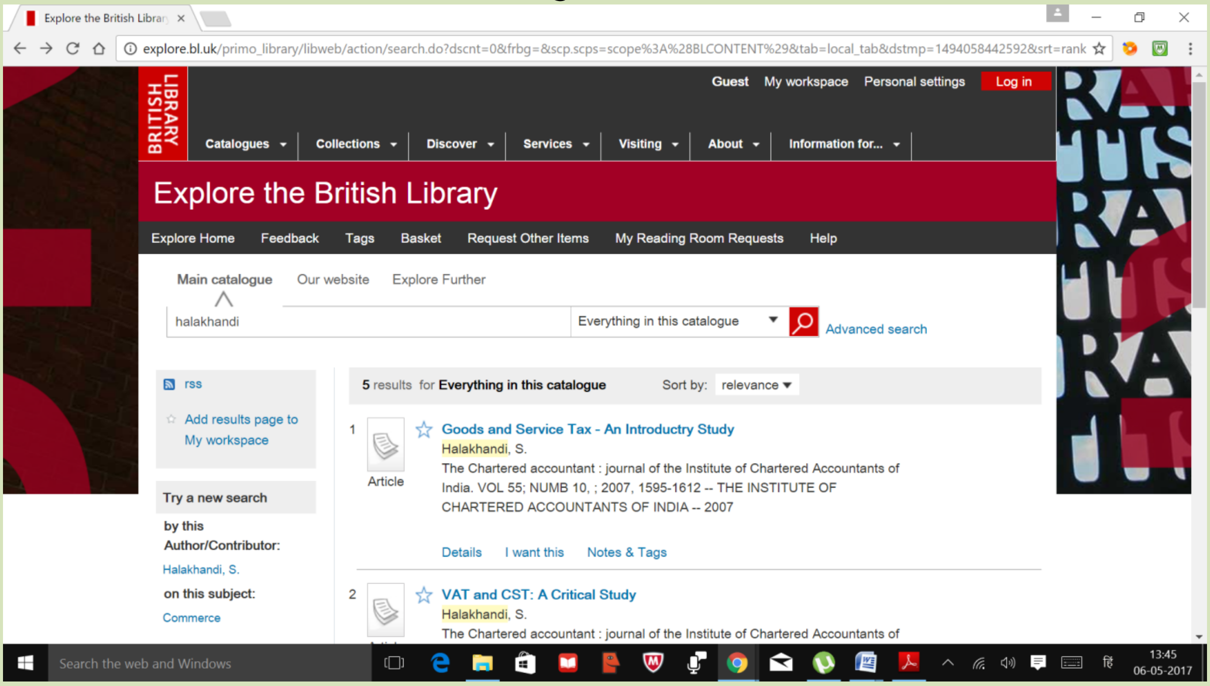

1.ब्रिटिश लाइब्रेरी के केटेलॉग में

GST By Sudhir Halakhandi

आर्टिकल का जिक्र

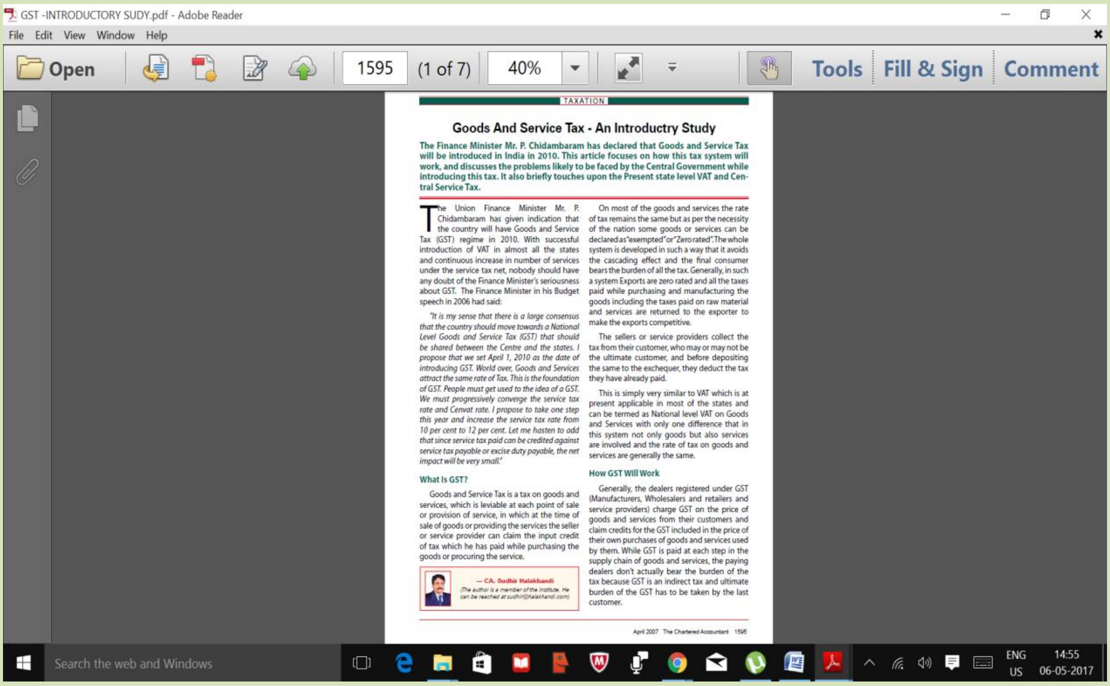

2. ICAI -CA JOURNNAL - APRIL 2007 - जब भारत में जी.एस.टी. की चर्चा शुरू ही हुई थी

Home » Rajasthan » Ajmer Zila » Beawar » सांसदों की जीएसटी में सीए सुधीर हालाखंडी के आर्टिकल का चयन

सांसदों की जीएसटी में सीए सुधीर हालाखंडी के आर्टिकल का चयन

Bhaskar News Network | Jun 12, 2015, 04:45 IST

भारतीयसांसद के सदस्यों को अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की जानकारी देने के लिए लोकसभा सचिवालय ने जो बुलेटिन में सामग्री के साथ ही अतिरिक्त राजस्थान के सीए सुधीर हालाखंडी का इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मुखपत्र सीए जर्नल में प्रकाशित लेख गुड्स एवं सर्विस टैक्स एन इन्ट्रोडक्टरी स्टडी को रिफरेंस के रूप में प्रयोग किया गया है।

उक्त बुलेटिन लोकसभा सचिवालय द्वारा तैयार किया गया है और इसमें प्रस्तावित गुड्स एवं सर्विस टैक्स के बारे में संसद सदस्यों को विस्तार से समझाया गया है। जिसमें कुल 11 रेफरेंसेस का प्रयोग किया गया है। जिसमें से 6 तो लोकसभा एवं सरकार के प्रकाशनों में से लिए गए है और बाकी 5 देश के चार लेखकों के व्यक्तिगत लेखों से लिए गए है। इनमें से राजस्थान के चार्टड अकांउटेंट सुधीर का भी एक लेख गुड्स एवं सर्विस टैक्स एन इन्ट्रोडक्टरी स्टडी भी है।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें! हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App

3.लोकसभा सचिवालय द्वारा आर्टिकल रिफरेन्स में प्रयोग.

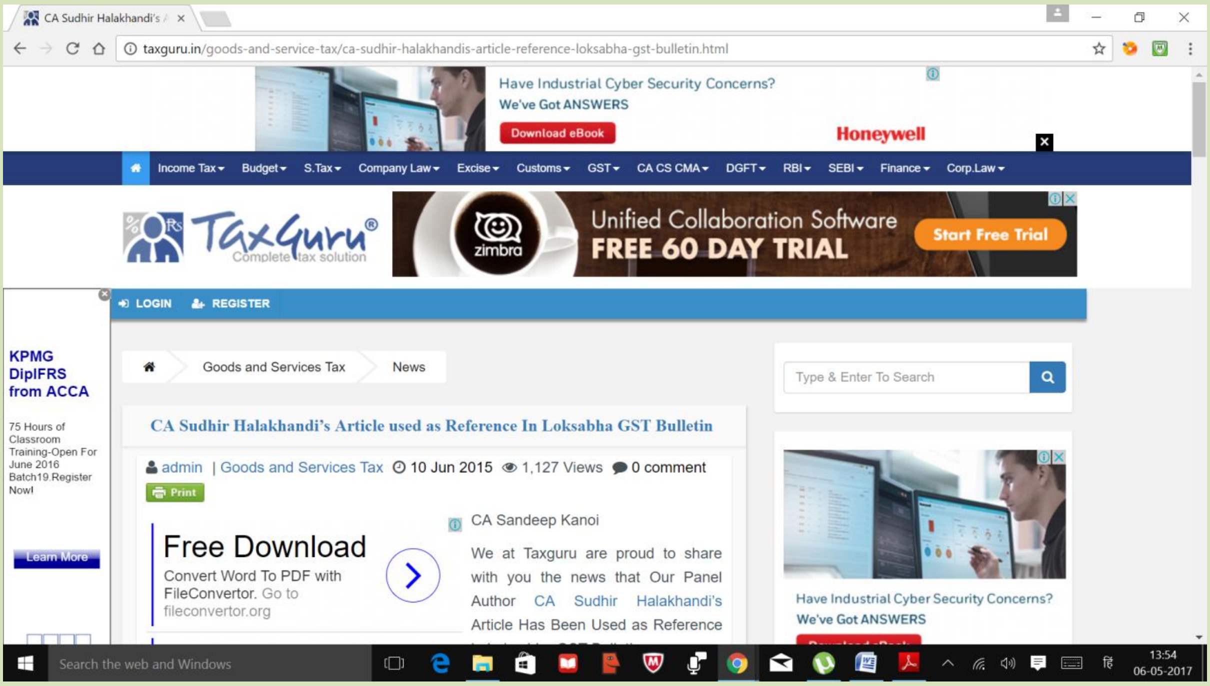

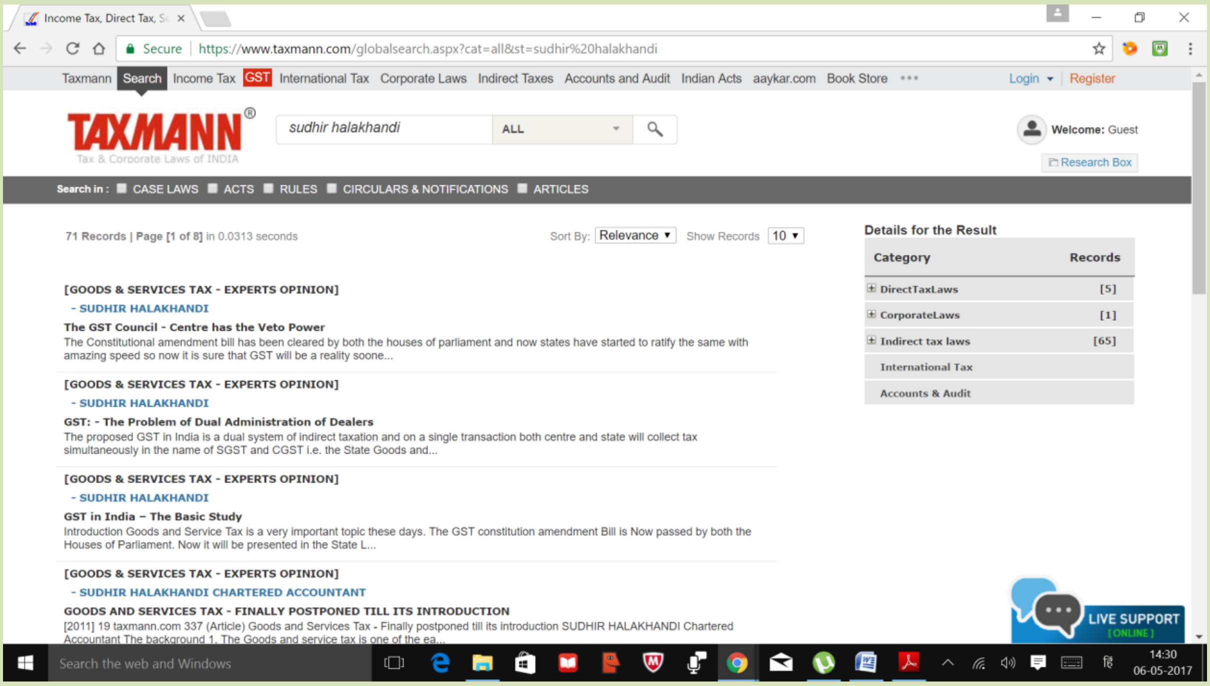

4.एक टैक्स साईट पर Taxmann

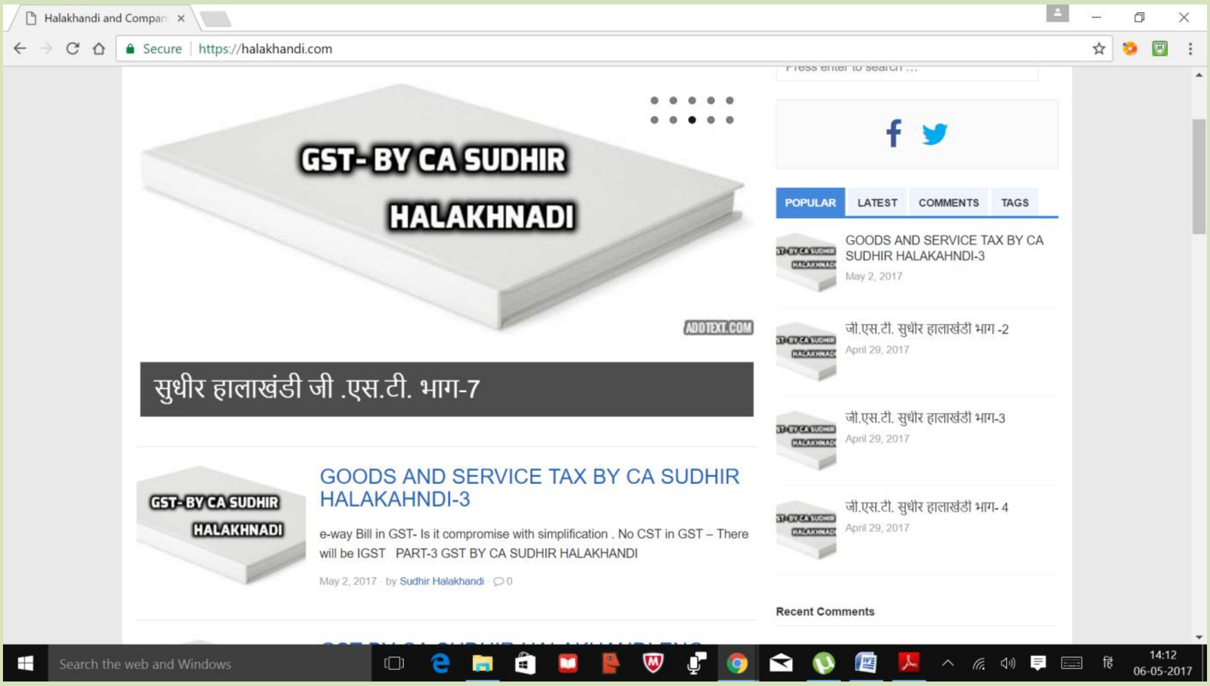

5.हालाखंडी एंड कंपनी की साईट www.halakhandi.com

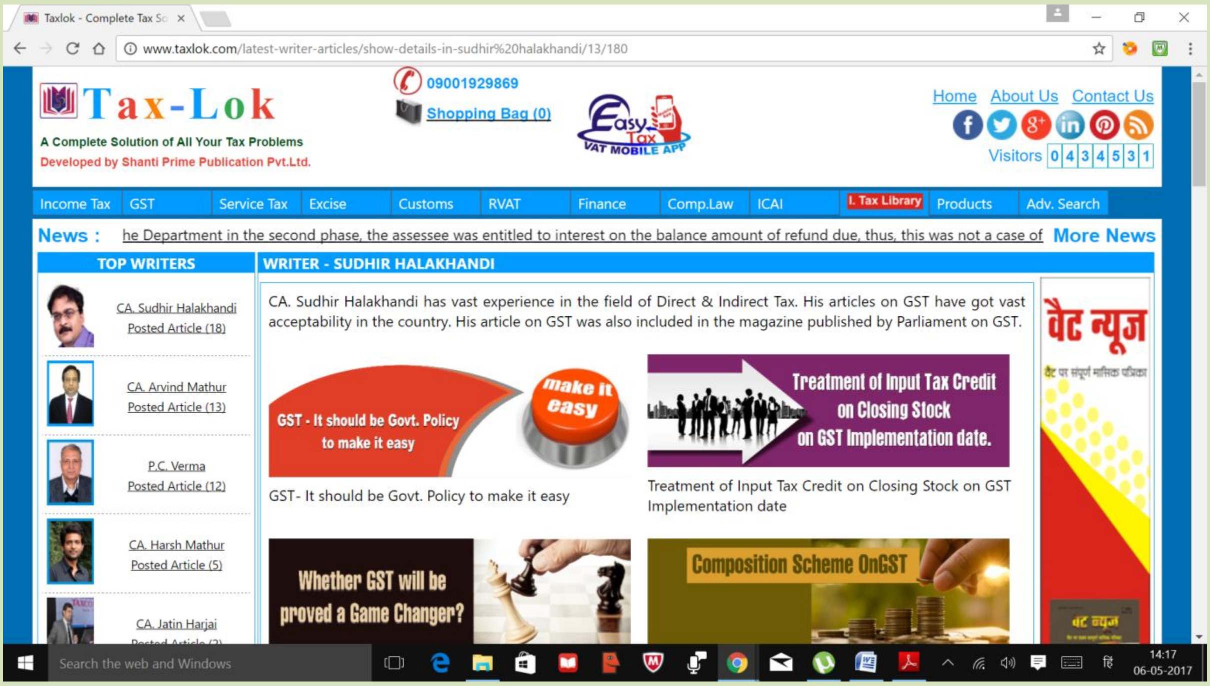

6.एक और टैक्स साईट Taxlok

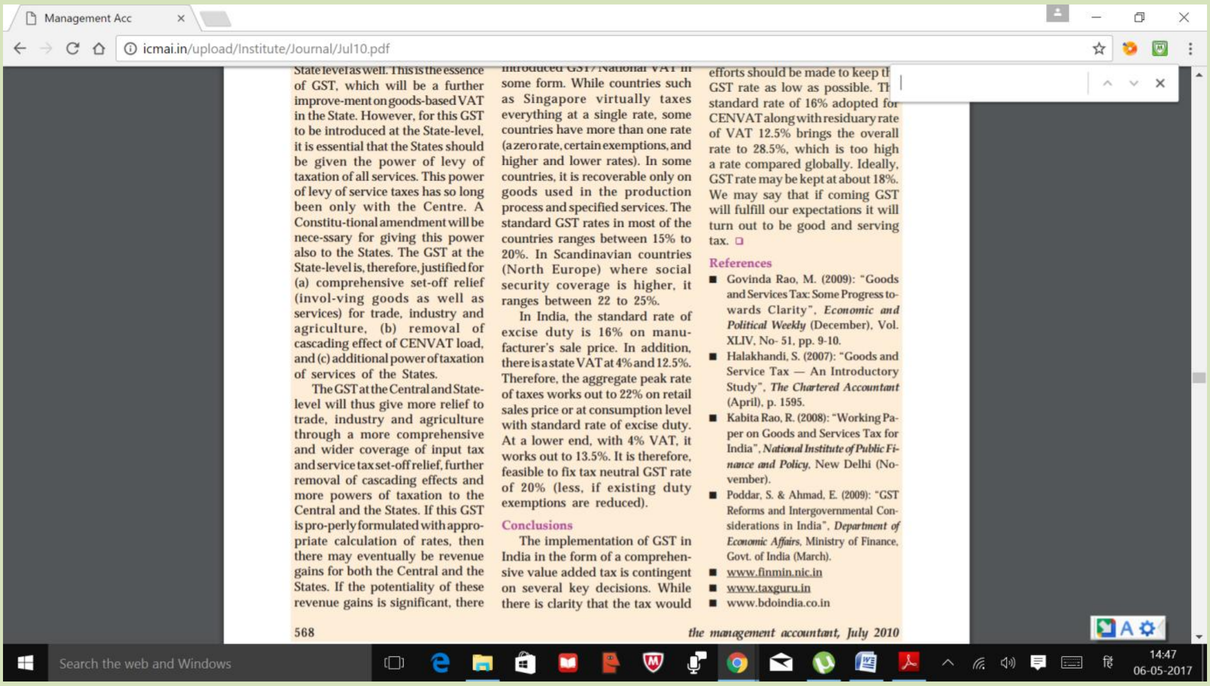

State level as well. This is the essence of GST, which will be a further improve-ment on goods-based VAT in the State. However, for this GST to be introduced at the State-level, it is essential that the States should be given the power of levy of taxation of all services. This power of levy of service taxes has so long been only with the Centre. A Constitu-tional amendment will be nece-ssary for giving this power also to the States. The GST at the State-level is, therefore, justified for (a) comprehensive set-off relief (invol-ving goods as well as services) for trade, industry and agriculture, (b) removal of cascading effect of CENVAT load, and (c) additional power of taxation of services of the States.

The GST at the Central and State-level will thus give more relief to trade, industry and agriculture through a more comprehensive and wider coverage of input tax and service tax set-off relief, further removal of cascading effects and more powers of taxation to the Central and the States. If this GST is pro-perly formulated with appro-priate calculation of rates, then there may eventually be revenue gains for both the Central and the States. If the potentiality of these revenue gains is significant, there

introduced GST/National VAT in some form. While countries such as Singapore virtually taxes everything at a single rate, some countries have more than one rate (a zero rate, certain exemptions, and higher and lower rates). In some countries, it is recoverable only on goods used in the production process and specified services. The standard GST rates in most of the countries ranges between 15% to 20%. In Scandinavian countries (North Europe) where social security coverage is higher, it ranges between 22 to 25%.

In India, the standard rate of excise duty is 16% on manu-facturer's sale price. In addition, there is a state VAT at 4% and 12.5%. Therefore, the aggregate peak rate of taxes works out to 22% on retail sales price or at consumption level with standard rate of excise duty. At a lower end, with 4% VAT, it works out to 13.5%. It is therefore, feasible to fix tax neutral GST rate of 20% (less, if existing duty exemptions are reduced).

Conclusions

The implementation of GST in India in the form of a comprehen-sive value added tax is contingent on several key decisions. While there is clarity that the tax would

efforts should be made to keep th GST rate as low as possible. Th standard rate of 16% adopted for CENVAT along with residuary rate of VAT 12.5% brings the overall rate to 28.5%, which is too high a rate compared globally. Ideally, GST rate may be kept at about 18%. We may say that if coming GST will fulfill our expectations it will turn out to be good and serving tax. ❑

References

- Govinda Rao, M. (2009): "Goods and Services Tax: Some Progress to-wards Clarity", *Economic and Political Weekly* (December), Vol. XLIV, No- 51, pp. 9-10.
- Halakhandi, S. (2007): "Goods and Service Tax — An Introductory Study", *The Chartered Accountant* (April), p. 1595.
- Kabita Rao, R. (2008): "Working Pa-per on Goods and Services Tax for India", *National Institute of Public Fi-nance and Policy*, New Delhi (No-vember).
- Poddar, S. & Ahmad, E. (2009): "GST Reforms and Intergovernmental Con-siderations in India", *Department of Economic Affairs*, Ministry of Finance, Govt. of India (March).
- www.finmin.nic.in
- www.taxguru.in
- www.bdoindia.co.in

568 the management accountant, July 2010

7.सी. एम .ए . में रिफरेन्स

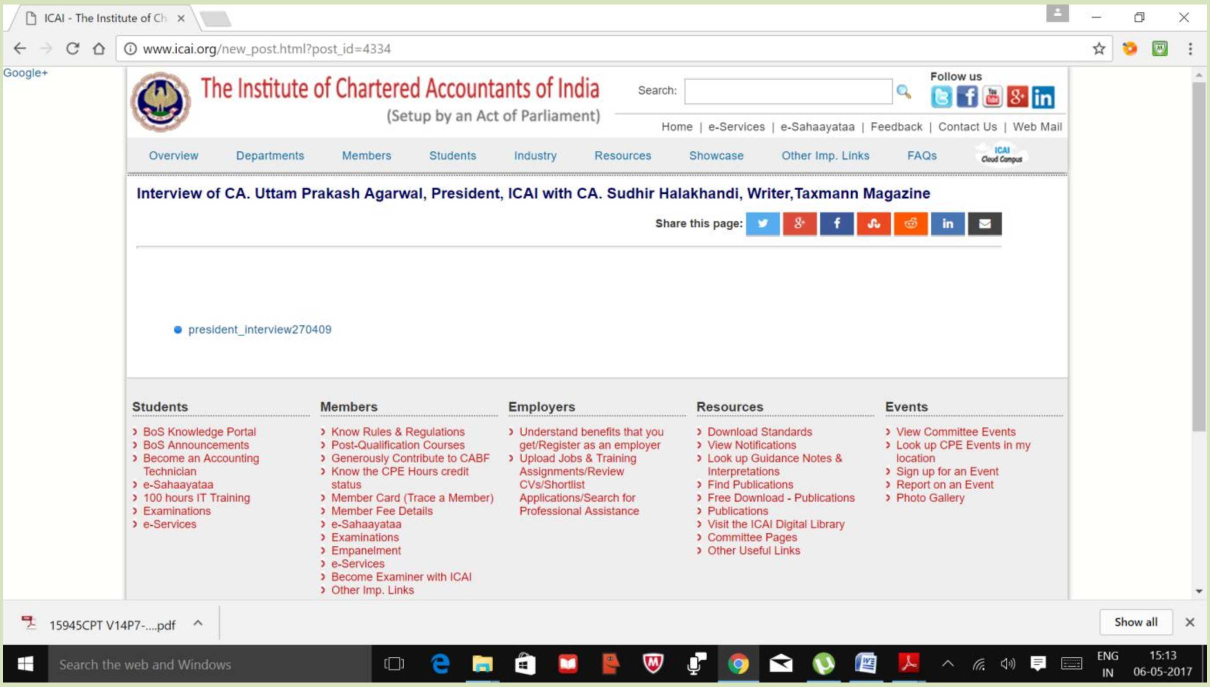

8. On ICAI site

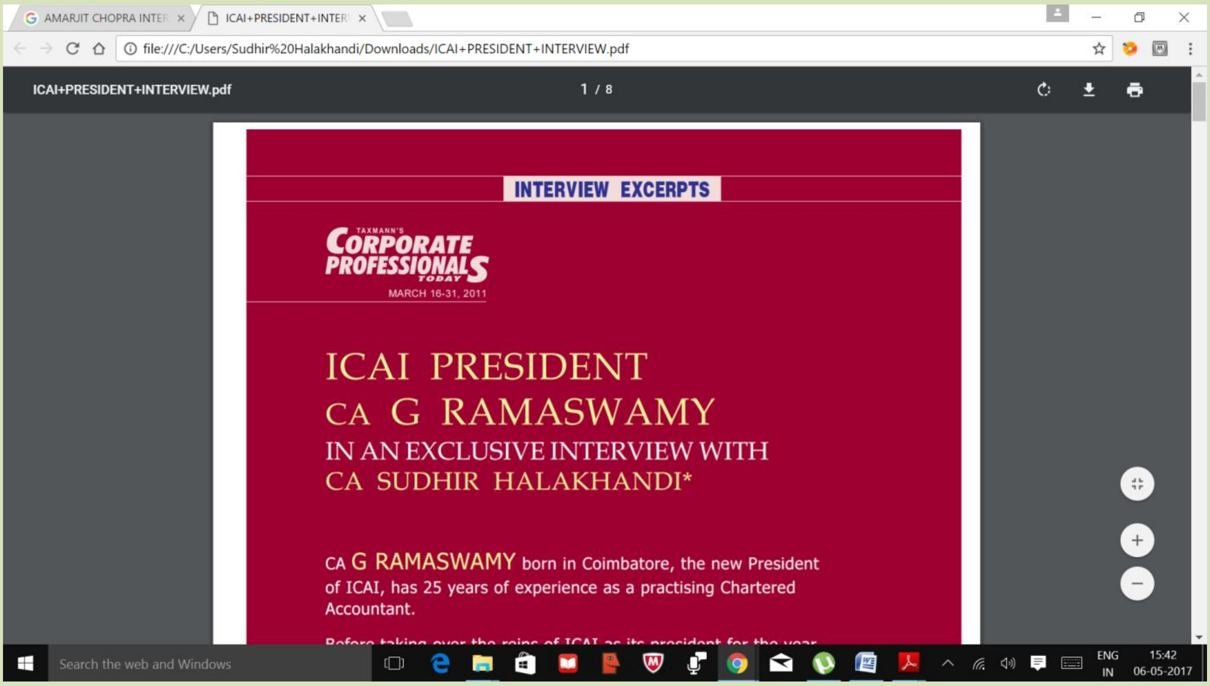

9. Interview with ICAI President

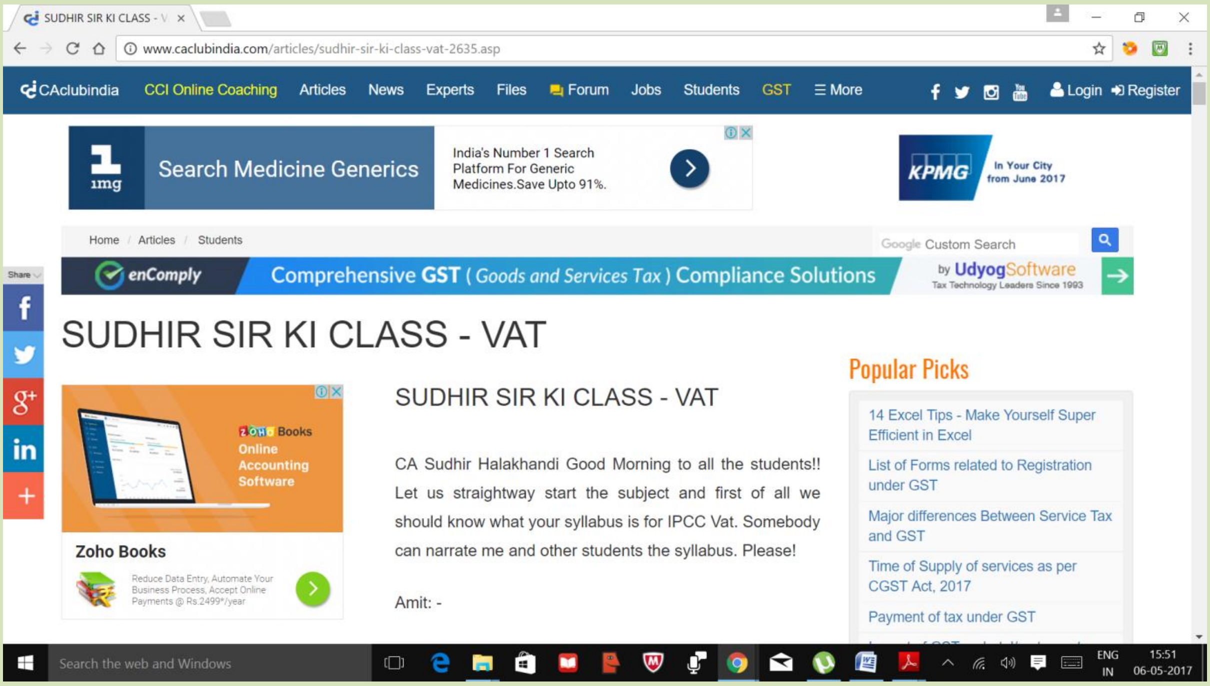

10.Sudhir Sir Kee Class - VAT

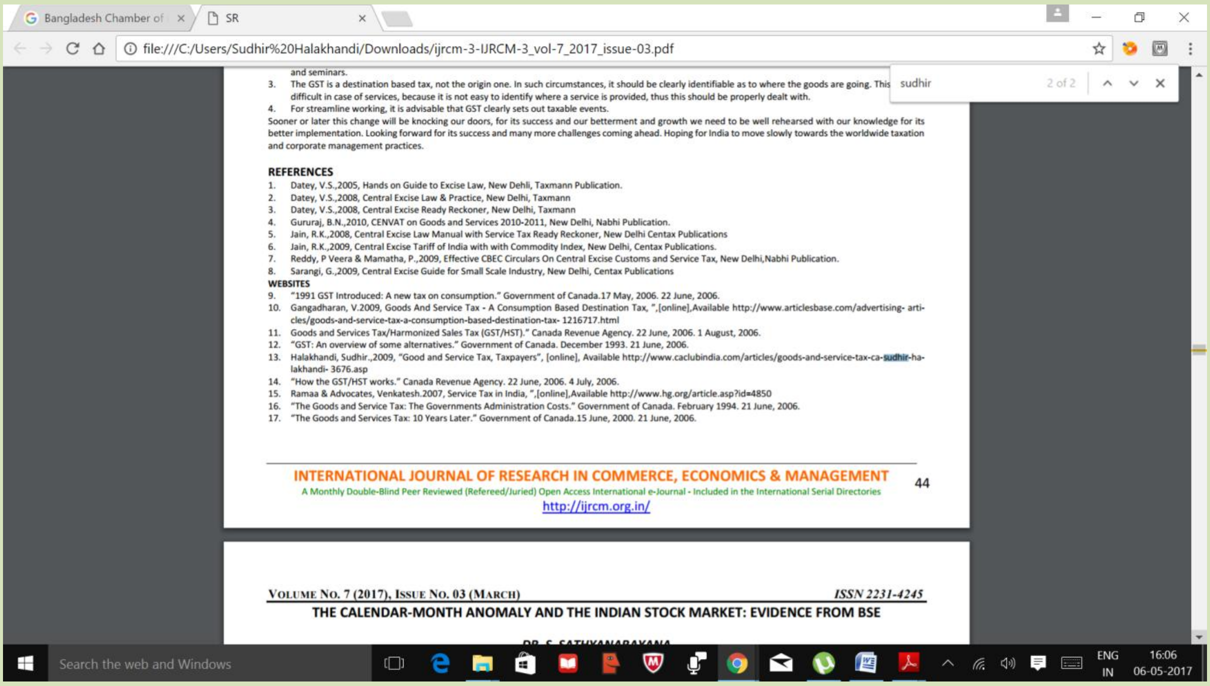

and seminars.

3. The GST is a destination based tax, not the origin one. In such circumstances, it should be clearly identifiable as to where the goods are going. This difficult in case of services, because it is not easy to identify where a service is provided, thus this should be properly dealt with.
4. For streamline working, it is advisable that GST clearly sets out taxable events.

Sooner or later this change will be knocking our doors, for its success and our betterment and growth we need to be well rehearsed with our knowledge for its better implementation. Looking forward for its success and many more challenges coming ahead. Hoping for India to move slowly towards the worldwide taxation and corporate management practices.

REFERENCES

1. Datey, V.S.,2005, Hands on Guide to Excise Law, New Dehli, Taxmann Publication.
2. Datey, V.S.,2008, Central Excise Law & Practice, New Delhi, Taxmann
3. Datey, V.S.,2008, Central Excise Ready Reckoner, New Delhi, Taxmann
4. Gururaj, B.N.,2010, CENVAT on Goods and Services 2010-2011, New Delhi, Nabhi Publication.
5. Jain, R.K.,2008, Central Excise Law Manual with Service Tax Ready Reckoner, New Delhi Centax Publications
6. Jain, R.K.,2009, Central Excise Tariff of India with with Commodity Index, New Delhi, Centax Publications.
7. Reddy, P Veera & Mamatha, P.,2009, Effective CBEC Circulars On Central Excise Customs and Service Tax, New Delhi,Nabhi Publication.
8. Sarangi, G.,2009, Central Excise Guide for Small Scale Industry, New Delhi, Centax Publications

WEBSITES

9. "1991 GST Introduced: A new tax on consumption." Government of Canada.17 May, 2006. 22 June, 2006.
10. Gangadharan, V.2009, Goods And Service Tax - A Consumption Based Destination Tax, ",[online],Available http://www.articlesbase.com/advertising- articles/goods-and-service-tax-a-consumption-based-destination-tax- 1216717.html
11. Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST)." Canada Revenue Agency. 22 June, 2006. 1 August, 2006.
12. "GST: An overview of some alternatives." Government of Canada. December 1993. 21 June, 2006.
13. Halakhandi, Sudhir.,2009, "Good and Service Tax, Taxpayers", [online], Available http://www.caclubindia.com/articles/goods-and-service-tax-ca-sudhir-halakhandi- 3676.asp
14. "How the GST/HST works." Canada Revenue Agency. 22 June, 2006. 4 July, 2006.
15. Ramaa & Advocates, Venkatesh.2007, Service Tax in India, ",[online],Available http://www.hg.org/article.asp?id=4850
16. "The Goods and Service Tax: The Governments Administration Costs." Government of Canada. February 1994. 21 June, 2006.
17. "The Goods and Services Tax: 10 Years Later." Government of Canada.15 June, 2000. 21 June, 2006.

THE CALENDAR-MONTH ANOMALY AND THE INDIAN STOCK MARKET: EVIDENCE FROM BSE

11. Reference in research paper

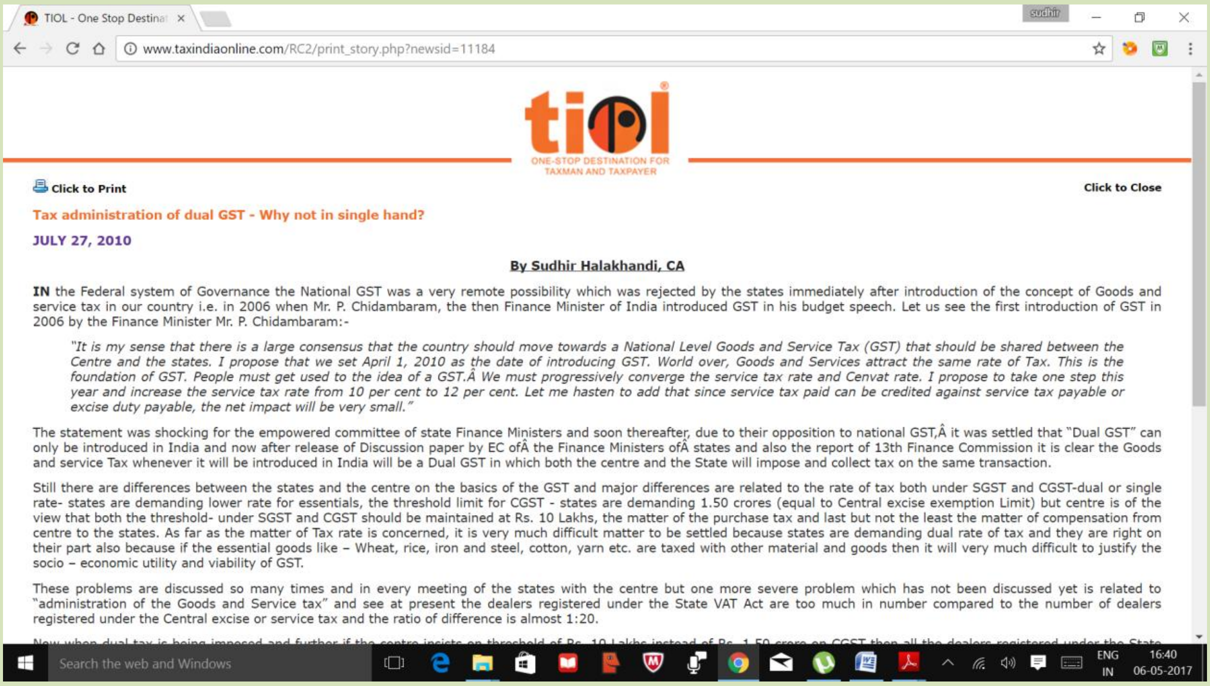

Click to Print Click to Close

Tax administration of dual GST - Why not in single hand?

JULY 27, 2010

By Sudhir Halakhandi, CA

IN the Federal system of Governance the National GST was a very remote possibility which was rejected by the states immediately after introduction of the concept of Goods and service tax in our country i.e. in 2006 when Mr. P. Chidambaram, the then Finance Minister of India introduced GST in his budget speech. Let us see the first introduction of GST in 2006 by the Finance Minister Mr. P. Chidambaram:-

> *"It is my sense that there is a large consensus that the country should move towards a National Level Goods and Service Tax (GST) that should be shared between the Centre and the states. I propose that we set April 1, 2010 as the date of introducing GST. World over, Goods and Services attract the same rate of Tax. This is the foundation of GST. People must get used to the idea of a GST.Â We must progressively converge the service tax rate and Cenvat rate. I propose to take one step this year and increase the service tax rate from 10 per cent to 12 per cent. Let me hasten to add that since service tax paid can be credited against service tax payable or excise duty payable, the net impact will be very small."*

The statement was shocking for the empowered committee of state Finance Ministers and soon thereafter, due to their opposition to national GST,Â it was settled that "Dual GST" can only be introduced in India and now after release of Discussion paper by EC ofÂ the Finance Ministers ofÂ states and also the report of 13th Finance Commission it is clear the Goods and service Tax whenever it will be introduced in India will be a Dual GST in which both the centre and the State will impose and collect tax on the same transaction.

Still there are differences between the states and the centre on the basics of the GST and major differences are related to the rate of tax both under SGST and CGST-dual or single rate- states are demanding lower rate for essentials, the threshold limit for CGST - states are demanding 1.50 crores (equal to Central excise exemption Limit) but centre is of the view that both the threshold- under SGST and CGST should be maintained at Rs. 10 Lakhs, the matter of the purchase tax and last but not the least the matter of compensation from centre to the states. As far as the matter of Tax rate is concerned, it is very much difficult matter to be settled because states are demanding dual rate of tax and they are right on their part also because if the essential goods like – Wheat, rice, iron and steel, cotton, yarn etc. are taxed with other material and goods then it will very much difficult to justify the socio – economic utility and viability of GST.

These problems are discussed so many times and in every meeting of the states with the centre but one more severe problem which has not been discussed yet is related to "administration of the Goods and Service tax" and see at present the dealers registered under the State VAT Act are too much in number compared to the number of dealers registered under the Central excise or service tax and the ratio of difference is almost 1:20.

12. on Taxindiaonline.com

Youtube - GST by Sudhir Halakhandi

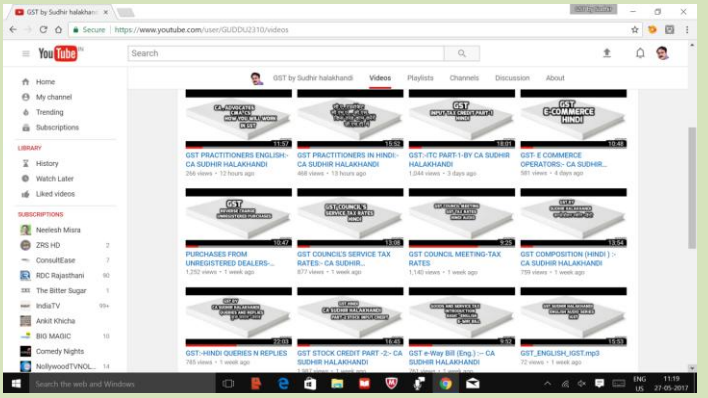

समाप्त

- सुधीर हालाखंडी -

****

GST By Sudhir Halakhandi